# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का आठवां दिवस { संख्या ६



सोमवार, ७ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, उद्योग, विकास, तथा नियुक्ति विभाग]

### हाई स्कूल, उनियारा

१५६. रावराजा श्री सरदार सिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा में हाई स्कूल की नई इमारत तैयार हो रही है? अगर हां, तो इसका शिलान्यास कब व किसके द्वारा किया गया था?

(२) उपरोक्त इमारत में कितने कमरे तैयार हो चुके हैं और कितने बाकी हैं और वे कब तक तैयार हो जावेंगे?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। इसका शिलान्यास दिनांक २१-२-५६ को संसद् सदस्य श्री माणकलालजी वर्मा द्वारा किया गया था।

(२) चार कमरे तैयार हो चुके हैं। तीन कमरे तैयार होने के हैं जिनमें से दो कमरों में केवल फर्श का काम होना बाकी है और तीसरे कमरे पर पट्टियां डाल दी गई हैं, कड़े व छत का काम जारी है। एक कमरा व एक हॉल मय बरामदा के बनना बाकी है। आशा है यह भवन अगले वर्ष तैयार हो जावेगा। इस वर्ष ४०,०००) रुपया भवन के लिये स्वीकृत हुआ है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : इस वर्ष से मतलब यह है कि इस वक्त जो काम चालू है उसके अलावा ४०,०००) हुए हैं या वह सब मिल कर हुए हैं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इस साल के लिए ४०,०००) हुए हैं जो कि चालू काम है उसके लिए।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यानी ५९-६०।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी हां।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने कहा कि आयन्दा साल तक वह पूर्ण होने की आशा है तो क्या यह सत्य है कि अभी तक जो ४ कमरे तैयार हो चुके हैं वे सरकार द्वारा बनाये गये हैं या जनता द्वारा बनाये गये हैं। वह तैयार हुए हैं। सरकार ३ कमरों के लिए कहती है और २ बरामदे और २ कमरे भी तैयार हो चुके हैं तो क्या सिर्फ कमरे ही तैयार हुए हैं या बरामदे भी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मुझे सूचना नहीं है कि जनता ने कौन से कमरे बनाये हैं। आपने पूछा कि क्या प्रगति है तो मैंने कहा कि ३ कमरे बन रहे हैं जिनमें २ कमरे तो करीब २ पूरे हो चुके हैं और एक कमरे पर पट्टियां चढ़ चुकी हैं और एक हॉल और एक कमरा रहा है जो कि अगले वर्ष पूरा कर देंगे।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : युनिवर्सिटी के मुताबिक इस साल तैयार होकर हाईस्कूल को शिफ्ट हो जाना चाहिए था। हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी वहां पर पधारे थे उस वक्त उनको कमरे दिखाये थे। वही की वही हालत आज भी पड़ी हुई है। टेन्डर कॉल कर दिये गये हैं और ठेकेदार मन्जूर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम कम्प्लीट नहीं हुआ है।

**प्रश्न संख्या १६०**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या १६१**

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

**रेड बीड कस्बा बनेटा (उनियारा)**

१६२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व [illegible] निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा बनेटा, तहसील उनियारा में बनास नदी के किनारे रेड नाम का बीड है ? अगर हां, तो यह जमीन राजस्व विभाग के तहत है या जंगलात के ?

(२) उस बीड में मतीरा, ककड़ी, इत्यादि, जो आसामियान कभी कभी बोते हैं, का लगान राजस्व विभाग के कर्मचारी लेते हैं या जंगलात के नाकेदारान, और किस हिसाब से ?

(३) सम्वत् २०१४, १५, १६ का लगान उपरोक्त जमीन का किन किन आधारों पर किसने वसूल किया ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। यह रकबा माल विभाग के कागजात में सिंचाई चक दर्ज है पर महकमा जंगलात इस पर अपना कब्जा व मिल्कियत होना जाहिर करता है जो कि तसफिया तलब है।

(२) राजस्व विभाग के कर्मचारी। १५ रु० १० आने प्रति बीघा के हिसाब से।

(३) सम्वत् २०१४ व २०१६ में कोई काश्त नहीं हुई। सम्वत् २०१५ में ४ बीघा

# Page No.3



(श्री संपतराम)

रकबे में मतीरा, ककड़ी, आदि काश्त हुए थे जिसका लगान ६२/५० तहसील में वसूल किया गया है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह सत्य है कि तहसील ने जो लगान वसूल किया है तो वहां पर जंगलात का जो नाकेदार है उसने भी वसूल किया है?

**श्री सम्पतराम**: नहीं ऐसी बात नहीं है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट जो फोरेस्ट प्रोड्यूस होती है उसकी वसूली करता है, लेकिन जो जमीन काश्त हो जाती है उसका लगान रेवेन्यू विभाग ही वसूल करता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने फरमाया कि अभी डिस्प्यूटेबल है और अभी आपने फरमाया कि जिस जमीन पर काश्त होती है उसका लगान रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है तो इसे स्पष्ट करें। जंगलात की वह जमीन डिस्प्यूटेबल है तो जंगलात वाले भी लगान वसूल करते हैं। वहां पर जो ककड़ी, खरबूजे होते हैं उसका लगान पटवारी भी लेता है और जंगलात वाले भी, क्या यह सही है?

**श्री सम्पतराम** : मैं यह समझता हूँ कि मेरा उत्तर ठीक तरह से समझा नहीं गया है। मैंने साफ तौर से कहा कि जिस जमीन पर काश्त होती है उसका लगान होता है और उसका लगान रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूल करता है, और फोरेस्ट प्रोड्यूस का जंगलात विभाग वसूल करता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मेरे अर्ज करने का मतलब फोरेस्ट प्रोड्यूस से नहीं है। मेरे प्रश्न में साफ है कि बनास के ढाबे में चौमासे में जो मतीरे, ककड़ी वगैरह लोग बोते हैं उसका लगान जंगलात वाले भी लेते हैं क्योंकि जंगलात ने उस पर कब्जा कर रखा है और पटवारी भी वसूल करता है, इसके बारे में सरकार के पास क्या शिकायतें आई हैं?

**श्री सम्पतराम** : नहीं कोई शिकायत नहीं है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने फरमाया कि कोई शिकायत नहीं आई हैं, और एस० डी० ओ० ने मुझे लिखा है कि मामला विचाराधीन है। उन्होंने तारीख दी है उस पर निर्णय होगा। आप कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं है।

**श्री सम्पतराम** : वह जमीन अभी तसफिया तलब है कि जंगलात की है या रेवेन्यू विभाग की। जहां पर किसी जमीन पर कोई काश्त कर लेता है तो उसका लगान रेवेन्यू विभाग ही वसूल करता है, लेकिन फोरेस्ट प्रोड्यूस का सवाल है उसका फोरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है। जिसके बारे में आपने पूछा है वह ४ बीघा जमीन है उसका रेवेन्यू विभाग ही लगान वसूल करता है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस जमीन के सम्बन्ध में कोई वसूली नहीं की है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आप तहकीकात कर लें कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगान लिया है उसी काश्तकार से। उसी काश्तकार के लिए कहता हूँ कि जिससे पटवारी ने भी लिया और फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी लिया है। अगर फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने गलत लिया है तो उसको वापिस दिलायें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत लिया है वह वापिस दिलायें काश्तकार को।

प्रश्न संख्या १६३

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

**महाराजा कालेज, जयपुर में समाज शास्त्र की स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कक्षाओं का प्रारम्भ किया जाना**

१६४. **श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर सिटी ) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि महाराज कालेज, जयपुर में शीघ्रातिशीघ्र समाजशास्त्र (Sociology) विषय की स्नातकोत्तर (Post-Graduate) कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग कॉलेज के विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से की है ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को यह विश्वास दिया है कि वह आगामी सत्र (सन् १६६०) से उक्त कॉलेज में समाज शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ में करने के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय से लिखा पढ़ी कर रहा है ?

(३) यदि हां, तो अब तक क्या २ कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचंन्द बिश्नोई ) : (१) जी हां ।

(२) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**डा० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या सरकार महाराजा कालेज में सोश्योलोजी की स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं शुरू करना चाहती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : अभी उनका जो प्रश्न था कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया उसका मैंने उत्तर दिया कि नहीं दिया। इसके बारे में हम एक निर्धारित नीति बनाना चाहते हैं कि जहां अच्छी लायब्रेरी हो वहां पर खोलेंगे । जहां पर अच्छी लायब्रेरी नहीं होती है और खोल देते हैं तो स्टेन्डर्ड ऊंचा जाने के बजाय नीचा जायगा । उसके लिए नीति निर्धारित करते हैं कि कहां पर रिसर्च के सब्जेक्ट्स खोलेंगे । उसके अलावा इन्स्टि-ट्यूशन को देख कर ही खोलेंगे ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस प्रकार से दूसरे स्थानों पर जैसे कि कोटा में पोस्ट ग्रेजुएट की क्लॉसेज खोली गई हैं उसके लिए क्या नीति निर्धारित की गई थी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसके लिए मैं निवेदन करूं कि जहां पर सुविधा थी वहां पर खोल दी । कई जगह कई सब्जेक्ट्स में खोले गये हैं । महाराजा कॉलेज का प्रश्न हमारे सामने नहीं आया जिस रूप में आपने बताया है ।

**डा० चन्द्रकला** : केवल सोश्योलोजी में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं शुरू करने का सवाल है । वे दूसरे कालेज में शुरू हो चुकी हैं केवल महाराजा कालेज में चालू नहीं हुई हैं। यह आधार केवल यहां के लिए रखा जायगा या दूसरी जगहों के लिए नहीं रखा जाना जरूरी मालूम पड़ा ?

# Page No.5



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सभी कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं सभी सब्जेक्ट्स में खोली जायं, यह नीति ठीक नहीं है। किसी जगह किसी सब्जेक्ट को खोलते हैं तो दूसरी जगह दूसरे सब्जेक्ट्स को।

**श्री मुरलीधर व्यास** : छात्रों की संख्या का भी तो दृष्टिकोण होना चाहिए। काफी संख्या छात्रों की हो तो उस पर विचार किया गया या नहीं, अगर किया गया तो क्या ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आपने एक डेफिनेट सवाल पूछा है उसमें कहा गया कि यह मांग की गई है और यह आश्वासन दिया गया है। उसका मैंने खास तौर से उत्तर दिया है। इस रूप में यह प्रश्न कभी नहीं किया गया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न विधान सभा में पूछा गया था, उसमें यह कहा गया था कि ठीक बात है विचार करेंगे।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह ठीक है कि विचार करेंगे। मैंने उत्तर में यह नहीं कहा कि विचार नहीं करेंगे, सब रास्ते बन्द कर दिये हैं, यह मैंने उत्तर नहीं दिया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : गत वर्ष नहीं हुआ है। एक साल भर में आपने विचार किया या नहीं इसलिए पूछा है ताकि अगले साल तक खुल सके।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : नहीं अगले साल तक होना सम्भव नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : विचार किया जायगा या नहीं ?

**प्रश्न संख्या १६५**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या १६६**

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

**सीमेंट व चद्दरों का वितरण, जिला टोंक**

**१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) टोंक जिले में १६५७-५८ व १६५६ में कितनी सीमेंट व कितनी चद्दरें (Corrugated Iron Sheets) सालवार आई ?

(२) जो कोटा टोंक जिले के लिए आता है, वह कहां कहां पर जाकर बिकता है ?

(३) क्या टोंक जिले के लिए कोई डीलर्स हैं ? यदि हां तो उनके क्या नाम हैं और यह डीलर्स क्या सिर्फ टोंक नगर के लिए ही ही है ? यदि हां, तो तहसीलों व सब-डिवीजन के लिए क्या व्यवस्था है ?

**उपमंत्री, उद्योग** (श्री रिखबचन्द धारीवाल): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अगली टर्न में ले लिया जाय।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल टोंक का ही पूछा था, सारे राजस्थान का नहीं। उसकी ही जानकारी पूछी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सूचना प्राप्त होने पर आपको अवगत कर दिया जायगा।

**प्रश्न संख्या १९८**

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

**आर० ए० एस० पदाधिकारियों की पदोन्नति**

१९९. **श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:–

( १ ) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चार आर० ए० एस० ऑफिसर्स को सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति दी गई है ? यदि हाँ, तो किन-किन को, और कब-कब से ?

( २ ) आर० ए० एस० में उक्त सलेक्शन ग्रेड के स्थान किन कारणों से रिक्त थे ? ये अधिकारी किस-किस डिविज़न के रहने वाले हैं तथा आर० ए० एस० की सीनियोरिटी लिस्ट में किस-किस नम्बर पर इनका नाम है ?

( ३ ) सलेक्शन कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे और कितने आर० ए० एस० ऑफिसर्स के मामले इस प्रमोशन के लिए कमेटी के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये थे ?

( ४ ) उक्त कमेटी के सामने सरकार के किस-किस विभाग के किस-किस अधिकारी ने प्रमोशन के लिए नाम विचारार्थ प्रस्तुत किये थे ? क्या वे अधिकारी भी इस सलेक्शन कमेटी के मेम्बर्स थे ?

**राजस्व मंत्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : ( मुख्य मंत्री की ओर से )

( १ ) जी हाँ।

१. श्री हरीसिंह-सितम्बर, १९५८ से।

२. श्री हिम्मतसिंह गुलुंडिया-मई, १९५८ से।

३. रोशनलाल माथुर-२२ जुलाई, १९५८ से।

४. श्री भंवरलाल मेहता-१२ जनवरी, १९५९ से।

( २ ) १. एडीशनल कमिश्नर, अजमेर व जोधपुर के स्थान १-४-५८ व ३१-७-५८ से पहले अधिकारियों के रिटायरमेन्ट के कारण रिक्त थे। एडीशनल कमिश्नर बीकानेर की नई अस्थायी पोस्ट २२-७-५८ से व एडीशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स की नई अस्थायी पोस्ट १२-१-५९ से मंजूर की गई।

२. श्री हरीसिंह व श्री हिम्मतसिंह गलुंडिया उदयपुर डिविज़न के तथा श्री रोशनलाल माथुर जोधपुर डिविज़न के और श्री भंवरलाल मेहता बीकानेर डिविज़न के रहने वाले हैं।

३. सीनियोरिटी लिस्ट में ( एज़ करन्टेड अपटू १-७-५९ ) में इनके नाम ६, १३, १४, और १७ पर हैं।

( ३ ) ( १ ) सलेक्शन कमेटी के निम्नलिखित सदस्य थे:—

१. श्री श्यामलाल, आई० ए० एस० चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान।

२. श्री रामनिवास हावा, आई० ए० एस०, सचिव, राजस्थान सरकार, रेवेन्यू विभाग।

# Page No.7



(श्री दामोदरलाल व्यास)

३. श्री रामेश्वरदयाल माथुर, आई० ए० एस० विशिष्ट सचिव, राजस्थान सरकार, नियुक्ति विभाग।

(२) सलेक्शन कमेटी ने आर० ए० एस० सीनियोरेटी लिस्ट के अनुसार आफिसर्स के केसेज़ विचार किए।

४. यह कमेटी केवल आर० ए० एस० सेलेक्शन ग्रेड पोस्ट्स के लिए नियुक्त की गई थी अतः और विभागों का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह समझा जाये कि इस कमेटी के सामने केवल इन्हीं चार ऑफ़िसरों के केसेज़ रेफ़र किये गये थे?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी नहीं! इसके सामने कोई केस रेफ़र नहीं किया गया था। जितनी जगह थी उनके लिए सभी आर० ए० एस० के आफिसर्स की लिस्ट भेजी गई थी और इस कमेटी ने सीनियोरिटी-कम-मैरिट्स के ऊपर सलेक्शन किया था।

**श्री भैरोंसिंह** : सलेक्शन करने के लिए क्या इन ऑफ़िसर्स की कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट, सर्विस रोल, आदि भेजी गई थीं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उनकी सर्विस रोल, कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट, वगैरह लिस्ट के साथ भेजी गई थीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाये कि इनके अलावा और भी ऑफ़िसर्स की सर्विस रोल, कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट आदि सब के साथ में भेजे गये थे?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : कितने ऑफ़िसर्स के भेजे गये थे?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सारे ऑफ़िसर्स के भेजे थे बाकी सलेक्शन केवल ४ के लिए ही करना था।

**श्री भैरोंसिंह** : पूरे आर० ए० एस० के जो ऑफ़िसर्स हैं उनके सर्विस रेकॉर्ड भेजे गये थे या उनमें से जो सीनियर मोस्ट थे उनके भेजे थे?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: अर्ज करना यह है कि जब सलेक्शन कमेटी बैठती है तो जितने आर० ए० एस० के ऑफ़िसर्स हैं उनकी कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट, सर्विस रोल्स और रेकॉर्ड सब उनके पास पहुंच जाते हैं; वह उनको देखकर के सीनियोरिटी के लिहाज से जितने नम्बर तक सलेक्शन करना होता है उतना कर लेते हैं। जैसे १० केसेज़ लिए और उनमें से चार को वह छांट चुके तो बाकी के सारे केसेज़ को नहीं देखेंगे। They have to take ,seniority first cum-merit.

इसलिए उनके पास में सारी लिस्ट थी और सारे रेकॉर्ड थे। अब उन्होंने कितने रेकॉर्ड्स को एग्जामिन किया, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन सीनियोरिटी के अन्दर १०-२० केसेज़ को एग्ज़ामिन किया ही होगा।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा क्वेश्चन यह है कि from one to last जितने भी ऑफ़िसर्स हैं क्या उनके सर्विस रेकॉर्ड्स, सर्विस रिपोर्ट और कॉन्फ़िडेन्शियल रिपोर्ट्स सब के सब सलेक्शन कमेटी के सामने भेजे गये थे?

Page No.8



**श्री दामोदरलाल व्यास :** यह नहीं कह सकते कि कितने ऑफिसर्स के रेकॉर्डस को मंगाया लेकिन वह जितने चाहें मंगा सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह :** गवर्नमेन्ट ने सेलेक्शन कमेटी के सामने कितने ऑफिसर्स के रेकॉर्डस भेजे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** उन्होंने जितने भेजने चाहिए थे उतने भेज दिए होंगे।

**श्री श्रीभानसिंह :** अभी आपने कहा कि जितने चाहे मंगा सकते हैं तो क्या यह माना जाये कि केवल इन्हीं चार ऑफिसरों के अलावा और किसी के नहीं मंगाये गये थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** सलेक्शन कमेटी ने इन चार ऑफिसरों के केस को डिसाइड करने के लिए जितनों को सुपरसीड किया उसके उन्होंने रीजन्स दिये हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने दूसरों के केस को भी एग्जामिन किया है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह माना जाये कि इनको लेने के लिए सलेक्शन कमेटी ने इनीशियेटिव लिया न कि गवर्नमेन्ट ने ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** वह तो गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी सलेक्शन के लिए अपाइंन्ट कर दी और उसने चार को सलेक्ट कर लिया।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या गवर्नमेन्ट ने अपने इनीशियेटिव से कमेटी के पास और कोई रेकर्ड नहीं भेजा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जितने ऑफिसर्स थे उन सब के रेकार्डस भेजे। वैसे स्पेशल सेक्रेटरी ( अपॉइन्टमेन्ट्स ) इस सेलेक्शन कमेटी का ऑफिसर था।

**श्री भैरोंसिंह :** जितने भी रेकार्डस उन्होंने आवश्यक समझे उतने मंगा लिए और उनके कहने पर विश्वास करके भेजे हैं न कि जिन ऑफिसर्स के चान्स थे उनके भेजे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं बिलकुल साफ कह चुका हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबका रेकार्ड अवेलेबल था, सलेक्शन कमेटी के लिए। अब उसने कितनों के रेकर्ड को देखा यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जितनों को सुपरसीड किया उनके रीजन्स दिए हैं। इसलिए शको-शुबाह की कोई गुंजाइश नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या इस कमेटी में ऐसे मेम्बर्स थे जो कि ऑफिसर्स की कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसमें आर० ए० एस० ऑफिसर्स के रोल तैयार करने वाले कोई मेम्बर नहीं थे।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या स्पेशल सेक्रेटरी (अपोइन्टमेंट्स) ऑफिसर्स के सर्विस रोल तैयार नहीं करते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी नहीं, बिलकुल नहीं।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि श्री आर० एन० हावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के सर्विस रोल तैयार करते थे ? जब कि वह रेवेन्यू सेक्रेटरी थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जूनियर आर० ए० एस० ऑफिसर्स जिनमें से सलेक्सन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करना है उनकी सर्विस रोल रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास नहीं जाती है।

**श्री भैरोंसिंह** : यह किस के पास रहती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : चीफ़ सेक्रेटरी के पास ।

**श्री भैरोंसिंह** : जिस जिस डिपार्टमेंन्ट के जो ऑफ़िसर्स हैं उनकी कॉन्फीडेशियल रिपोर्ट उनके डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी, चीफ़ सेक्रेटरी बनाते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने इस बात के इन्कार कर दिया है। आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया है।

**श्री भैरोंसिंह** : जिन ४ ऑफ़िसर्स का सलेक्शन हुआ था उनकी कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में श्री आर० अन० हावा और श्री आर० डी० माथुर का कोई नोट नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं नहीं कह सकता कि किस किस का था। हां, जिस समय मिस्टर हावा कलेक्टर होंगे उस समय होगा तो यह दूसरी बात है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैंने, प्रश्न पूछा है कि officers who constituted the Selection Board, whether they were the officers who made certain entries in their confidential records.

**श्री उपाध्यक्ष** : That is a separate question.

**श्री दामोदरलल व्यास** : That is a separate question.

**श्री भैरोंसिंह** : This is one of the supplementaries.

**श्री उपाध्यक्ष** : But that is being refuted.

**श्री भैरोंसिंह** : यह इसी में आता है। इसमें है : सलेक्शन कमेटी के कौन कौनसे सदस्य थे और कितने आर० ए० एस० ऑफ़िसर्स के मामले इस प्रोमोशन के लिए कमेटी के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किये थे। और उक्त कमेटी के सामने सरकार ने किस-किस विभाग के किस किस अधिकारी के प्रोमोशन के लिए नाम विचारार्थ प्रस्तुत किये थे ? क्या वे अधिकारी भी इस सलेक्शन कमेटी के मेम्बर्स थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने कह दिया कि विचारार्थ कोई नाम प्रस्तुत नहीं किये गये। कमेटी को कह दिया कि वह सलेक्ट कर ले सीनियोरिटी-कम-मेरिट्स के आधार पर।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या कमेटी के रेफरेन्स के लिए यह लिखा था कि आर० ए० एस० ऑफिसर्स की लिस्ट में से इतनों को सलेक्ट कर सकते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सीनियोरिटी को पहले प्रिफरेन्स देना पड़ेगा लेकिन सुपरसीड करने के लिए उसी को करेंगे जो कि मेरिट्स पर नहीं लिये जाते। इसका मतलब यह है कि उनको सीनियोरिटी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री पुरोहित

**श्री भैरोंसिंह** : एक क्वेश्चन और है। क्या यह माना जाये कि राजस्थान के

# Page No.10



(श्री भैरोंसिंह)

अपोइन्टमेन्ट के सेक्रेटरी जो कि सलेक्शन बोर्ड में थे वह अपोइन्टमेन्ट सेक्रेटरी के नाते वर्क कर रहे थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : He is a Government officer and he was appointed on the Selection Committee. He was as good a member as anyone else.

**श्री भैरोंसिंह** : मेम्बर थे, ठीक है, एक मेम्बर का हिसाब दूसरा होता और मेम्बर के स्थान पर इसलिए मेम्बर थे कि वह अपोइन्टमेन्ट्स सेक्रेटरी थे और एज़ अपोइन्टमेन्ट् सेक्रेटरी रिप्रेजेन्ट करते थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : He is a senior officer of the Government and he was considered to be fit for appoinment on the Committee. So he was appointed.

**श्री भैरोंसिंह** : इसलिए नहीं थे कि वह अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**प्रश्न संख्या १७०**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रभूलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

**तहसील भवन, अलीगढ़ उनियारा में तहसीलदार का निवास**

**१७१. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा का हैड क्वार्टर अलीगढ़ में है ? अगर हां, तो क्या वहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार व स्टाफ के निवास के लिए सरकारी मकानात हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलदार आदि, जब से हैड क्वार्टर अलीगढ़ हुआ है, तब से ही लगभग उसी तहसील इमारत में रह रहे हैं ? अगर हां, तो फिर तहसील का कार्य किस जगह होता ?

(३) तहसील भवन में कितने कमरे हैं कौन कौन से ऑफिस कहां कहां स्थित हैं ?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : जी हां। स्टाफ के निवास के लिए कोई सरकारी क्वार्टर्स नहीं हैं केवल नायब तहसीलदार ही सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और तहसीलदार तहसील की इमारत के पृथक भाग में रहते हैं और नियमानुसार सरकारी किराया अदा करते हैं।

(२) जी नहीं। यह प्रश्न नहीं उठता। तहसीलदार पृथक भाग में रहता है।

(३) तहसील तीन मंजिल की है। सबसे नीचे के हिस्से में सब-ट्रेजरी है और यहां पर कैशियर व सब-ट्रेजरी क्लर्क काम करते हैं दूसरी मंजिल में एक बड़ा हॉल है जिनके दो हिस्से हैं। उनमें नायब तहसीलदार व बाकी अहलकार बैठते हैं। इसी हॉल में एक बड़ा कमरा है जिसमें ऑफिस कानूनगो काम करता है और लैन्ड रेकॉर्ड रखा जाता है। तीसरी

# Page No.11



(श्री सम्पतराम)

मंजिल में एक कमरा है जिसमें तहसीलदार का दफ्तर है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह सही है कि अभी यहां पर कलेक्टर साहब मुआयना करने गये थे तो उन्होंने कहा था कि तहसीलदार के पास मकान नहीं है तो फिर तहसीलदार तहसील के भवन में मय बालबच्चों के कब से ऊपर रहता है और क्यों रहता है ?

**श्री सम्पतराम** : कब से रहता है यह तारीख तो नहीं है लेकिन चूंकि वहां मकान नहीं है और वहां अवेलेबल है इसलिए रहता है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आप कहते हैं कि मकान नहीं है, वहां तो तहसीलदार के लिए मकान है ।

**श्री सम्पतराम** : उस बिल्डिंग में इस तरह का मकान है कि जिसमें तहसीलदार रह सकता है, इसलिए रहता है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मैंने पहले कहा था, कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने पहले ऐसा फरमाया था कि कोई अलग मकान नहीं है तहसील में इसीलिए रहते हैं और आप कहते हैं कि उसमें एक अलग मकान है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय सदस्य चाहते क्या हैं यदि यह बतादें तो जवाब देने में आसानी हो जाय ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आप तो सब कुछ जानते हैं, घट घट की जानते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपसी मसला रह गया है तो सदन का समय क्यों बर्बाद किया जाता है ?

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : अलीपुर में तहसीलदार वगैरह के लिये तो मकान है लेकिन उनियारा वालों के लिये रहने का स्थान नहीं है इसलिए उनको वहां से दूर रहना पड़ता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप अगर चाहते हैं तो मैं आज ही हुक्म दे दूंगा कि उनियारा में रहने वाले तहसील कर्मचारियों को हैड क्वार्टर पर रहना लाजिमी हो जायगा ?

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जहां नौकरी करनी है वहां रहेंगे लेकिन ........

**श्री भैरोंसिंह** : ऐसा हुक्म आप मत दे देना नहीं तो सवाल उल्टा पड़ जायगा ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या यह सही है कि उनियारा में मकान नहीं होने से तहसील हैड क्वार्टर वहां से शिफ्ट किया गया ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

**आर० ए० एस० पदाधिकारियों का चयन**

१७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गत दिनों में आर० ए० एस० में रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में कुछ केन्डीडेट्स को मेडिकल बोर्ड ने अयोग्य घोषित किया था ?

# Page No.12



(श्री भैरोंसिंह)

(२) यदि हां, तो किन किन केन्डीडेट्स को, किस किस आधार पर ? इस मेडिकल बोर्ड के कौन कौन सदस्य थे ?

(३) क्या यह सही है कि इन अयोग्य केन्डीडेट्स ने सरकार के समक्ष इस मेडिकल बोर्ड के विरुद्ध कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने एक दूसरा मेडिकल बोर्ड नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्यों, और किन किन को ?

(५) क्या यह सही है कि इस बोर्ड ने इन केन्डीडेट्स को योग्य घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो किस किस कारण से ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार ने किसी भी बोर्ड के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मन्त्री की ओर से) :-(१) जी हां।

(२) (अ) श्री जगदेवसिंह यादव, श्री कन्हैयालाल शर्मा और श्री पी० के० बी० सिंह और श्री नवीनचन्द्र जोशी आई साइट बिलो स्टेन्डर्ड होने की वजह से। श्री चांदमल जैन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से।

(ब) १. डॉ० एल० आर० सरीन, सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस० एम० एस० हॉस्पिटल, चेयरमैन जयपुर।

२. डॉ० बी० एन० शर्मा आई स्पेशलिस्ट, एस० एम० हॉस्पिटल, जयपुर-सदस्य।

३. डॉ० आर० के० शर्मा, मेडिकल ज्युरिस्ट, एस० एम० एस० हॉस्पिटल, जयपुर-सदस्य।

(३) जी हां, सर्वश्री जगदेवसिंह, कन्हैयालाल शर्मा व नवीनचन्द्र जोशी के प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां, रिप्रजेन्टेशन्स पर विचार करने के बाद दूसरा मेडिकल बोर्ड नियुक्त करने का फैसला किया गया। दूसरे बोर्ड के निम्न सदस्य थे :—

१. डॉ० बी० एन० शर्मा, डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, राजस्थान, चेयरमैन।

२. डॉ० हिम्मतसिंह, आई सर्जन जनरल हॉस्पिटल, बीकानेर-सदस्य।

३. डॉ० एल० एम० सिंघवी, एडीशनल प्रॉफेसर ऑफ मेडिसिन-सदस्य, एस० एम० एस० हॉस्पिटल, जयपुर।

(५) जी नहीं। दोनों बोर्ड की राय एक ही थी।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिन ५ व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया गया उन्होंने रिप्रजेन्टेशन्स नहीं दिये थे ?

# Page No.13



**श्री दामोदरलाल व्यास :** रिप्रजेन्टेशन्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं मुलाहिजा फर्माइये।

**श्री भैरोंसिंह :** वे तो तीन ही हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जितने रिप्रजेन्टेशन्स आये उनकी कॉपियां रखी हैं।

**श्री भैरोंसिंह :** तो क्या यह समझा जाय कि जितने रिप्रजन्टेशन्स आये थे वे केवल ३ ही थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां। श्री जगदेवसिंह, श्री कन्हैयालाल शर्मा और श्री नवीनचंन्द जोशी ही के प्रार्थना पत्र आये।

**श्री भैरोंसिंह :** इसका मतलब यह है कि दो रह गये—श्री पी० के० बी० सिंह और श्री चांदमल जैन ? क्या यह सही है कि इन्होंने कोई रिप्रजेन्टेशन्स नहीं दिये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जिनके आये उनके नाम बता दिये।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या जिनके रिप्रजेन्टेशन्स नहीं आये थे उनको भी दुबारा बोर्ड के सामने एपीयर होने का मौका दिया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** पहले तीन....

**श्री भैरोंसिंह :** आप तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं जवाब ही दे रहा हूँ आप मुझे डिक्टेट तो नहीं करा सकते। आप सुन लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** Order, order. The reply is with the explanation.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** दोनों मेडिकल बोर्ड्स ने डिफरेन्ट राय नहीं दी। जो स्टेन्डर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आर० ए० एस० ऑफिसर्स के लिये रखा गया था वह आई० ए० एस० और आई० पी० एस० गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का रखा हुआ था। वही यहां रखा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने अपने रूल्स चेन्ज कर दिये और उसी के अनुसार अपने यहां भी राजस्थान सरकार ने रूल्स चेन्ज कर दिये। इसलिये जिन तीन व्यक्तियों ने रिप्रजेन्टेशन दिये थे उनको दुबारा मेडिकल बोर्ड के सामने भेजा और जो बचे हुए दो थे उनको भी इसलिये बोर्ड के सामने भेजा कि किसी के साथ इन्जस्टिस न हो। नये चेन्ज्ड रूल्स के अनुसार बोर्ड ने उनको कॉम्पीटेन्ट डिक्लेअर करके सर्टिफिकेट दिया। उनकी आई साइट वही थी जो पहले बोर्ड ने दर्ज की थी। दोनों बोर्डों की राय में फर्क नहीं था लेकिन क्योंकि रूल्स अमेन्ड हो गये इसलिये इनको कॉम्पीटेन्ट करार दिया गया।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि पहले वाले मेडिकल बोर्ड ने केवल इन पांच व्यक्तियों को ही मेडिकली अयोग्य घोषित नहीं किया था बल्कि १२,१३ को किया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आप जवाब समझ लीजिये। जितने केन्डीडेट्स की आवश्यकता रही थी और जिनको मेडिकल बोर्ड ने अयोग्य घोषित करार दिया था उनको सुपरसीड करके दूसरों को आगे बढ़ाया था, जिनको सुपरसीड किया गया था उनको दुबारा मेडिकली एग्जामिन कराया था क्योंकि रूल्स चेन्ज हो गये थे।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य घोषित करने

Page No.14



(श्री भैरोंसिंह)

के कारण जिनको नहीं लिया जा सकता था उनकी संख्या १२,१३ थी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** हो सकता है। मेरे पास इस समय इन्फोर्मेशन नहीं है। जिनको सुपरसीड करके लोग आगे बढ़े थे उनको दुबारा एग्जामिन कराया गया था।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि दूसरे मेडिकल बोर्ड ने भी यही राय दी है कि इन चार आदमियों की विजन (डिस्टेन्स) बिलो स्टेन्डर्ड है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** दोनों बोर्डस की एक ही राय है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या दूसरे मेडिकल बोर्ड ने भी यह लिखा था कि इनकी डिस्टेन्ट विजन बिलो स्टेन्डर्ड है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां।

**श्री भैरोंसिंह :** फिर आपने उसको कैसे ले लिया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** ऑल इन्डिया रूल्स जो थे वे चेन्ज हो गये थे इसलिये यहां भी रूल्स चेन्ज किये गये और चेन्ज्ड रूल्स के हिसाब से उनकी आई साइट ठीक थी।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या उनको दुबारा भेज कर पूरे मेडिकल बोर्ड की ओपीनियन नहीं मांगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आईसाइट जो रूल्स में कवर होती थी उसको एप्रूव कर दिया।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि दूसरे मेडिकल बोर्ड ने भी लिखा कि डिस्टेन्ट विजन बिलो स्टेन्डर्ड है, आपने कहा कि रूल्स चेन्ज कर दिये हैं। बिलो स्टेन्डर्ड विजन चेन्ज्ड रूल्स में फिट इन होती है या नहीं इसके बारे में मेडिकल बोर्ड की राय ली गई या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जो आई साइट थी वह रूल्स में कवर होती थी तो फिर इसको दुबारा रेफर करने की जरूरत नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या आपने डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ को रेफर किया था कि जो चेन्ज्ड रूल्स हैं उनमें इनकी आई साइट फिट इन होती है या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां। यह बिल्कुल ठीक है and the Director of Medical & Health Services advised that the four persons were covered under the revised standards.

**श्री भैरोंसिंह :** इसका मतलब यह है कि आपने मेडिकल बोर्ड को रेफर न करके डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ को रेफर किया जो केवल एक सदस्य उस बोर्ड के थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इसका मतलब साफ यह है कि जो स्टेन्डर्ड आई साइट का बदल गया था और उनकी आई साइट रूल्स के अन्तर्गत आती थी। मजीद एतिहात के तौर पर डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ को पूछ लिया था कि ये इस स्टेन्डर्ड में आते हैं या नहीं। Otherwise it is not necessary for the Government at all to refer the cases even to the Director of Medical Services.

**श्री भैरोंसिंह :** सरकार ने यह किस प्रकार से उचित समझा कि, जिस समय सिलेक्शन के लिये एडवर्टाइज़ किया और विशेष प्रकार की मेडिकल योग्यता प्रेस्क्राइब की थी उसको बाद में चेन्ज किया जाय ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** ऑल इन्डिया लेवल पर रूल्स चेन्ज हुए थे इसलिये यहां भी चेन्ज किये गये।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने, ये पोस्ट्स एडवर्टाइज होने के बहुत दिन पहले चेन्ज कर दिये थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** I don know the date when they changed it. But we changed our rules on the basis of that.

**श्री भैरोंसिंह :** क्या इसका मतलब यह नहीं निकलता कि सरकार ने इन चार आदमियों के साथ पक्षपात करने के लिये रूल्स चेन्ज किये ?

**श्री उपाध्यक्ष :** But he does not know whether it was long before that or not.

**श्री भैरोंसिंह :** क्या आई० पी० एस० और आई० ए० एस० के रूल्स में एक आई साइट का रीज़न लिखा हुआ था, वह पहले बने हुए थे, उसके बाद उनका सलेक्शन हुआ, उसके लिए एडवर्टाइज़मेंट निकाला गया, उनके लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की और चूंकि वे चार आदमी उसमें नहीं आये, इसलिए रूल्स को अमेंड कर दिया और इस प्रकार उन व्यक्तियों को चान्स नहीं मिला, जो आर० ए० एस० के लिए मेडिकल कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब थी, उनमें वे फिट इन नहीं हो सके और वे महरूम रह गये ? मैं चाहूँगा कि पब्लिक के साथ इस प्रकार इन्जस्टिस क्यों की गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इन्जस्टिस बिलकुल नहीं है, इसका इन्फरेन्स आप कुछ भी निकालें। मैंने अर्ज किया है कि इन्जस्टिस का सवाल नहीं है, इन्जस्टिस होने जा रही थी, उसकी जगह जस्टिस की गई है।

**श्री भैरोंसिंह :** एक क्वेश्चन और है। क्या यह सही है कि आर. ए. एस. के एग्जामिनेशन के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, उनमें मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को रिवाइज करने का कोई रूल नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** किसी भी ऑथोरिटी को अगर कोई अपील होती है और इक्वली स्ट्रांग ग्राउन्डस पर रिप्रजेन्टेशन होता है Government has every right to exercise its discretion to appoint a second Board and even a third Board if necessary.

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि सरकार ने इसी हाउस में एश्योरेन्स दिया है कि आर. ए. एस. के सलेक्शन के लिए जो कमेटी अपोइन्ट होती है, उसके फैसले का रिवीज़न नहीं हो सकता।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** ऑर्डिनरीली नहीं हो सकता। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई प्राइमाफेसी केस मालूम हो और किसी कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी का सर्टिफिकेट कोई पेश करता है तो इत्मीनान के लिए मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को एग्जामिन करा सकते हैं ...

# Page No.16



**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : कौन सी कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी थी, जिसका सर्टिफिकेट पेश किया गया और दूसरा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी ? and what were the allegations which they levelled in their representations against the Medical Board.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have laid down on the table of the House the representations of these three gentlemen.

**श्री श्रीभानसिंह** : The list is not with the individual members. The House would like to know which was the competent authority whose certificate was produced and what were the allegations levelled against the Medical Board.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : There were no allegations. Some of them stated that their eye-sight was not weak as found by the Medical Board, and they produced certificates from some doctors. I will tell you the name of these doctors.

**श्री श्रीभानसिंह** : Whether they were private doctors or Government doctors ?

**श्री भैरोंसिंह** : ये सब प्राइवेट डाक्टर्स हैं, मैं बता दूँ आपको ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : This is the representation of Shri Jag Deo Singh Yadav. He says that he was examined by Dr. N. C. Jain, M. S. (Lucknow), D. O. (Oxon.), D. O. M. S., (London) F. I. C. S., Honorary Opthalmic Surgeon, Irwin Hospital, Delhi. He produced a certificate from this doctor.

**श्री भैरोंसिंह** : जो डॉक्टर्स हैं, वे सब प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा ।

**श्री भैरोंसिंह** : एक क्वेश्चन और पूछ लूं उपाध्यक्ष महोदय । राजस्व मन्त्रीजी ने बताया कि इन्जस्टिस होने के कारण, दुबारा रिप्रेजेन्टेशन सुनकर मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को एग्जामिन कराने की आवश्यकता महसूस हो तो करा सकते हैं । आपने यह भी बताया कि पहले मेडिकल बोर्ड ने जो ओपिनियन दी है, वह दूसरे ने मानी है । फिर कौन सी इन्जस्टिस थी जिसको लेकर मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को रिवाइज किया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : The Hon'ble Member should have better heard me correctly. I said that even if there is a minor suspicion of any injustice, the Government would try to get the persons re-examined medically. Because these applicants produced certificates from other doctors who were well qualified, therefore, the Government thought it proper to get these candidates re-examined by other competent doctors.

**श्री भैरोंसिंह** : One more question.

**श्री उपाध्यक्ष** : I regret. The question has been very rightly answered. I take another question.

# Page No.17



**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने इन्जस्टिस की है। मैं कहना नहीं चाहता कि इसके पीछे क्या मोटिव है....

**प्रश्न संख्या १७३**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

**ग्राम गांगवा मंगलाना (मकराना) के सरपंच, श्री परमाराम द्वारा धोखादेही से रुपया लिया जाना**

**१७४. श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या वह सही है कि बी. डी. ओ. ऑफिस मकराना से दिनांक २५-२-५९ को श्री परमाराम नेगांगवा मंगलाना के सरपंच की हैसियत तथा सरपंच की मुहर से एक कुए की मरम्मत के लिए १५०० रु० ले लिये ?

(२) क्या यह सही है कि श्री परमाराम वास्तव में सरपंच नहीं थे और उन्होंने बी. डी. ओ. को धोखा दिया ?

(३) क्या यह सही है कि श्री परमाराम ने इस रकम का हिसाब पेश किया है ? यदि हां, तो कब, तथा कितने का ? इस हिसाब की जांच किसने की है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त बातों की शिकायत जिला कलेक्टर नागौर को की गई तथा उनके द्वारा जांच भी कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ? रिपोर्ट कब की गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि इस मामले में अनावश्यक विलम्ब किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? यह मामला पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ?

**उप-मन्त्री, विकास** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) यह सही है कि उस दिन श्री परमाराम वास्तव में सरपंच नहीं थे। श्री परमाराम १९५८ में ग्राम सरपंच गांगवा के सरपंच के पद से हटाये जा चुके थे उसकी सूचना बी. डी. ओ. को नहीं थी। श्री परमाराम ने सरपंच की हैसियत से यह रकम उठाई।

(३) श्री परमाराम ने २०-८-५९ को राजकीय अनुदान में दी गई रकम का हिसाब पेश किया। जिलाधीश नागौर उस हिसाब की जांच करवा रहे हैं।

(४) जी हां, जांच अभी जारी है।

(५) जांच में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया। विभागीय जांच के हो जाने पर मामला पुलिस के सुपुर्द किये जाने पर विचार किया जावेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि श्री परमाराम ने सरपंच की गलत मोहर लगाकर वह रुपया ड्रॉ किया था ?

**श्री सम्पतराम** : मैं जवाब दे चुका हूँ।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने मोहर का नाम नहीं लिया। जवाब मोहर का नहीं दिया।

# Page No.18



**श्री उपाध्यक्ष** : जी हां, इस उत्तर में सब आ जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा प्रश्न है कि गलत मोहर लगा कर रुपया ड्रॉ किया है या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : He drew that amount in the capacity of a Sarpanch.

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा क्वेश्चन है, जो लिख कर दिया है, वह है कि सरपंच की मोहर लगा कर रुपया ड्रॉ किया है या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : This is not to my knowledge.

**श्री उपाध्यक्ष** : Not to his knowledge.

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या यह सही है कि श्री परमाराम वास्तव में सरपंच नही थे और उन्होंने बी. डी. ओ. को धोखा दिया ? यह कौन-सा आ गया ? क्वेश्चन यह है कि क्या यह सही है कि बी. डी. ओ. ऑफिस मकराना से दिनांक २५-२-५६ को श्री परमाराम ने गांगवा मंगलाना के सरपंच की हैसियत तथा सरपंच की मुहर से एक कुंए की मरम्मत के लिए १५०० रु० ले लिये ? मेरा क्वेश्चन है मोहर का।

**श्री सम्पतराम** : मोहर के बारे में तहकीकी नहीं हूँ; सरपंच की हैसियत से रुपया लिया गया था।

**श्री भैरोंसिंह** : जब वह सरपंच नहीं था और झूठी मोहर बना कर रुपया ड्रॉ कर लिया, तो इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता क्या थी, क्यों नहीं यह मामला पुलिस को दे दिया गया ?

**श्री सम्पतराम** : पहले कई बातों की जांच करने की जरूरत है, कितना रुपया लिया गया, किस किस हालत में ड्रॉ किया गया, यह प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होने के बाद यदि आवश्यकता समझी तो पुलिस के सुपुर्द करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : जब आपने स्वीकार कर लिया है कि श्री परमाराम सरपंच नहीं था और उसने पैसा ड्रॉ कर लिया है और बी. डी. ओ. को धोखा दिया है तो प्रिलिमनरी इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता क्या थी, क्यों नहीं पुलिस को मामला हैंड ओवर किया गया ?

**श्री सम्पतराम** : उसके बाद क्लेक्टर को लिखा गया कि इसकी डिटेल में जांच करके रिपोर्ट दें, उसके बाद आवश्यकता होगी तो मामला पुलिस के सुपुर्द किया जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : इसकी क्या आवश्यकता थी जब कि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि वह सरपंच नहीं था, बी. डी. ओ. को धोखा दिया ? यह मामला डाइरेक्टली पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ?

**श्री सम्पतराम** : उचित नहीं समझा।

**श्री भैरोंसिंह** : जब सरकार को किसी कॉग्नीजेबल ऑफेन्स की इत्तला मिलती है तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराये बगैर मामला पुलिस को दे दिया जाय ?

# Page No.19



**श्री सम्पतराम** : यही जांच कर रहे हैं कि किस हालत में रुपया दिया गया। इन सब बातों की कलेक्टर जांच करके रिपोर्ट देगा, उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस हुई तो पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या किसी ऑथोरिटी या ओहदेदार के स्थान पर रुपया ड्रॉ करना इमीजियेटली कॉग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं होता है कि उस मामले को पुलिस को दिया जा सके ?

**श्री उपाध्यक्ष** : Does it amount to a cognizable offence ?

**श्री भैरोंसिंह** : It amounts to a ccgnizable offence.

**श्री सम्पतराम** : उसके बाद जिस आदमी पर ऑफेन्स की रेस्पोन्सिबिलेटी डाली गई, उसकी पूछताछ होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह है कि कोई कॉग्नीजेबल ऑफेन्स को एडमिट कर ले तो उसकी जांच किये बगैर पुलिस को नहीं दिया जा सकता ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : बी. डी. ओ. को इत्तला नहीं थी कि वह सरपंच है या नहीं। वास्तव में यह आदमी सरपंच था और बी. डी. ओ. ने सरपंच समझ कर रुपया दिया। इस हालत में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करना जरूरी है, क्योंकि उसने रिप्रेजेन्ट किया अपने आपको कि वह सरपंच है और मिस रिप्रेजेन्ट करके रुपया ड्रॉ कर लिया, इसकी इन्क्वायरी करने की जरूरत है। यह जांच करना जरूरी है कि वह यकीनन सरपंच था या नहीं, उससे पहले यह कॉग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं बनता।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय मंत्रीजी ने अभी बताया है कि परमाराम पहले सरपंच था, बाद में नहीं था, और पैसा ड्रॉ करके बी. डी. ओ. को धोखा दिया। जब ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं तो क्या आवश्यकता है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की जाय कि उसने बी. डी. ओ. को धोखा दिया है या नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : He has explained the thing. It is a question of collection of evidence.

**श्री भैरोंसिंह** : इस बात की एवीडेन्स है that the offence has been committed, and two years have passed.

उसके बाद किस बात की इन्क्वायरी करा रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा क्वेश्चन यों ही रह गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : That is satisfied.

**श्री भैरोंसिंह** : इसमें सेटिसफेक्शन का सवाल नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Government has said that they are collecting the evidence.

**श्री भैरोंसिंह** : एक क्वेश्चन और पूछ लूं। क्या कॉग्नीजेबल ऑफेन्स की सूचना गवर्नमेंट को मिलने के बाद गवर्नमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

यह उचित समझती है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराये बगैर पुलिस को मामला नहीं दिया जाय ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** यह जानने के लिए कि क्रॉमिनल ऑफेन्स वाकई कमिट हुआ या नहीं, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की आवश्यकता हो तो जरूर कराई जायगी।

**श्री भैरोंसिंह :** गवर्नमेंट की क्या ओपिनियन है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने के पहले कोई राय कायम नहीं कर सकते।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भीमसेन।

### खसरा गिरदावरी, लूणकरणसर

१७५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसीलदार, लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने पटवारियान को आदेश दिये कि खसरा गिरदावरी में केवल काश्तशुदा रकबे को ही काश्तकारान के नाम से दर्ज किया जावे व बाकी बेजड़ रकबा, जो काश्तकारान के कब्जे में है, को आराजी काश्त दर्ज किया जावे। अगर हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगले टर्न पर दे दिया जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** डॉ. चन्द्रकला।

### प्राथमिक शाला, हरिजन बस्ती, हसनपुरा (जयपुर)

१७६. **डा. चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देंगे:—

(१) प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती, हसनपुरा (जयपुर शहर) की स्थापना कब हुई ?

(२) इस समय इस शाला में कक्षावार कितने छात्र व छात्रायें हैं ?

(३) शाला के पास किस लम्बाई-चौड़ाई के कितने कमरे हैं ? इन कमरों में कितनी कितनी खिड़कियां व दरवाजे हैं ?

(४) क्या यह सच है कि उक्त स्कूल का मकान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह मकान शिक्षा विभाग की स्वीकृति से बना है ?

(५) क्या स्कूल के पास पेड़ अथवा अन्य किसी प्रकार की छाया की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो फिर स्कूल के छात्रों के बैठने की क्या व्यवस्था है ?

**उपमंत्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) इसकी स्थापना दिनांक १० जुलाई सन् १९५० को हुई।

(२) पहली कक्षा में आठ छात्र, दूसरी कक्षा में दो छात्र, एक छात्रा, तीसरी कक्षा में १५ छात्र, कुल २६।

(३) एक कमरा १२×८ का है जिसके एक दरवाजा व ३ खिड़कियां हैं।

# Page No.21



(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(४) जी हां, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा।

(५) स्कूल के पास पेड़ या अन्य कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। छात्र कमरे में बैठ कर ही अध्ययन करते हैं।

**डा० चन्द्रकला :** शिक्षा विभाग प्राथमिक शालाओं के लिये जो इमारतें बनवाता है, उसके लिए योजना अथवा आधार भी है क्या ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** जी हां।

**डा० चन्द्रकला :** क्या जो सरकार की योजना अथवा आधार है उसके अनुसार इस प्राथमिक शाला का भवन बनाया गया है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मुझे इसके अनुसार नहीं लगता।

**डा० चन्द्रकला :** क्या इस भवन को बनाते समय, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं था कि....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने निवेदन किया न कि उसके अनुसार नहीं लगता, यह ८×१२ का है उसके अनुसार नहीं लगता।

**डा० चन्द्रकला :** तो फिर सरकार की योजना के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मकान बनाकर नहीं दिया इसके लिये सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** जितना रुपया उपलब्ध था उतना किया, इसमें सरकार के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

**डा० चन्द्रकला :** सरकार की ओर से बनवाया हुआ भवन जिसमें ३ कक्षाओं के लड़के ८×१२ के कमरे में कैसे पढ़ते होंगे, क्या सरकार इस कठिनाई को महसूस करती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** महसूस करती है पर इन परिस्थितियों में कुछ कर नहीं सकती।

प्रश्न संख्या १७७

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

## गूंगों व बहरों का स्कूल, जयपुर

१७८. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में गूंगों और बहरों का स्कूल (Deaf and Dumb School) कब से चल रहा है ?

(२) यह स्कूल पहले किस मकान में चल रहा था, अब यह किस मकान में चलता है ? यह स्थान-परिवर्तन कब किया गया, और क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि गूंगों व बहरों का यह स्कूल, आजकल जिस मकान में चलता है, वह केवल टिन का है, जो गर्मी में अत्यन्त कष्टप्रद होता है ?

(४) क्या सरकार इस स्कूल के बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनकी

(डॉ० चन्द्रकला)

सुविधा के लिए उस अपने पुराने मकान में ले जायगी ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (१) जुलाई, सन् १९४५ से।

(२) पहले यह स्कूल सवाई मानसिंह हाईवे पर स्थित सेठ आनन्दीलाल पोद्दार द्वारा प्रदान किए हुए मकान में चलता था। अब आगरा रोड पर अग्रवाल कालेज के पास बंगला नं० २४ में चल रहा है। यह परिवर्तन दिनांक ११ जुलाई, १९५७ को हुआ क्योंकि स्कूल भवन में सरकार ने राजस्थान कालेज को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

(३) जी हां, केवल चार कमरों को छोड़ कर बाकी सब कमरों की छतें टिन की हैं।

(४) जी हां, जब राजस्थान कालेज का भवन तैयार हो जायेगा।

**डा० चन्द्रकला** : क्या सरकार महसूस करती है कि गूंगों और बहरों को आराम की आवश्यकता नहीं है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : महसूस तो करती है कि आराम तो सभी को मिले, आराम के लिये तो सब कुछ कर रही है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या वे बोलते नहीं इसलिये।

(हंसी)

**डा० चन्द्रकला** : सरकार को क्या क्या आवश्यकता पड़ी कि गूंगों, बहरों को टिन शैड में ले जाया जाय और उनकी जगह राजस्थान कालेज की स्थापना की जाय ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने निवेदन किया कि केवल टिन शैड ही नहीं है, चार कमरे भी हैं, बरामदे हैं फिर टिन शैड है। वैसे देखा जाय तो टिन शैड्स की तो गांवों में बहुत मांग रहती है।

**डा० चन्द्रकला** : प्रश्न तो यह है कि १९४५ से चलते हुए स्कूल को जगह छुड़ा कर दूसरी जगह ले जाया गया, और वह भी गूंगों बहरों का। उनको हटा कर राजस्थान कालेज की स्थापना उस जगह करने का राजस्थान सरकार ने क्यों फैसला किया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : राजस्थान कालेज के लिए दूसरा भवन उपलब्ध नहीं था, उसके लिये भवन बनाया जा रहा है, वह भवन मार्च १९६० तक पूरा हो जायगा, फिर उस स्कूल को वहीं रख दिया जायगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : यह हाउस जिन्होंने डोनेट किया था किन सर्कमस्टान्सेज में डोनेट किया था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : गूंगे बहरों के लिए।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : जब गूंगे बहरों के लिए यह डोनेशन किया गया है तो फिर उनके स्कूल को वहां से क्यों हटाया ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने निवेदन किया न कि राजस्थान कॉलेज के लिये दूसरा भवन उपलब्ध नहीं था, वह ६० तक तैयार हो जायगा और यह स्कूल पुनः इस भवन में आ जायगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : जब इस खास पर्पज़ के लिये, जिन्होंने यह भवन दिया था

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो राजस्थान कॉलेज को इसमें रखते समय क्या ट्रस्टीज़ को पूछा गया था ?

श्री उपाध्यक्ष :

श्री दयाकृष्ण विजय : I wanted to know whether the Government had acquired the permission of the doner for this change ?

श्री उपाध्यक्ष : He said it is a temporary arrangement.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There cannot be any temporary arrangement. When a man donates a thing for a specific purpose, no temporary arrangement can be made without his permission. So whether the donor's permission was obtained in this case ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The donor had no objection to this. Besides, we have not given that building permanently to Rajasthan College. It is merely a question of some temporary arrangement.

श्री श्रीभानसिंह : The question is whether he was consulted when it was used for the purpose of Rajasthan College. This is the question.

श्री उपाध्यक्ष : You mean the donor was consulted ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) He says that he had no objection Does it mean that he was consulted prior to this change ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I don't know whether a prior permission was taken or not But he knows that Rajasthan College is continuing in that building for two years and if he had any objection, he would have represented to the Government which he has not done.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कानून के तहत जो विश है डोनर्स की उसकी विश के खिलाफ, उसकी मंशा के खिलाफ, उस भवन को उस मंशा के विपरीत काम में नहीं लिया जा सकता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया न कि जिस परपज़ के लिये डोनेट किया उसको डिफीट नहीं किया है। एक टैम्परेरी अरेंजमेंट किया है। ६० में ज्योंही राजस्थान कॉलेज का भवन बन जायगा इस स्कूल को वापिस इस भवन में ले आया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

## माध्यमिक शाला, सुल्तानपुर तहसील दीगोद

१७९. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) कोटा जिले में माध्यमिक शालाओं के आवश्यक सामान घड़ी, बोर्ड, टाट, पट्टी, चॉक व ताले आदि के लिये कितना बजट स्वीकृत है ?

(२) उक्त धनराशि में से माध्यमिक

(श्री रामनारायण वर्मा)

शाला, सुल्तानपुर, तहसील टीगोद को कितना रुपया दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि मिडिल स्कूल, सुल्तानपुर में घड़ी, बोर्ड, पट्टियां, चोक, ताले आदि की कमी है और इनके अभाव में पढ़ाई में बाधा हो रही है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इस वर्ष नॉन प्लान बजट में इस सामान के लिये १०५० रु० स्वीकृत हुआ हुआ है।

(२) नकद रुपया किसी भी स्कूल को नहीं दिया जाता है। केवल सामान दिया दिया जाता है।

(३) जी नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

## सुनेल टप्पा के शिक्षकों का स्थायीकरण (फिक्सेशन)

**१८०. श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) मध्यभारत से राजस्थान में विलीन होने वाले भाग सुनेल टप्पा के शिक्षकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं होने का क्या कारण है तथा ऐसे शिक्षकों की क्या संख्या है ?

(२) उपरोक्त शिक्षक इस समय क्या वेतन पा रहे हैं तथा उन्हें क्या मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है ?

(३) इन शिक्षकों को कम मंहगाई भत्ता देने का क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि १ अक्टूबर, सन् ५८ से मंहगाई में राज्य सरकार ने जो बढ़ोतरी की है उसका लाभ भी इन शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में झालावाड़ बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें किराया भत्ता दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सिवाय दो अध्यापकों के सबका फिक्सेशन हो चुका है। ये दोनों अध्यापक केवल मिडिल पास हैं और मध्य-भारत राज्य में से राजस्थान के जिला झालावाड़ में स्थानापन्न अर्थात् एवजी अध्यापकों के रूप में ही आये थे। राजस्थान के नियमों के अनुसार मैट्रिक पास न होने से उनको स्थाई अध्यापक नहीं बनाया गया है। इसलिये ये अब तक स्थानापन्न अध्यापक के ही रूप में प्रतिवर्ष नियत किये जा रहे हैं।

(२) इन दो अध्यापकों को वेतन व मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार मिलता है :

१. श्री मोतीलाल प्रधानाध्यापक प्रा० स्कूल, बोड़ी, वेतन शृंखला ४०—५०, वेतन ४२, भत्ता ३०।

२. श्री भैरूलाल, अध्यापक बोड़ी वेतन शृंखला ४०—५० वेतन ४०, भत्ता ३०।

(३) इन दो शिक्षकों को और शिक्षकों की भांति राजस्थान रेट के हिसाब से मंहगाई भत्ता मिल रहा है। कम मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No.25



(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(४) जी नहीं।

(५) जी हां, प्रतिवर्ष एक बार राज्य कर्मचारियों को अपने अपने रेकार्ड देख लेने का कायदा है, ताकि कोई कमी हो तो वह उसी समय पूरी की जा सके। इसलिए रेकार्ड देखने के लिए सूचना दी गई लेकिन उनका आना अनिवार्य नहीं था। यह उन्हीं के लाभ के लिये है इसलिये यात्रा व्यय नहीं दिया जा सकता।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** उनको बुलाया गया कि आपका रेकार्ड देखा जाय। ऐसी सूरत में बुलाया गया है तो टी. ए., डी. ए. उन्हें मिलना चाहिये।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** उनका आना अनिवार्य नहीं, अगर चाहे कि उनके रेकार्ड में किसी तरह की गलती नहीं रहे तो आयें नहीं चाहें तो न आयें।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** जो प्लान हैड वाले शिक्षक हैं उनका फिक्सेशन कब हुआ ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता, आपने जितनों का पूछा, वह बता दिया।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** पहले मेरा प्रश्न है अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ। आपने कहा, हो गया है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने कहा कि ५८ में से ५६ का हो गया है, दो का नहीं हुआ है, वे परिस्थितियां मैंने निवेदन कर दीं।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में मध्यभारत का वह हिस्सा मिला, उसके कितने दिन बाद में फिक्सेशन हुआ ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्यों नहीं रखता आपने कहा कि मिडिल पास हैं इसलिए उनको अपॉइन्ट नहीं किया। तो क्या राजस्थान में मिडिल पास को अपॉइन्ट नहीं किया जाता है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि उनको कन्फर्म नहीं कर सकते।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** क्या राजस्थान में मिडिल पास टीचर नहीं रखे जाते ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** रखे जाते हैं ८१ टेम्प्रेरी रखते हैं, जिन इलाकों में मेट्रिकुलेट नहीं मिलते हैं वहां मिडिल पास रखते हैं। पर ज्योंही मैट्रिक पास मिलते हैं इनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं।

**चारागाह, रायसर (बीकानेर)**

१८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) रायसर-हिमतासर, तहसील बीकानेर के काश्तकार अपने मौजूदा चरागाह के विकास (वृद्धि) हेतु कितने वर्षों से प्रार्थनापत्र तहसील में देते आ रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(श्री भीमसेन)

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने भी उपरोक्त चारागाह के विकास हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके जानवरों व जमीन का नकशा शामिल करके तहसील में करीब दो वर्ष पहले दे दिया था? अगर हां, तो उपरोक्त वाजिब मांग को क्यों टाला जा रहा है?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम): (१) सन् १९५७ से।

(२) जी नहीं। सन् १९५७ से कार्यवाही चालू है।

(३) मांग को टाला नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायत जिन खसरों की भूमि चारागाह के लिए नियत करा रही है वह भूमि कृषकों के कब्जे काश्त सम्वत् २०१३, २०१४, २०१५ से है और कृषक उक्त भूमि को छोड़ने के लिये तयार नहीं है। माल अधिकारीगण से पता चला है कि गांव में ८७८ बीघा भूमि चारागाह के लिए छोड़ी गई है। जिस पर किसी का काश्त नहीं है ना ही काश्त होती है।

**श्री भीमसेन**: क्या यह सही है कि वहां पर सरकारी जमीन बंजर पड़ी है और वहां पर काश्त की जा सकती है।

**श्री सम्पतराम**: जहां तक चारागाह का सम्बन्ध है, वहां पर ८७८ बीघा भूमि है।

**श्री भीमसेन**: चारागाह का विकास चाहते हैं। वहां पर पशुओं की संख्या को देखते हुए भूमि कम है।

**श्री सम्पतराम**: पशुओं की संख्या देखते हुए जमीन काफी है। रायसर और हिमतासर में कुल पशुओं की संख्या को देखते हुए वहां पर ४९० बीघा जमीन ही होनी चाहिये मगर वहां पर ८७८ बीघा जमीन है। रायसर में ६७४ और हिमतासर में ३०७ इस तरह से कुल ९८१ पशु हैं।

**श्री भीमसेन**: आपने पशुओं की संख्या बताई, क्या उसमें भेड़, बकरी भी हैं या नहीं?

**श्री सम्पतराम**: भेड़ बकरी शामिल नहीं हैं।

**श्री भीमसेन**: क्या आप उनके लिए भूमि चराई के लिए नहीं रखना चाहते?

**श्री सम्पतराम**: यह अलग से प्रश्न है।

**श्री भीमसेन**: क्या आप भेड़ बकरा के लिए भूमि रखना नहीं चाहते?

**श्री सम्पतराम**: इतनी जमीन हमारे पास नहीं है।

**श्री भीमसेन**: आपके कौन से नियम हैं जिनके अनुसार आप उनके लिए जमीन चराई के लिये नहीं छोड़ते हैं। आपने नियमों में बताया है कि इतने पशुओं के......

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): जो चारागाह के अलॉटमेंट के नियम हैं उनकी परिभाषा के अनुसार कह रहे हैं।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली): पशु की क्या परिभाषा है?

**श्री उपाध्यक्ष**: That is contained in the law.

श्री जनार्दनराय नागर : Does the Hon'ble Minister know the difference between man and animal ?

श्री उपाध्यक्ष : That question may be put outside the House.

नेक्स्ट ।

## आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर

१८२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर के प्रिन्सिपल कौन हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ?

(२) वे इस ट्रेनिंग स्कूल में कितने घन्टे, किस विषय का शिक्षण देते हैं ?

(३) वे इस समय किस ग्रेड में चल रहे हैं तथा कितने सालों से काम कर रहे हैं ?

(४) क्या वे इस समय स्थानापन्न हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को पर्मानेन्टली नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :—

(१) आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कूल जयपुर के प्रिन्सिपल श्री एस. के. शर्मा, विकास अधिकारी (उत्पादन) उद्योग विभाग में हैं । उनकी योग्यता निम्न प्रकार है :

(१) एम. ए., बी. एस सी.

(२) भारत सरकार के द्वारा प्रसार अधिकारी की ट्रेनिंग में प्रशिक्षित ।

(२) वे किसी विषय का शिक्षण नहीं देते हैं ।

(३) वे इस समय २००-१०-२८०-१५-४०० की ग्रेड में हैं और यह कार्य वे अपने दूसरे कार्य के अतिरिक्त कर रहे हैं । अभी तक उन्हें प्रिन्सिपल की कोई ग्रेड नहीं मिली है । वे इस कार्य की देखभाल ६ फरवरी सन् १९५९ से कर रहे हैं ।

हां, सरकार इस स्थान पर पर्मानेन्टली योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का विचार रखती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब वे आर्ट एण्ड क्राफ्ट का ज्ञान नहीं रखते तो फिर उनको प्रिन्सिपल बनाने का क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं है कि वे ज्ञान नहीं रखते । वैसे तो भारत सरकार द्वारा ट्रेनिंग पाये हुए हैं । लेकिन अभी तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन के पास सिलेक्शन के लिये कागजात गये हुए हैं जब तय हो जावेगा उस समय दूसरे व्यक्ति को अपॉइन्ट कर लिया जावेगा ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ये कागजात कब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन के पास गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसको साल डेढ़ साल का अर्सा हो गया है । पहले तो तनख्वाह कम थी वह २५० से ४०० थी इसलिये उस स्थान पर कोई योग्य व्यक्ति आया नहीं । चुनांचे बाद में उसकी ग्रेड को रिवाइज करना पड़ा और ४०० से ८०० ई० बी० ६०० तक कर दिया है ।

# Page No.28



**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** What is the minimum qualifications for the post ?

**श्री उपाध्यक्ष :** Is it advertised ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** Yes.

**श्री उपाध्यक्ष :** Then the qualifications must be contained in the advertisement.

नेक्स्ट । १८३

## भूतपूर्व बीकानेर रियासत के आदेशान्तर्गत वसूल की जाने वाली भूंगा आग

१८३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) बीकानेर जिले में 'भूंगा' बीकानेर स्टेट के कौन से परिपत्र द्वारा अब तक वसूल किया जा रहा है ?

(२) क्या उक्त स्टेट के समय सरकारी जमीन कुल रकबे के १० पर्सेन्ट से कम होने की हालत में भूंगा वसूल नहीं किया जाता था ? अगर हां, तो लूणकरणसर तहसील के बीकानेर भटिंडा रेलवे लाइन से पूर्व में पड़ने वाले किन किन गांवों में सरकारी जमीन, कब से १० पर्सेन्ट हिस्से से कम है ? क्या ऐसे गांवों में अब तक भूंगा वसूल किया जा रहा है ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) भूतपूर्व बीकानेर राज्य के सैटेलमेंट के आधार पर।

(२) इस प्रकार का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है।

(६) तहसील लूणकरणसर में केवल एक गांव रामबाग है जो भटिंडा लाइन से पूर्व में है उसका कुल सरकारी रकबा १० प्रतिशत से कम है और भूंगा वसूल होता है।

**श्री भीमसेन** : क्या यह जो भूंगा गैर कानूनी तरीके से वसूल किया गया है वह वापिस दिया जावेगा ?

**श्री सम्पतराम** : गैरकानूनी तौर पर वसूल किया है तो दिया जायगा।

**श्री भीमसेन** : मैं यह कहता हूँ कि १० प्रतिशत से कम सरकारी रकबा है उनसे क्यों वसूल किया जा रहा है।

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): बीकानेर में यह लॉ था। यह १० पर्सेन्ट से ज्यादा जमीन थी उनसे लिया न कि १० पर्सेन्ट से कम है उनसे। आयन्दा के लिये कलेक्टर को ऐसे आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जो भूंगा वसूल किया गया वह कानून के विरुद्ध था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसका जवाब दे दिया गया है आपने उसको सुना नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने कहा कि बीकानेर स्टेट में यह था। अब वापिस देने में दिक्कत आ रही है जो गैर कानूनी वसूल किया गया....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने यह कहा कि अगर गैर कानूनी दिया गया था तो वे उसको वापिस ले सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट।

### ग्राम खोखराना व लूणकरणसर (बीकानेर) के काश्तकारों से वसूल किया गया टाइम बार्ड रेन्ट व भूंगा

१८४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष गांव खोखराना व लूणकरणसर के कई काश्तकारों से टाइम बार्ड रेन्ट (सं० २००४ से २०१२ तक) व सं० २००८ का भूंगा वसूल किया गया ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि सं० २००८ को लगान व भूंगा कहत साली के कारण सरकार द्वारा माफ किया जा चुका था? अगर हां, तो इस वर्ष उपरोक्त गांव में काश्तकारों से उपरोक्त वर्षों का रेन्ट व भूंगा क्यों वसूल किया गया ?

(३) क्या संबंधित पटवारी ने उपरोक्त रेन्ट व भूंगा काश्तकारों पर कायम करने व वसूल करने से पूर्व संबंधित अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लिये थे ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री संपतराम) :
(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जो भी कार्यवाही की गई, नियमानुसार की गई है ।

**श्री भीमसेन** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को मालूम है कि सं० २००८ को लगान व भूंगा कहतसालो के कारण सरकार द्वारा माफ किया जा चुका था ? अगर हां, तो इस वर्ष उपरोक्त गांव में काश्तकारों से उपरोक्त वर्षों का रेन्ट व भूंगा क्यों वसूल किया गया । इसका क्लीयर जवाब नहीं आया । मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि आया वह वसूल किया गया या नहीं ।

**श्री सम्पतराम** : आपका प्रश्न आगे साफ था कि काश्तकारों से टाइम बार्ड रेन्ट (सं० २००४ से २०१२ तक) व सं० २००८ का भूंगा वसूल किया गया । जो टाइम बार्ड था । उसको वसूल नहीं किया गया ।

**श्री भीमसेन** : सं० २००४ से २०१२ तक का वसूल किया या नहीं ।

**श्री सम्पतराम** : आपका प्रश्न यह था कि टाइम बार्ड रेन्ट व सं० २००८ का भूंगा वसूल किया गया । अगर समय में है तो वसूल किया गया ।

**श्री भीमसेन** : मेरा प्रश्न साफ है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : The question is about time barred Bhoonga.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टाइम बार्ड का अर्थ नहीं समझा। टाइम बार्ड का क्या मतलब समझते हैं ।

**श्री भीमसेन** : आप तीन साल से ज्यादा का वसूल नहीं कर सकते ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That does not apply to the Government.

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

### जन सेवा आयोग द्वारा सन् १६५७-५८ व १६५८-५६ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हेतु किये गये व्यक्तियों का चयन

१८५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का

(श्रीदयाकृष्ण विजय)

उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान जन सेवा आयोग ने सन् ५७–५८ व सन् ५८–५९ में किन किन व्यक्तियों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हेतु सिलेक्शन किया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) जिस समय इनके लिये प्रार्थना-पत्र, मांगे गये थे, तब कितने स्थान रिक्त होने की घोषणा की गई थी ?

(३) उपरोक्त दोनों सालों के सलेक्टेड लोगों में से किन २ लोगों को उपरोक्त रिक्त स्थानों पर रक्खा गया ?

(४) क्या यह सही है कि उन वर्षों में जितने स्थान रिक्त घोषित किये गये थे उनसे अधिक व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया गया है। यदि हां तो कितनों को, तथा उनके क्या नाम हैं ?

क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि सार्वजनिक सेवा आयोग, जब तक एक बार सलेक्टेड व्यक्ति पूरी तरह से काम पर नहीं लग जाते, तब तक दुबारा सलेक्शन नहीं करें ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास-मुख्य मन्त्री की ओर से) :

(१) जन सेवा आयोग सलेक्शन की कोई तालिका नहीं बनाता है। केवल परीक्षा में पास होने वाले व्यक्तियों के नाम भेजता है जिसकी प्रतिलिपि ( परिशिष्ट 'अ') सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) जी हां।

(३) इनकी सूची परिशिष्ट (ब) सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(४) केवल १९५८-५९ में घोषित स्थानों से ११ अधिक व्यक्तियों को लिया गया। उनके नामों की सूची ( परिशिष्ट 'स') सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जन सेवा आयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों के नामों की सूची भेजता है जो परीक्षा में पास हो जाते हैं और कोई सलेक्ट लिस्ट नहीं भेजता।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आपने दूसरे प्रश्न में जिसमें यह पूछा गया है कि इसके लिये प्रार्थना–पत्र मांगे गये थे, तब कितने स्थान रिक्त होने की घोषणा की गई थी। इसका आपने उत्तर दिया है, जी हां। कितने स्थानों की घोषणा की गई थी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : १६ की की गई थी उसके बाद में २७ कर दी गई।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : यह २७ क्यों किये गये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : क्योंकि हमको बहुत से अफसरों की जरूरत थी। हमको बी० डो० ओ० मुकर्रर करने थे।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सही है कि यह २७ की घोषणा सलेक्शन के बाद में की गई ?

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्रीअनोपसिंह।

**एक माननीय सदस्य** : प्रश्न संख्या १८६ श्री भैरोंसिंह का है वह रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

## तहसील पचभद्रा के अकालग्रस्त ग्रामों से लगान की वसूली

*८७. अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के तहसील पचभद्रा में गत वर्ष बहुत से गांवों में अकाल की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या लगान की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये ? अगर हां, तो अकाल कब घोषित किया गया व लगान की वसूली न करने के आदेश किस तारीख को भेजे गये ?

(२) क्या यह सही है कि लगान इन आदेशों के भेजने से पहले ही जनवरी माह में वसूल कर लिया गया था ? ऐसे गांवों की लिस्ट कृपया सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या जिन अकालग्रस्त गांवों में लगान वसूल हो गया है उसे रिफंड किया जायगा ?

(४) क्या यह सही है कि पचभद्रा तहसील में कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया और न वहां पर कोई घास चारे का डिपो ही खोला गया ?

(५) सस्ते धान की कितनी दूकानें खोली गई हैं व चारे के डिपो कहां २ पर जारी किये गये ?

(६) अकालग्रस्त गांवों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(१) जिला बाड़मेर की तहसील पचभद्रा को ६४ ग्राम सं० २०१५ की खरीफ की फसल में नुकसान होने से राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक ६-४-५९ द्वारा अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। गवर्नमेंट के फार्मल ऑर्डर्स लगान न वसूल किये जाने के दिनांक ३-१-५९ को जारी किये गये थे। जो जिलाधीश के पास दिनांक २७-१-५९ को पहुंचे थे और जिलाधीश ने तहसीलदारों को भेजे जिन्होंने पटवारियों को दिनांक १३-२-५९ को सूचित किया।

(२) हां यह सही है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) राजस्व कर काश्तकारों द्वारा स्वयं जमा कराया गया है। अतः वापिस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) यह सही नहीं है।

(५) सस्ते धान की दुकानें बालोतरा, पचभद्रा, धोव एवं बागावास में व चारे के डिपो बालोतरा व पचभद्रा में खोले गये।

(६) अकालग्रस्त गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री अनोपसिंह** : आपने अभी बताया कि १३-२-५९ को पटवारियों को सूचना दे दी गई। इससे पहले ही उन्होंने उनसे वसूल कर लिया तो फिर उनको राहत क्या मिली ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : किसी एरिया को स्केयरसिटी में डिक्लेयर करने का मतलब यह नहीं होता है कि टोटल आमउन्ट वसूल ही न हो और जो हो गया है वह जमा न हो और उनको वापिस कर दिया जाय।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

जहां पर्टीकुलरली खरीफ की क्रोप का सवाल आता है, किसी स्पेशल केस के लिए गवर्नमेंट रिफन्ड कर सकती है। लेकिन जनरली रिफन्ड करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। सस्पेन्ड करने के आर्डर्स दे दिये गये उससे पहले ही काश्तकारों ने लगान दे दिया तो वह वापिस रिफन्ड नहीं हो सकता।

**श्री अनोपसिंह** : लेट आर्डर्स भेजे इसीलिए काश्तकारों ने दे दिया और यही नहीं कि काश्तकारों ने अपनी मर्जी से दिया हो लेकिन पटवारियों ने उनको दबाव देकर, दबा दबा कर उनसे लिया। मन से लाकर काश्तकारों ने नहीं दिया और मन से लाकर जमा करा दिया, यह गलत बात है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सस्पेन्शन का मतलब रेमिशन नहीं है। जमा करा दिया तो कोई गुनाह नहीं किया।

**श्री अनोपसिंह** : फिर उनको राहत क्या मिली ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : राहत का मतलब यह नहीं है कि जमा करा दिया तो वापिस दे दिया जाय।

**श्री मोतीलाल** : दबा कर उनसे लिया गया क्योंकि लेट आर्डर्स भेजे तो फिर क्या इसके लिए इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं कि उनसे दबा कर वसूल नहीं किया गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have given definite information and there is no question of further enquiry...

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री अनोपसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, उनको दबा कर लिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरे पास समय अधिक नहीं है इसलिए कुछ सीमा रखनी पड़ेगी।

**श्री अनोपसिंह** : इसका जवाब नहीं मिला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : I am short of time. The relevant question has been very rightly replied.

श्री भैरोंसिंह।

## कृषि सहकारी समिति, आसीन्द (भीलवाड़ा)

१८३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आसीन्द कृषि सहकारी समिति, जिला भीलवाड़ा को ग्राम आमेसर तथा उसके आसपास की भूमि नियमों के विपरीत राजस्व अधिकारियों द्वारा अलॉट की गई है ? यदि हां, तो क्यों, और किनके द्वारा ?

(२) क्या यह सही है कि जितनी भूमि अलॉट किये जाने के आदेश जारी हुए थे, उससे ज्यादा भूमि पर इस समिति ने अधिकार कर लिया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस समिति के अधिकार में गोचर भूमि भी है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(४) क्या इस भूमि के अलॉटमेंट करने से पहले इस बात की जांच की गई थी कि इसके सदस्य भूमिहीन काश्तकार हैं तथा ऐसे कातश-

(श्री भैरोंसिंह)

कार हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और कौन कौन सदस्य, किस किस श्रेणी के काश्तकार पाये गये ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय तहसीलदार ने समिति को सरकार से ट्रैक्टर के लिये लोन दिलाने की भी सिफारिश कर दी, जब कि वह अलॉटमेंट नियमित रूप से समिति को नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप–मन्त्री राजस्व** ( श्री संपतराम ) : इसका जवाब कल पेश किया जावेगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : I postpone it.

श्री दयाकृष्ण विजय ।

## कोटा जिले में ओलों के गिरने से हुई फसल की क्षति

१८८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या अप्रेल, ५९ के प्रथम सप्ताह में कोटा जिले में भारी ओला वृष्टि हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ओला वृष्टि से जिले की तहसीलों के ग्रामों में रबी की फसल को भारी क्षति पहुंची है ?

(३) यदि हां, तो कृपया इन ग्रामों की तालिका, वहां हुए नुकसान के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या सरकार ने इन ग्रामों के क्षतिग्रस्त निर्धन परिवारों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

**उप–मन्त्री, राजस्व** ( श्री संपतराम ) : (१) हां, यह सही है ।

(२) हां, यह सही है । कहीं कहीं पर काफी नुकसान हुआ है ।

(३) तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(४) जिन तहसीलों में ओला-वृष्टि से क्षति हुई है उन तहसीलों की रिलीफ खतानियां तैयार की जा रही हैं। सहायतार्थ लगान में छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । जिन कृषकों के लिए छूट प्रस्तावित की हुई है उनके बकाया लगान की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**श्री दयाकृष्ण विजय** : कब से विचाराधीन है ? कब तक आप इसको फाइनेलाइज करके किसानों के लिए घोषित करेंगे । वर्ना तो यह होगा कि लगान वसूल कर लिया और जैसा कि अभी पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि लगान तो वसूल हो गया और उनको छूट के आदेश देर से हुए इसलिए कोई उनको छूट नहीं हुई, इसी तरह से इसके लिए भी कहीं न हो जाय ।

**श्री संपतराम** : नीचे से रिपोर्ट आयी लेकिन कमिश्नर ने ऑब्जेक्शन रेज किये हैं । उनको मीट करने के बाद ही घोषणा की जायगी । जितना हुआ है उसमें भी काश्तकारों को कोई नुकसान होने की बात हो तो ऐसा

(श्री संपतराम)

नहीं है। अमॉउन्ट को सस्पेन्ड कर दिया गया और ज्योंही इसको फाइनेलाइज करेंगे व कम्यु-निकेट कर देंगे।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** ज्यादा रेन्ट वसूल कर लिया तो क्या लौटायेंगे ?

**श्री संपतराम :** उस एक्स्टेन्ड तक तो सस्पेन्ड कर रखा है यदि कायदे कानून के बाद रियलाइज होगा तो होगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** मेरे पास समय नहीं है। इसका उत्तर मेज़ पर रख दिया जावेगा।

(उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास :** दो तीन मिनट में ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा।

(उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**श्री उपाध्यक्ष :** It is already 12. I am sorry I have no time and the question is complete.

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : एक दो मिनट में ही हो जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

## कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (प्रभारी मंत्री, कार्य सलाहकार समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थान करता हूँ।

१२.६ म० प०

## स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वादविवाद

**श्री उपाध्यक्ष :** There are two adjounrnment motions. Preliminaries have not been complete in the second as well as in the first-both. However, I have ascertained the facts from the Government. About adjournment Motion regarding, Dungla notice is not complete under Rule 51 and so it is to be completed, About Motion pertaining to Bhilwara-I have ascertained the facts from the Governmet.

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): भीलवाड़ा के सम्बन्ध में।

**श्री उपाध्यक्ष :** उसमें प्रलिमिनरी पूरी नहीं हुई है और मैंने गवर्नमेंट से अन्सटन किया है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : ऑफिस की तरफ से या सदस्य महोदय, जिन्होंने मूव किया है, उनकी तरफ से ?

**श्री उपाध्यक्ष :** हमारी तरफ से होता तो मैं अर्ज नहीं करता। यह खामी उधर की तरफ से है। I will not discuss it. He may better meet me in the Chamber.

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Then it should be rejected Sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** I have taken a very lenient view otherwise it is likely to be rejected.

**श्री श्रीभानसिंह** : Under the Rules of Procedure, it should either be accepted or it should be rejected. There is no question of leniency.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have rightly used my discretion.

**श्री श्रीभानसिंह** : What is the discretion ?

**श्री उपाध्यक्ष** : That is not a question here.

**श्री श्रीभानसिंह** : But the Hon'ble Member is pressing his motion.

**श्री उपाध्यक्ष** : He is not pressing, I may assure you Sir.

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न यह आता है कि एडजोर्नमेंट मोशन्स, जिसके बारे में स्वामी है, स्टेन्ड करते हैं या नहीं ? Whether these will stand or not ?

**श्री उपाध्यक्ष** : Stands in the Chamber.

(हंसी)

I will not allow any more discussion on this.

१२.८ म० प०

विधाई कार्य

## पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

## राजस्थान गोदाम ( संशोधन ) विधेयक, १९५९

(पुरः स्थापन)

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (उप–मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

## राजस्थान लैंड रेवेन्यु एन्ड पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५९

( पुरः स्थापन )

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** ( मंत्री, आबकारी व कर विभाग ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एन्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करता हूँ।

(विराम)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

## कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृत

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

'यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।'

# Page No.36



**श्री उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करता है ? एवं इसके लिए स्वीकृति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

## राजस्थान टिनेन्सी ( छठा संशोधन ) विधेयक, १६५८

(खण्डशः विचार–विमर्श)

Clause-by-Clause Consideration of The Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment ) Bill, 1958.

**खंड ३ : धारा ३० डी**

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : Mr. Deputy Speaker Sir, so far as this clause is concerned, there has been a lot of discussion and, therefore, I should feel that it should be discussed outside the House before I give a final reply. Therefore, I will request that this Clause may be postponed and another clause may be taken now. I will give reply tomorrow.

**श्री उपाध्यक्ष** : I presume the pleasure of the House to postpone it. Clause 30 E. Shri Damodar Lal Vyas.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है :—

To sub-section (1), the following proviso be added : "Provided that different dates may be so notified for different areas of the State. यह महज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स के लिए लाना जरूरी है इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट प्रस्तुत किया। आशा है इसे स्वीकार किया जायगा।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष इस धारा ३० ई में मेरा संशोधन इस प्रकार है—

(i) In Sub-section (2), the word 'Tehsildar' be replaced by the word 'Panchayat'.

(ii) In Section 30 E, Sub-section (2), the words "or who thereafter comes into possession of any land by acquisition under clause (b) of sub-section (1)" be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो पहला अमेन्डमेन्ट है उसका मकसद है कि जो लैन्ड डिस्पोजल में हो वह पंचायतों के अन्दर में रहे और उसका वितरण भी पंचायतें ही करें। इस प्रकार का राइट वेस्ट करे पंचायतों में।

दूसरा अमेन्डमेन्ट जो मैंने मूव किया है वह इसलिए किया है कि जैसा कि प्रोविजो इसमें रखा गया है if any body acquire land कोई भी आदमी लैन्ड एक्वायर करता है चाहे वह सीलिंग एरिया से कम हो या ज्यादा हो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है तो उस पर पेनेल्टी इम्पोज की जायेगी। मेरा इसके लिए निवेदन यह है कि अगर किसी के पास

# Page No.37



(श्री पी० के० चौधरी)

सीलिंग एरिया से अधिक भूमि है तो उसके लिए रिपोर्ट करने का प्रावधान ठीक है लेकिन जहां सीलिंग एरिया से कम लैन्ड हो वहाँ पर रिपोर्ट का प्रावधान रखना काश्तकारों के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। अगर वह रिपोर्ट नहीं करेगा जैसा कि इस क्लॉज में रखा है उस पर पेनेल्टी इम्पोज की जायगी :

Any person failing intentionally to take a report or to surrender land as required by Sub-section. 2 shall on conviction be punishable with fine... यानी उस पर जुर्माना किया जायगा। मैं समझता हूँ जहां तक उसके होल्डिंग, लैन्ड के एक्वायर करने की बात है उसमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं रखनी चाहिये। इस अमेन्डमेन्ट का मकसद इतना ही है। जमीन एक्वायर करने के बाद यदि सीलिंग एरिया से एक्सेस हो जाती है तो यह प्रावधान रहना चाहिये।

**श्री मोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३० ई में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

The original word 'one thousand, be retained instead of the words 'five hundred, inserted by the Select Committee.

इस क्लॉज के सब-क्लॉज (३) के अन्दर कन्वीक्शन और पनिशमेन्ट का प्रोविजन रखा है। सीलिंग एरिया से जिसके पास ज्यादा लैन्ड है और बाद में एक्वायर करता है तो वह उसे सरेन्डर कर सकता है तहसीलदार के पास। इसमें समय की मियाद तीन महीने की कर दी वह तो ठीक है किन्तु जहां तक पेनेल्टी का सवाल है है ओरीजिनल बिल में उसके लिए एक हजार रुपया रखा था उसको हटाकर ५०० कर दिया गया है। अगर हमको सीलिंग के कानून को इम्प्लीमेन्ट करना है तो जो कुछ पनिशमेन्ट रखा जाय वह एक हजार से कम न हो। क्योंकि जमीन की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं और ऐसी हालत में कोई यह न चाहेगा कि हमारी जमीन जाय इसलिए वह सूचना नहीं दे तो उस पर ५०० की बजाय एक हजार रुपये का जुर्माना रखना चाहिये। ओरीजिनल बिल में जो एक हजार रुपये का जुर्माना था वह पर्याप्त था अगर हम सीलिंग को ठीक तरह से लागू करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार का पनिशमेन्ट रखना चाहिये।

**राजा श्री मानसिंह** (बैर) : Mr. Deputy Speaker Sir, my amendment in the first part is "in Sub-Section (2), delete the second proviso" The Second Proviso reads as :

"provided further that the option afforded by the foregoing proviso shall be subject to the limitation that, where the person surrendering excess land under this sub-section holds lands of which some are encumbered and some are not encumbered, the unencumbered lands shall, so far as may be surrendered in preference to encumbered lands." The first proviso, Sir, states that if a person has a ceiling area in different tehsils or in different areas then the person who is holding the excess land shall have the option

(राजा श्रीमानसिंह)

to surrender the land, whichever he thinks fit provided that the land is encumbered. My contention by moving this amendment is that unless we delete this proviso it means that the agriculturist who normally communicated that he may be holder of larger or more land which we have passed in this House, he will have to maintain accounts of the land and secondly he will have to maintain accounts with regard to the encumbrances of the land remaining with him. The Government have already in further Section 30 GG provided that any encumbered land that vests in the Government that will be removed from out of compensation and if it is not covered by the compensation then the encumbrances will be removed by the Agriculturist. If that provision is there then I don't understand why the Government is making this amendment. It is much easier for the agriculturist that if encumbered land is surrendered to the Government, the Government will have direct dealings with the mortgagee, and also will have payable compensation that may be due to the agriculturist. In any case, where the Government takes encumbered land or unencumbered land they have to maintain a record of the land is surrendered. It will mean no extra labour.

My second amendment is, Sir, to delete sub-section 3. ( Delete Sub-Section 3.)

This sub-section 3 reads as :—

"Any person failing intentionally to make a report or to surrender land as required by Sub-section (2) shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred."

I don't quite understand, Sir, the meaning of this Sub-section. First of all no individual can work out what is the ceiling applicable to him. We don't get which area of the land will remain with the landholder. It is from the records with the Government to work out for an individual as to what is the ceiling area that will be, and that a person may want to surrender land. The Government maintains the record. It will fix the ceiling for the particular land. It can acquire the land through a notice. That notice will have to be served on the agriculturist. As to whether the notice served on him is correct or not, or the land which the Government wishes to acquire is correct or not, where is question of avading the law. I don't understand. I think it will increase corruption in the State. From a Patwari right to Tehsildar. all will be given most for corruption.

My other amendments are subsequent amendments. If this particular amendment is agreed upon and accepted. The amendment is—

"Delete Sub-section (4) with its

(राजा श्री मानसिंह)

proviso" If the Government agrees to accept then this amendment does not require.

Lastly Sir, my amendment is that in Sub-Section (5) the words "or by ejectment under Sub-section (4) shall vest in it free from all encumbrances" be replaced by the words "or by acquisition under the law shall vest in it."

These are my amendments, Sir, and I feel that if the Government is at all inclined to make the law in the interest of the agriculturist then they will agree to my amendments.

**श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३० ई के अन्दर जो उप-धारा (३) है उसमें एक अमेंडमेंट है और वह है ५०० रुपये की जगह १००० रुपये हो जो कि ओरीजिनल बिल में था, वही रिटेन किया जाय। [Retain the original words "one thousand" in place of the words five hundred in Sub-section (3).] मेरी यह मान्यता है कि सब लोग इतने सेन्सीबल हैं और सन् ५३ से ५९ तक जो ७ साल इसमें बीत गये हैं उनमें सभी लोगों को मालूम हो गया है कि सीलिंग का बिल आ रहा है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके ध्यान में यह नहीं हो कि राजस्थान में सीलिंग का कानून आ रहा है और जिनके पास जमीन ज्यादा है उनको सरेंडर करनी है। यदि ऐसी बात होती कि लोगों के पास इस प्रकार का ज्ञान नहीं है इस कारण से जो फाइन है समय पर सरेन्डर नहीं करने का उसको कम कर दें यह बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन सन् ५३ से इस प्रकार की बातें कान में आ रही हैं और सब लोग इस बात को जानते हैं कि सीलिंग का कानून आ चुका है। उसके बावजूद भी जबकि उसे ६ महीने का समय दिया जाता है यदि उसमें भी सरेन्डर नहीं करता है और जमीन को दबाये रखना चाहता है। उसमें यदि कठोरता नहीं बरती जायेगी तो फिर हमारे कानून का कोई मकसद नहीं होगा। अपनी ज़मीन के लिए ५०० रुपये तो हर एक आदमी दे देगा। मैं तो यह मान्यता रखता हूँ कि ज़मीन के अनुपात से ही फाइन की रकम होनी चाहिए। ज़मीन के अनुपात से ही फाइन का अनुपात बढ़ता चला जाना चाहिए। मैं तो इसको मानता हूँ लेकिन उसकी अलग अलग केटेगरीज़ नियुक्त नहीं की जायें तो भी यह आवश्यक है कि हमारा पनिशमेंट इतना वजनदार होना चाहिए कि उससे हर एक आदमी घबराये और घबराकर जो लॉ का उल्लंघन करना चाहता है वह उसके खिलाफ नहीं जाये। इसलिए मैंने इस बात को रखा है कि कम से कम हमारा जो आर्थिक दण्ड हो वह इतना होना चाहिए कि हर एक आदमी के लिए असह्य की सी चीज़ हो और उसके डर से किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन न करे। इस-लिए जो ओरीजिनल बिल में १,००० रुपये के फाइन का प्रोविज़न था उसको ही रखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक अमेंडमेंट जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मूव किया है उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध भी इस आधार पर करता हूँ कि आपने यह कहा है कि राजस्थान के जो भिन्न भिन्न

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इलाके हैं उनमें भिन्न भिन्न डेट्स पर लैण्ड एक्वीज़िशन करेंगे। उनमें भिन्न भिन्न डेट्स पर सीलिंग लागू की जायेगी। यह वास्तव में अन्याय होगा। इससे तो यह होगा कि जो इलाका उनको ज्यादा प्रिय होगा उसी में और जिस इलाके के लोगों को ज्यादा खुश करना चाहेंगे वहां पर प्रशासनिक कारण बताकर सीलिंग को लागू नहीं किया जायेगा। कुछ लोगों को खुश करना होगा और जो उनकी इच्छा होगी वह पूरी हो जायेगी। मेरी मान्यता है कि हमारा कानून सामान्य दृष्टि से सभी लोगों के लिए एकसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान में ऐसा कोई कारण नहीं रह गया होगा कि हम यह धारा इस कानून में रखें कि इस एरिया के अन्दर एक डेट से सीलिंग लागू करेंगे और दूसरे एरिया में दूसरी डेट से। सलेक्ट कमेटी के पास भी यह बिल गया था पता नहीं क्यों सलेक्ट कमेटी ने इस बात को आवश्यकता नहीं समझी कि एक ही कानून में दो तरह की बातें कैसे रह गई। हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय भी उस कमेटी के मेम्बर थे। अगर इसके बारे में वह चाहते तो अपने विचार समिति के सामने रखते, लेकिन कुछ कारणों से जिनके पीछे उनका कोई मकसद हो सकता है वह सलेक्ट कमेटी के सामने इस बात को नहीं लाये। मैं तो कहता हूँ कि इसमें पक्षपात की बू आती है। मुझे यहां यही कहना है कि यदि इस प्रकार की डिफरेन्ट डेट्स डिफरेन्ट पार्ट्स के लिए रखेंगे तो उससे पक्षपात होगा और जिस इलाके के लिए आपकी मर्जी होगी उसमें आप सीलिंग जल्दी से लागू नहीं करेंगे। आज राजस्थान के अन्दर जो विषमता है कि जिन लोगों के पास लैंड सीलिंग के एरिया से ज्यादा है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिक्यूलर एरिया में ज़मीन ज्यादा है। और दूसरे में कम। आपको सब इलाके में ऐसे लोग मिलेंगे और ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा ज़मीन है उनसे लेनी है तो हम किसी पार्ट विशेष को छोड़ दें और कुछ के साथ रियायत करें तो यह मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रकार की धारा रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और इस प्रकार के नियम कभी कानूनों में नहीं रहने चाहिए। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ और इस प्रकार की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार को अधिक जन्म देने वाली होती है इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गड़बड़ी वे बिल में न रहने दें और सीलिंग फिक्स करने की तिथि सभी जगह के लिए एक होनी चाहिए।

मेरा दूसरा विरोध सब-सेक्शन ४ में है और जिसके डिलीट करवाने की कोशिश भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की है। "Without prejudice and in addition to such conviction and fine, the person retaining possession of any land in excess of the ceiling area applicable to him shall be deemed to be a trespaser liable to ejectment from such excess, land and to pay penalty in accordance with clause (a) of Sub-section (1) of Section 183." यदि कोई व्यक्ति जिसने अधिक ज़मीन अपने पास रख रखी है और वह सरेन्डर नहीं करता है तो इस कानून में उसके लिए जो कुछ भी दण्ड है उसके देने के बावजूद भी फिर अधिक समय के लिए रिटेन करता है तो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उसके लिए जो सेक्शन १८३ के अन्दर लागू किया है वह लागू नहीं किया जाये। हम चाहते हैं कि हमारा कानून ऐसा प्रभावी हो कि जो लोग इसका उल्लंघन करना चाहते है उन लोगों के खिलाफ़ सख्ती की कार्यवाही की जाये। जो लोग ऐसे कानून को लगाना चाहते हैं उनकी मन्शा सही नहीं नज़र आती। मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के कानून का उल्लंघन करने के लिए ट्रेसपासर हैं और लाएबल फोर इजेक्ट-मेंट हैं उनको किया जाना चाहिए। इसलिए इसका जो संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मेरे दो विरोध हैं और एक संशोधन है उसको स्वीकार किया जयेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: रावराजा श्री सरदार-सिंह।

(अनुपस्थित)

**श्री अनोपसिंह**:

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल पर माननीय सदस्यों के विचार सुने। जो गलती करते हैं और गलती से या इन्टेन्शनली अपनी जमीन को सरेण्डर करने में देरी कर देते हैं तो उस पर जुर्माना अवश्य होना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने यह फ़र्माया कि यह तो बहुत बड़ा कसूर हो जायेगा कि जिन आदमियों के पास जमीन अधिक है और कानून के तहतरे सरण्डर जिनको करना है करते नहीं हैं, तो वह बहुत भारी सजा का हकदार हो जाता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी अर्ज करूंगा यह मानते हुए कि ignorance of law is no excuse मैं इस बात को मानता हूँ पर यह मुहावरा इग्लैंड में या जहां लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, लिट्रेट हैं, अपने हकों को जानते हैं, और कानून में सलाह देने वाले उनके पास हैं उनके लिए यह होता तो कोई खास बात नहीं थी। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी हालत आज हमारे राजस्थान में है, लोग जिस तरह से अनपढ़ हैं। सुदूर गांवों में रहते हैं जहां कि अभी तक हमारी शिक्षा या सभ्यता का कोई विस्तार ही नहीं है जहां के रास्ते ही बड़े मुश्किल हैं, जहां न तो जीप जाती हैं एक बैलगाड़ी जाती है और जहां इन्सान केवल पैरों पर ही चल सकता है ऐसी ऐसी जगह हैं हमारे राजस्थान में...

**श्री दामोदर व्यास** (राजस्व मंत्री): मेरा अर्ज करना यह है I think the Hon'ble member should have moved his amendment first and then he should have spoken.

**श्री अनोपसिंह**: मैं उसी के दरम्यान में अर्ज कर रहा हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष**: I wish the Hon'ble Member will confine himself to his amendments first.

**श्री अनोपसिंह**: मैं उसी बेकग्राउन्ड में अर्ज कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट यह है कि अगर कोई गलती कर जाता है तो मैं मानता हूँ सजा मिलनी चाहिये, पर फिर भी क्या सभी को एक ही तलवार से काटा जा सकता है, सभी को एक तरह का...

**श्री उपाध्यक्ष**: You always think in terms of a warrior Class.

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : Physically he is too week.

**श्री अनोपसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह मालूम नहीं था कि जो कुछ कानून बनता है........

फिजीकल वीकनेस का कोई मतलब नहीं है। फिज़ीकल वीकनेस कानून में हो जायगी तो वह सब हो जायगा।

Insert the words' except a minor or a widow or a man in the Active Army Service' between the words 'Person' and 'failing' occurring in the first line.इसको आप मानेंगे कि माइनर, विडो या एक्टिव आर्मी सर्विस में रहने वाला आदमी हो सकता है कि आपके यहां कानून बने वह वहां पर बैठे बैठे नहीं जान सकता है कि आपके यहां किस तरह का कानून जमीन पर बना और जिसको वह सम्हाल कर गया है शायद वह गलती कर जाय। आखिर उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। फाइनल रेस्पोन्सिबिलिटी है तो उसी आदमी की है। वह जमीन यहां पर है और वह वहां आर्मी की एक्टिव सर्विस में बैठा हुआ है। वह आदमी नहीं जान सकता है कि किस तरह का कानून निकला है, और उस कानून के तहत उस पर क्या जिम्मेवारी बन सकती है। या एक माइनर है जिसका कि कोई करने वाला नहीं है, उसका कोई काका है या भाई है या और कोई गार्जियन है वह भी बुढ्ढा है या अनपढ़ है जिनसे कानून का कोई मतलब नहीं है, उनको कैसे मालूम होगा कि क्या कानून बना है, और खास कर उनकी वजह से माइनर को धक्का पहुंचाता है, और वह जमीन को नहीं छोड़ता है तो उस पर ५००) रु० जुर्माना हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि वहां सदन में ऐसी चीजों को निकालने से पहले इस बात को सोचें कि हमारे यहां किस तरह की परिस्थितियां, कन्डीशन्स और सरकम्सटान्सेज हैं जिनको कि खयाल करना पड़ेगा, जिनके सामने आंखें मूंदकर कानून बना देते हैं तो कानून फेल होगा और कानून की जिस तरह की पाबन्दी होनी चाहिये वह नहीं होगी। इस कानून से, जो गवर्नमेंट को सहूलियत देने वाला है और लोगों को राहत देने वाला है वह चीज नहीं होगी। इसमें मैं अर्ज करूंगा माननीय सदस्यों से कि यह एक्सेप्शन जरूर रखा जाय। यह कोई बड़ा चौड़ा नहीं है। यह मैं समझता हूँ कि गांव के हर एक आदमी के लिए यह लागू हो जाता है। गांव के ८०फीसदी आदमी ऐसे हैं जो अपने हकूकों और कानून की जिम्मेदारी को नहीं जानते हैं। उस हालत में ब्रॉड हार्टेड होकर ऐसा कानून निकालना पड़ेगा। except a minor or a widow or a man in active army service...

वह किसी वजह से नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़मीन को सरेन्डर नहीं कर सकते हैं टाइम के अन्दर within the limit which is prescribed in the law...उसके लिए कम से कम यह सजा रखी है ५००,रु० फाइन की, यह मेरे खयाल में नही रहे। यह अनूनेसेसरी चीज है। जैसा कि राजस्व मंत्रीजी अकसर फर्माया करते हैं मैं समझता हूँ कि इसको मान लेते हैं तो किसी हद तक एतराज नहीं होगा। सदन भी इस बात पर जोर देकर कहेगा कि यह जो एग्ज़म्पशन है वह एक्सेप्शन करने के लायक है।

(श्री अनोपसिंह)

इसके सिवाय आगे मेरा एक और अमेंडमेंट था इसके सम्बन्ध में ।

Sub-stitute the words 'one hundred' for the words 'five hundred' occurring in the third line.

उसका मतलब सिर्फ यह था कि, मैं इसको मानता हूँ कि लोगों को जिम्मेदारी कानून के तहत में कुछ है । अगर वह पूरी नहीं करता है तो सजा होनी चाहिये । हमको एक इक्वीटेबल व्यू लेना पड़ेगा from the point of view of equity कि वे अनपढ़ लोग हैं जो कि कानून को समझते नहीं हैं और कानून के तहत में जो उनकी ड्यूटीज है उनको पूरा नहीं कर सकेंगे उनके वास्ते ५००)रु० की सजा अगर रख देते हैं बहुत बड़ी बात होगी । हो सकता है कि कई लोग इन्टेन्शनली फायदा उठाना चाहें और उस लिहाज से जो करते हैं और इन्टेन्शनली गवर्नमेंट को इत्तला नहीं देते हैं, सरेन्डर नहीं करते हैं. और सरेन्डर नहीं करके फायदा उठा लेना चाहते हैं, और हजारों रुपया कमा सकते हैं । शायद ऐसी चीज इन बातों में जो होशियार हैं, इस फन के माहिर हैं वे शायद कर सकते हैं । हर एक इस फन में माहिर नहीं है कि अपनी जमीन को बेचकर हजारों रुपये कमाये । ऐसे चान्सेज हरएक के वास्ते नहीं है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कई इन्टेन्शनली ऐसा शायद करेंगे, गलतियां करेंगे या कुछ ऐसा कहिये कि वह ऐसी नाजायज चीज करेंगे, इसके सिवाय कुछ आदमी ऐसे होंगे जिनका इन्टेन्शन नहीं था, और बिना जाने हुए, कानून की बात नहीं जानते हुए अनइन्टेन्शनली कोई चीज हो जाती है, उसके लिए ५००) जुर्माना रखा गया तो मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज हो जायगी ।

अब आप जानते हैं कि इन्टेन्शनली गलती करने वाले होंगे थोड़े और अनइन्टेन्शनली गलती करने वाले होंगे ज्यादा । उस हिसाब से आप देखेंगे तो यह कानून उनके ऊपर ज्यादा पड़ जायगा जो वाकई में गलती नहीं करना चाहते हैं । उस हालत में इस प्रोविजन में जो ५००)रु० का फाइन रखा गया है उसके कारण इतना कड़ा कर दिया है तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं मानता हूँ कि आपके देखने में, आपके प्रेक्टिकल एक्सपीरेयेन्स में ये चीजें लोगों को खा जायेंगी पब्लिक को हैरान होना पड़ेगा और ५००) की सजा, आप उसको इत्तला नहीं करने में, उससे लिये जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जायगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसलिए अपना यह संशोधन सदन के सामने रखता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीजें रखी हैं वे सिर्फ इसलिए नहीं रखी है कि यहां आकर बोल सकूं या आपके सामने किसी वाद-विवाद की चीज को रख सकूं, मैंने महज लैंड लॉज को रखा है कि गांवों की परिस्थितियों को जानते हुए मैं आपकी अज्ञानता के लिए कुछ नहीं कहता हूँ, मैं प्रेस नहीं करूंगा लेकिन लाचार होकर रखनी पड़ती है । आप यह जानते हुए कि गांवों की कन्डीशन्स किस तरह की हैं, लोग कैसे पढ़े-लिखे हैं, लोगों की कानूनी जानकारी क्या है ? उसके बावजूद भी इस तरह के कानून में इस तरह का प्रोविजन रख देते हैं तो आप अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर रहे हैं और न मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा । इसलिए मैंने सदन के सामने इस संशोधन को रखते हुए अपने

# Page No.44



(श्री अनोपसिंह)

विचार व्यक्त कर दिये हैं। मैं मानता हूं कि राजस्व मंत्रीजी उन पर विचार करेंगे और सदन उन पर जोर देकर इन संशोधनों को मन्जूर करेगा।

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े से में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is a very simple matter.

**श्री चन्दनमल वैद** : That is why I want to say something.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ३० (ई) में काफी संशोधन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं। उस पर एक संशोधन माननीय राजस्व मन्त्री जी का भी है। मैं खास तौर से उस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

( विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर )

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १६५३ से यह बात सुनते सुनते, किसी तरीके से सन् ५६ में हम इस हद तक पहुँचे हैं कि सीलिंग का कानून बनाया जाय और उसके बाद भी सरकार की यह मन्शा है कि इस बिल को अलग अलग इलाकों में अलग अलग तारीखों को कायम करके सीलिंग को लागू करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सीलिंग का जो पर्पज है वह बहुत बड़ा तो डिफीट हो चुका है और थोड़ा बहुत जो बाकी रहा है उसको इस प्रोविजन के तहत और डिफीट कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संख्या कोई दसों हजारों तक पहुंचती है, उसके बावजूद भी अगर माननीय मन्त्री जी यह समझते हैं कि किन्हीं प्रशासनिक कारणों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तारीखों में सीलिंग मुकर्रर करना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि यह कमजोरी के सिवाय और कोई चीज नहीं हो सकती है। हमने जागीरदारी का उन्मूलन एक तारीख को सब जगह पर घोषणा करके किया है। मैं समझता हूँ कि जो सीलिंग का कानून है वह उससे ज्यादा क्रान्तिकारी और बड़ी अहमियत का नहीं है कि अलग-अलग तारीखें मुकर्रर करके उसको लागू करें। उसमें ऐसी बात हो, ऐसा कुछ हो कि जिसके कारण अलग अलग जगह अलग-अलग तारीखें मुकर्रर करना चाहते हैं। और जो यह डर व्यक्त किया है कि संभव है इससे रियासत के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह का एकड़ माना जायगा तो मैं समझता हूँ यह डर अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक होना संभव है।

दूसरी बात जो जुर्माने के सिलसिले में कही गई है उस क्लॉज के इस हिस्से का मैं विरोध करता हूँ। यह बिल जिस रूप में सदन में पेश किया गया था उस रूप में रखा जाता, तो उस समय जुर्माने की सजा वाजिब हो सकती थी। लेकिन आज जिस रूप में हम पास करने जा रहे हैं उस रूप में जुर्माना गैर-वाजिब होगा जैसा कि ३० सी में पास कर चुके हैं। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर सीलिंग दर्ज होगा। अब यह स्टेन्डर्ड एकड़ क्या होगा यह उसको मालूम नहीं है। कोई किसान यह नहीं कह सकता कि उसके पास ३० स्टेन्डर्ड

(श्री चन्दनमल वैद)

एकड़ जमीन है या नहीं। स्टेन्डर्ड एकड़ जब होगा जब कि सरकार तीन तरह के कानून बनायेगी उनको गजट में नोटिफाई करेगी, उसका मैथमेटिकल केलकुलेशन करके हिसाब निकालने के बाद मालूम होगा कि स्टेन्डर्ड एकड़ किसे माना जायगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रोडक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल आदि को देखने के बाद स्टेन्डर्ड एकड़ उसे गिना जायगा जिसमें १० मन गेहूँ पैदा होता है और जहां पर बाजरा पैदा होता है वहां सरकार यह प्रेस्काइब करेगी इतने मन बाजरा के बराबर १ मन गेहूं होता है। यह प्रेस्काइब करने के बाद मालूम होगा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ कितना होगा। आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरे पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन है या कम है और इस हालत में मेरे पास जमीन रह जाती है और उस पर आप सजा देते हैं। तो मैं समझता हूँ आप बेगुनाह को सजा देते हैं। एक किसान को कैसे मालूम होगा कि सरकार क्या-क्या नियम पास करने वाली है। कोई किसान बाजरा पैदा करने वाला है कोई गेहूँ, सरसों, तिल या मूंगफली पैदा करने वाला है उनका भाव गेहूँ के भाव के मुकाबले में क्या है, जब तक यह तय नहीं होता तब तक हम किसी किसान को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वह नोटिफाइ करे या सरकार को बतावे कि मेरे पास जमीन ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा है या कम है। उसको कैसे मालूम होगा? क्या उसको स्वप्न आयेगा कि उसके पास कम है या ज्यादा है जब कि सरकार को भी मालूम नहीं, यदि सरकार को मालूम है तो मुझे बतावें कि दौसा तहसील की जमीन के ३० एकड़ को कितने स्टेन्डर्ड एकड़ के बराबर मानते हैं। जब सरकार को यह मालूम नहीं है तो किसान को कैसे मालूम होगा कि उसके पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम है या ज्यादा है। आप किसी को कह दें कि तुम्हारे पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा है और किसी को कह दें कि तुम्हारे पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम है। तो उसको इस बात के लिए सजा देना जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है, कदापि उचित नहीं है। आपका यह कहना है कि कई लोग इन्टेन्शनली नहीं बतायेंगे लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें इन्टेन्शनली नहीं बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में किसी को सजा देना कि तुमने जमीन सरकार को नहीं बताई और तुम्हारे पास ३० एकड़ से ज्यादा है इसलिये तुमको सजा दी जाती है। यह गैरवाजिब अन्यायपूर्ण और गलत बात होगी। इसलिए मैं राजस्व मंत्री-जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जुर्माने की क्लॉज को हटा दें या उसे उस हद तक कर दें कि सरकार पहले नोटिफाई करेगी कि किस तहसील में कितनी जमीन स्टेन्डर्ड एकड़ मानी जायगी। इस पर भी अगर वह नहीं बतावे तब तो जुर्माना करना वाजिब हो सकता है वरना गैरवाजिब होगा। इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३० ई पर सदन में विचार हो रहा है। ३० ई में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो सीलिंग लागू होगा वह राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग तारीख से लागू किया जायगा, यह संशोधन राजस्व मंत्रीजी ने रखा है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा महत्व-पूर्ण बात जो इस क्लॉज़ में है और जिसकी

# Page No.46



(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और संभवतः कई एक माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है वह १ (बी) है इसमें व्यवस्था है :

"Notwith standing anything contained in this Act or in any other law for the time being in force no person shall, as from a date notified by the State Government in this behalf acquire, by purchase, gift, mortgage, assignment lease surrender or otherwise or by devolution or bequest, any land so as to effect an increase in the extent of his holding over the ceiling area applicable to him".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने अभी तीन चार दिन पूर्व इस सदन में ये विचार व्यक्त किये थे कि जो सक्सेशन एक्ट के प्रोविज़न्स होंगे या उसकी तहत किसी आदमी को अधिकार मिलेगा तो उसके बारे में इस कानून की धाराएं लागू नहीं समझी जायेंगी। लेकिन हमने १ (बी) की तहत यह कानून बना दिया कि किसी भी कानून के होते हुए कोई भी सेल, मोर्टगेज, बिक्वेथ आदि किसी भी आदमी के द्वारा किसी भी जमीन के बारे में जो सीलिंग एरिया से ज्यादा है वह नहीं कर सकेगा। और आगे यह भी लिख दिया कि कोई भी आदमी इस ज़मीन को एक्वायर करेगा तो उस आदमी को तीन महीने के अन्दर तहसीलदार के पास रिपोर्ट करनी होगी और यदि वह रिपोर्ट करने में असफल रहा तो उस पर ५०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और उसे ज़मीन से बेदखल किया जायगा और जुर्माना वसूल किया जायगा।

अभी कोटा के माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा था उससे पहले एक संशोधन और था जो नहीं रखा जा सका जिसे सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य रखने वाले थे और इस संशोधन या सुझाव का तात्पर्य यह है कि हमने जब एक बार इस कानून का मतलब यह रखा कि हरएक आदमी को ज़मीन मिले, भूमिहीन किसान को भूमि मिले तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसे सरकार के द्वारा ही मिले या सरकार पहले ले और फिर उसे बांटे। किसी भी तरह से भूमि किसान के पास पहुंचनी चाहिये, चाहे वह किसी भी जरिये से पहुंचे। हमारा यह रेमेडियल मेजर है। किसान को राहत देने के लिये यह कानून है। कानून इसलिये नहीं है कि किसी के पास ज्यादा ज़मीन या ज़ायदाद है तो वह उसे ऊंची कीमत पर बेचे। अगर वह ऊंची कीमत पर बेचता है तो उससे उसे बचाया जायगा। हरएक कानून की मंशा होती है। इस कानून की मंशा यह है कि भूमिहीन किसान को ज़मीन दी जाय। यदि किसी आदमी ने अपनी अधिक भूमि में से किसी भूमिहीन को ज़मीन दे दी है तो इसमें हर्ज क्या है। आज के युग में जब सरकार भूमि-दान और ग्रामदान की बात करती है। जब विनोबाजी हमारे राजस्थान में आते हैं, तो हमारी सरकार के मंत्री उनका स्वागत करते हैं। उनका संदेश यह नहीं है कि भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जाय। उनका मकसद यह है कि लोग स्वयं भूमि, भूमिहीनों को दान में दें। उनका मकसद यह है कि लोगों में स्वयं में प्रेरणा और स्फूर्ति आवे और स्वयं भूमिदान दें और वे ऐसा करने में कानून के द्वारा मजबूर न किये जाय। यदि इस प्रकार की व्यवस्था ३० ई में कर देते कि ६ महीने तक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

छूट है जितनी ज्यादा भूमि आपके पास है उसे लोगों में बांट दीजिये, भूमिहीनों को दे दीजिये। ६ महीनों के बाद भी यदि वह भूमि भूमिहीनों को नहीं दी गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन एक बार उनको भी मौका दीजिये। आपने मौका तो लोगों को दिया नहीं और कानून में लिख दिया कि जिस तारीख से यह कानून लागू होगा उसके ६ महीनों के अन्दर अन्दर रिपोर्ट नहीं दी तो ५०० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के लोग अनपढ़ हैं, गरीब लोग हैं, अज्ञान उनके पास है, अशिक्षा उनके पास है, और यह कानून अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो क्या वे हिन्दी तक पढ़ लिख नहीं सकते। आपके नोटिफिकेशन्स गजट में शाया होते हैं, उनको वे पढ़ नहीं सकते। उनसे आप आशा करें कि छः महीने के अन्दर तहसीलदार के पास वे रिपोर्ट कर देंगे। उनको पता नहीं कि आखिर एक स्टेन्डर्ड एकड़ क्या है, और साधारण एकड़ क्या है। मैं निवेदन करूं कि नोटिफिकेशन गजट में शाया होता है, वह गांव में पहुंचता नहीं, वे लोग इसे पढ़ते नहीं। हज़ारों लोग ऐसे हो सकते हैं जो अशिक्षा के कारण रिपोर्ट करने में असफल होंगे। मैं नहीं समझता कि राजस्व मंत्रीजी का तात्पर्य क्या है? उनके पास मशीनरी है, पटवारी, गिरदावर, कानूनगो, नायब तहसीलदार हैं, आपकी पंचायतें हैं, इन सबके होते हुए आप यह जवाबदारी उन लोगों पर रखें, जो कानून को समझते नहीं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी रखें कि अगर वे रिपोर्ट करने में असफल रहे तो ५०० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं सका कि राजस्व मंत्रीजी ने इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बारे में यह जवाबदारी उन लोगों पर कैसे रखी, जो यह समझते नहीं कि स्टन्डर्ड एकड़ है क्या? उनकी क्या बात की जाय, आज अच्छे पढ़े लिखे लोग समझ नहीं सकते कि स्टेन्डर्ड एकड़ क्या है, ऑर्डिनरी एकड़ क्या है, १० मन प्रति एकड़ के हिसाब कितनी ज़मीन को एकड़ माना जायगा, नॉन इर्रिगेटेड लैंड क्या है, इर्रिगेटेड लैंड क्या है, जो कानून पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आता, फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि गरीब किसान इसे समझ सकेगा, वह रिपोर्ट करने जायेगा तहसीलदार के पास और अगर उसने छः महीने में रिपोर्ट नहीं की, तो उस पर ५०० रुपया जुर्माना हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि ५०० रुपये की कीमत की ज़मीन भी उसके पास नहीं होगी, अगर १० मन प्रति एकड़ की पैदावार के हिसाब से हिसाब लगाया जाय तो कहीं ज्यादा आयेगी ज़मीन। लेकिन आपने कानून में रख दिया, मैं समझता हूँ कि शायद कुछ दिनों के बाद आपको संशोधन लाना पड़ेगा। इस पर विचार करें कि इस प्रकार के लोगों पर ज़िम्मेदारी डालना कि वे जायं, और रिपोर्ट करें और रिपोर्ट न करने के कारण ५०० रुपये तक उन पर जुर्माना हो, मैं समझता हूँ कि इससे पहले आप लोगों को इस कानून को समझने दें, उनको मौका दें और उसके बाद इससे भी ज्यादा की पेनल्टी रखें, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि छः महीने के बाद इसे रखिये, इससे पहले इस कानून का प्रचार करें, कानून को समझाने का अभियान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चलायें, उसके बाद पीनल क्लॉज रखेंगे तो यह स्वागत करने के योग्य होगा। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, ३० ई (१) (बी) आपने रखा है, इसमें रखा है devolution of sub-tenancy rights. मैं निवेदन करूं कि एक परिवार में बाप मर गया, तो टिनेन्सी राइट डिवोल्यूड होंगे। इसके साथ ही एक घर में कोई नहीं है, आदमी मर जाता है, तो टिनेन्सी राइट्स राजस्थान काश्तकारी कानून अधिनियम के तहत डिवोल्यूशन होगा। अब वह आज हुआ है, उसकी कार्यवाही चल रही है, मुकद्दमा चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा वह मामला फाइनल नहीं होता, इस स्थिति में आप आशा करें कि तीन महीने में वह रिपोर्ट कर दें। मैं समझता हूँ कि इसमें कई पेचीदगियां पैदा होंगी। एक्वीजीशन के बारे में भी मैं निवेदन करूं कि यह भी आसान नहीं है। कानूनी बात है कि एक्वीजीशन जिस दिन होगा, उसके तीन महीने में रिपोर्ट कर देनी चाहिये। अब एक्वीजीशन में बहुत झगड़े हो सकते हैं। आज जमीन के बारे में, भूमि के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, डिवोल्यूशन ऑफ टिनेन्सी राइट के बारे में जो झगड़े चलते हैं, मुकद्दमे चलते हैं, उस स्थिति में आप आशा करें कि किसी आदमी के कब्जे में जमीन आई है, भले ही उस आदमी ने गलत तरीके से उस पर पजेशन कर लिया है, उस आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, फिर क्या उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। वह आदमी तहसीलदार को तीन महीने में रिपोर्ट करता है और उसके बाद ज्यादा जमीन सरेन्डर कर सकता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इस आदमी का डिवोल्यूशन हुआ कानून के अनुसार लेकिन झगड़ा अभी चल रहा है, वह चल सकता है, उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। मैं समझता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि सिविल लॉ इतना कॉम्प्लीकेटेड है, डिवोल्यूशन, सेल, मोर्टगेज, गिफ्ट के बारे में, इस समय आप गरीब किसान के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि तुम्हारे पास किसी तरह जमीन आये तो उस जमीन पर कब्जा करने के तीन महीने के अन्दर अन्दर तहसीलदार को रिपोर्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ५०० रुपया जुर्माना हो जायगा, लेकिन इसकी आमदनी का और झगड़े का कौन हिसाब करेगा। मैं समझता हूँ कि यह प्रोविजन, जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है, इस पर वे फिर से विचार करेंगे। इसमें एक और चीज आती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वह है एनकम्बर्ड और नॉट एनकम्बर्ड एस्टेट्स के बारे में एक बात कह दूं कि एनकम्बर्ड और नॉट एनकम्बर्ड, इसका मतलब यह है कि सीलिंग एरिया से जो ज्यादा जमीन होगी उसको आप ले लेना चाहते हैं। वह जमीन आपने ले ली, अब अगर कोई जमीन मोर्टगेज है, रहन है, आपने तो कह दिया कि वह जमीन राज्य सरकार में निहित होगी, ऐसा मान कर कि रहन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जमीन पर रुपया दिया है, जिस पर इसका चार्ज है, उसको रुपया कौन दे देगा। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने सब-सेक्शन में लिखा दिया :

All lands coming to the State Government by surrender under Sub-section (2) or by ejectment under Sub-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

section (4) shall vest in it free from all encumbrances.

लेकिन कानून पेमेन्ट करेगा उसका, जो जमीन किसी के यहां रहन रखी हुई, जिस पर किसी ने रुपया लिया हुआ है, जिस जमीन पर किसी ने तकावी ली हुई है, यह एनकम्ब्रेन्स २० तरह का हो सकता है, उसको फ्री फ्रोम ऑल एनकम्ब्रेन्सेज लेना चाहती है, लेकिन उसका रुपया कौन चुकायेगा। इसमें आप रखते कि कम्पेन्सेशन में से काट कर देगी, जैसा आपने ट्रान्सफर के लिए रखा है। आपने रहन के लिए कुछ नहीं रखा कि उसका रुपया कहां से वसूल करेगा, जिसने रुपया दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये था। इन शब्दों के साथ जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं, मैं आशा करता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble Revenue Minister please.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट इसमें पेश हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें दो तरह की राय आई है, एक तो यह है कि अगर सीलिंग एरिया नोटीफाई होने के बाद अगर कोई आदमी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अन्दर इत्तला नहीं देता है, तो उसको सजा नहीं होनी चाहिये, कम सजा होनी चाहिये। एक अमेंडमेंट यह है कि उसको ज्यादा सजा होनी चाहिये, तीन तरह के सुझाव आये हैं। एक एतराज खास तौर पर इस बात काआया है कि जब स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर नहीं है तो public at large को क्या मालूम होगा कि कितनी जमीन है, उसके लिये सजा प्रेस्क्राइब करना वाजिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलतफहमी के कारण यह धारणा है कि स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं है। ३० सी में आप देखेंगे कि स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफिनेशन दी गई है कि प्रेस्क्राइब्ड मेनर में डिटरमिन की जायगी, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमिन करके नोटिफाई करेगी। ऐसा नहीं है कि नोटिफाई पहले कर दे, डिटरमिन नहीं हो! प्रेस्काइब्ड मेनर में डिटरमिन करने की पावर्स दी हैं कि प्रेस्क्राइब्ड मेनर में डिटरमिन करेगी डिफरेन्ट एरिया के लिये for different areas standard acres will be determined... तो स्टेन्डर्ड एकड़ डिटरमिन होगा, ३० ई. के अन्दर में नोटिफाई होगा कि अब किस तारीख को कानून लागू होने जा रहा है अमुक स्थान पर। अब अलग अलग एरिया को अलग अलग तारीख से क्यों लेना चाहते हैं, यह बात दूसरी है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बात कही गई है कि स्टेन्डर्ड एकड़ मालूम नहीं होगा किसान को और जब किसान को मालूम नहीं होता है तो सज़ा किस लिए रखते हो। यह बात नहीं है; जब स्टेन्डर्ड एकड़ डिटरमिन करेंगे तो नोटिफाई गजट में करेंगे। अब यह सवाल रहा कि पनिशमेंट होना चाहिये या नहीं और कम पनिशमेंट होना चाहिये या ज्यादा होना चाहिये। मैं इस राय का हूँ कि पनिशमेंट होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिये। इसलिए होना चाहिये कि जब सीलिंग लागू करने जा रहे हैं तो जिस लैंड पर करेंगे, उसके लिए पहले नोटिफाई करते हैं, जब स्टेन्डर्ड एकड़ निकालने के बाद उसको नोटिफाई करते हैं और छः महीने का समय देते हैं कि उसके अन्दर स्टेन्डर्ड एकड़ के मुता-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चिक लैंड रखे और ज्यादा हो तो सरेन्डर कर दे। फिर मैं वजह नहीं समझता कि कोई पेनल्टी नहीं रखी जाय। जब कोई कानून बनता है तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है। किसी ने सरेन्डर कर दिया, किसी ने नहीं किया, राजस्थान में करोड़ों आदमी रहते हैं, हर एक को चैक करना मुश्किल है। इसलिये यह आब्लीगेटरी ड्यूटी किसान के ऊपर होनी चाहिये, जिसके पास ज्यादा जमीन है, सीलिंग एरिया से तो वह खुद इत्तिला दे तहसीलदार को और उसे सरेन्डर कर दे। इसलिए जब आब्लीगेटरी ड्यूटी रखते हैं तो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि जब वह अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करता है तो फिर ऐसा इनइफेक्टिव लॉ बनाने का क्या मकसद है। अब यह सवाल है कि १०० होना चाहिये, २०० होना चाहिये, ५०० होना चाहिये। वैसे पहले १ हजार रुपये की सजा रखी गई थी। सीलिंग कमेटी में कुछ सदस्यों का सुझाव था कि कम पनिशमेंट होना चाहिये लेकिन अब इस बहस को सुनने के बाद यह ठीक नहीं समझा और यह नतीजा निकाला कि सजा बढ़नी चाहिये। जो सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि ५०० रु० की जगह १ हज़ार रुपये होने चाहिये, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, (तालियां) इस हद तक पनिशमेंट होना चाहिये। अब रहा सवाल इस बात का कि फ्यूचर एक्वीजिशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर बहस करते हुए कहा कि दो दिन पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि सक्सेशन एक्ट से एक्वायर की हुई जमीन पर, सक्सेशन एक्ट से फ्यूचर एक्वीजिशन से जो ज़मीन आती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन इससे लागू नहीं होगी, फिर इस पर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है ?

जब हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस उद्देश्य में बाधा डालने वाले सब रास्ते बन्द नहीं करेंगे तब तक वह क्या सीलिंग होगा। एक आदमी है....if he acquires land by acquisition by sale or by purchase or by gift... वह अगर सक्सेशन एक्ट से फरदर लैंड एक्वायर करता है तो वह ज्यादा जमीन कैसे रख सकता है। सीलिंग लगाने की मन्शा तो यही है कि सीलिंग एरिया से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहनी चाहिये। स्टेन्डर्ड एकड़ का एरिया रखा है तो फ्यूचर एक्वीजिशन पर रेस्ट्रिक्शन होना लाजिमी हो जाता है। टिनेन्सी एक्ट में भी ४२ में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, उसको यहां दोहरा रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं और सीलिंग एरिया को बराबर ला रहे हैं।

जहां सक्सेशन का सवाल है, फेमिली की डेफिनेशन दी है, सीलिंग एरिया मुकर्रर करने के लिए फेमिली की डेफिनेशन दी है। और कोई खानदान मुश्तरका हिन्दू फेमिली का है या और कोई है तो उसमें जिसका जो शेयर है उस पर डेफिनेशन का असर नहीं पड़ेगा। सक्सेशन लॉ जिसका जिस तरह का शेयर है. उसको उसका वह शेयर दिलाता है, तो उसको उसका शेयर बदस्तूर मिलता रहेगा, इससे सक्सेशन एक्ट से मिलने वाले शेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने यह नहीं कहा कि सीलिंग का इफेक्ट उस पर नहीं होगा, चाहे गिफ्ट सक्से-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शन से हो, किसी भी तरह से हो—एक के पास जमीन आती है तो उस फेमिली को जितनी जमीन अलाउड है उस एरिया से ज्यादा एरिया एक्वायर किया जाता है तो उसको सरेन्डर करना होगा। फ्यूचर एक्वीजिशन पर जब से हमने टिनेन्सी एक्ट बनाया है तभी से यह रखा है। तो सक्सेशन के लिये जो मैंने कहा था साफ कहा था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Is ceiling a continuing process ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is not a continuing process. Once a ceiling is always a ceiling. मगर इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर एक्वीज़िशन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगायें और इसका नतीजा यह हो कि ट्रान्सफ़र, सेल पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है...every person has a right to sell or purchase land. जिनके पास पैसा है, वे जमीनें खरीदते रहेंगे, और हमारा मकसद है कि टिनेन्ट्स, टिलर्स हैं उनके पास जमीने रहें तो उनके पास ज़मीनें नहीं रह कर पैसे वालों के पास ज़मीनें चली जायेंगी। ...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : What do yon say about devolution ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Exactly the same thing which you understand about transfers. I cannot treat devolution and transfer differently. It may be acquisition by any method whatsoever, by devolution, by gift, or by any other method. I treat the them all alike. So I accept the amendment about enhancing the fine from Rs. 500. 00 to 1, 000.00 and do not accept the remaining amendments.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : On point of clarification आप कृपया इतना बता दीजिये कि एक फेमिली में ६ आदमी हैं, ६ आदमियों के परिवार में एक आदमी मर जाता है तो बाई राइट ऑफ सरवाइवरशिप जमीन उस फेमिली में आ जायगी। मान लीजिये उनकी मां भी जिन्दा हैं, बाप भी जिन्दा है और बच्चा हो जाता है तो उसको ज़मीन कहां से मिलेगी ? What would happen in that particular case.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Why do you take only joint family ? There will be aditions in every family. एडिशन हर एक फेमिली में होता रहेगा.... You can't stop births and deaths.

**श्री उपाध्यक्ष** : That means putting the amendments to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में सेक्शन ३० ई पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसके बारे में कुछ कहने वाले थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have already said that on administrative convenience, I have opposed this amendment.

# Page No.52



**श्री उपाध्यक्ष :** जो पक्ष में हों 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों 'ना' कहें। 'हां' पक्ष जीता।

**श्री भैरोंसिंह :** No Sir, 'Noes' have it.

(मत विभाजन घंटी के पश्चात्)

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में सेक्शन ३० ई पर श्री दामोदरलाल व्यास ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

जो पक्ष में हों 'हां' कहें।

('हां' की ध्वनि)

जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

('ना' की ध्वनि)

'हां' पक्ष जीता।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** 'Noesy have it Sir.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** 'Ayes' have it Sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** 'Ayes' to Ayes lobd and 'Noes' to Noes Lobby.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

१ म० प०

**श्री उपाध्यक्ष :** 'हां' ४९

'ना' २६।

संशोधन स्वीकार किया गया।

(तालियां)

[ विभाजन सूची के अनुसार 'हां' तथा 'ना' पक्ष के सदस्य :--

**'हां' पक्ष**

श्री आबिद अली

श्री अमरा

श्री बद्रीप्रसाद

डॉ० बहादुरसिंह

श्री भैरवलाल 'काला बादल'

श्री भैरोंसिंह (खेजरला)

श्री भीमसेन

श्री भोगीलाल पंड्या

श्री चन्दनमल वैद

डॉ० चन्द्रकला

श्री चुन्नीलाल

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री देवा

श्री गनपतीलाल वर्मा

श्री गुलाबसिंह

श्री ज्ञानचन्द

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिप्रसाद

श्री हरिशचन्द्र

श्री जयसिंह राणावत

श्री जुगलकिशोर

श्री ज्वालाप्रसाद

श्री कान्हा

श्री किशनलाल

श्री किशनसिंह

श्री लल्लूराम

श्री लक्ष्मण
श्री मोतीलाल
श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नारायणसिंह (टौंक)
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम भागीडोय
श्री फूला
श्री पी. के. चौधरी।
श्रीमती प्रभा
श्री रामचन्द्र (१२९)
श्री रामदान
श्री रामदेवसिंह
श्री रामलाल बंसीवाल
श्री रावत नहाल
श्री सज्जनसिंह
श्री सम्पतराम
श्रीमती सतवंत कौर
श्री शिवपतसिंह
श्री सोहनलाल
श्री श्रीमानसिंह
श्री तेजपाल
श्री उम्मेदीलाल
श्री वलीमोहम्मद

**'ना' पक्ष**

श्री अनोपसिंह
श्री अर्जुनदास
श्री बालमुकन्द
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री चन्द्रसिंह
श्री दलपतसिंह
श्री दयाकृष्ण
श्री डूंगरसीदास
श्री गज्जा
श्री लादूराम
श्री मदनसिंह
श्री मनरूपराम
राजा श्री मानसिंह
श्री मोगजी
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नरपतसिंह
श्री नाथीसिंह
श्री पृथ्वीराज
श्री रामकिशन
श्री रामनारायण
श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र
श्रीमती शान्तोदेवी
श्री सूरजमल
श्री वीरका ]

श्री पी० के० चौधरी
(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

# Page No.54



**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): उपाध्यक्ष, मेरा तो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने मान लिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

राजा श्री मानसिंह।

**राजा श्री मानसिंह** (वैर) : I press my amendment, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने रखा है स्वीकार किया जाय।

'ना' पक्ष जीता।

**राजा श्री मानसिंह** : 'हां'पक्ष जीता। I would like to have a division, Sir. I have got a right, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : That is alright, you have got a right. But may I request you that a minute before the House has given a decision.

**राजा श्री मानसिंह** : That was entirely on a different question.

**श्री उपाध्यक्ष** : So far as counting is concerned, you know it. But if at all you press, I have no alternative left except to meet it.

**राजा श्री मानसिंह** : I would like to press, Sir, with your permission.

**श्री उपाध्यक्ष** : Then should I seek the indulgence of the House in adopting the second option by requesting the Members of the House to stand. That will save the time.

जो पक्ष में होंवे वे खड़े हो जावें।

(Raja shri Man Singh was exhorting some Members to stand)

Not like that Raja Man Singh. Canvassing on the floor of the House... ....

**राजा श्री मानसिंह** : We are new to this procedure, Sir. This is probably the second time that we have adopted this procedure.

**श्री उपाध्यक्ष** : This is the third time. And I have sought the permission of the House.

जो विपक्ष में हों वें अपने स्थानों पर खड़े हो जावें।

(विराम)

संशोधन गिर गया।

श्री अनोपसिंह।

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेना चाहता।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३० ई पर श्री अनोपसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

# Page No.55



**श्री अनोपसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही अर्ज करूंगा कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने काम की चीज को मंजूर नहीं किया है। यह उनकी मर्जी की चीज है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृति)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सेक्शन ३० ई को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

धारा ३० ई संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

धारा ३० एफ

श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरेन्डर के बाद सीलिंग से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा प्रोविजन है वह है डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो प्रावधान है वह यह है कि 'लैंडलैस और अदर पर्सन्स' की जमीन डिस्ट्रिब्यूट की जाय। मेरा इसमें संशोधन यह है कि 'अदर पर्सन्स' को इसमें से हटा दिया जाय। (The words and other occurring in the sixth line be deleted.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के लिए जो नीति प्रतिपादित की गई है उसमें यह स्पष्टतया बताया गया है कि यह भूमि-हीनों को जमीन देने के लिए है और इसी-लिए यह कानून लाया गया है। लैंड डिस्ट्रि-ब्यूशन की जो नीति है वह हमारे देश में अब परिवर्तित हो गई है और यह हो गई है कि जमीन कोऑपरेटिव्ज को और लैंड लैस को दी जाय। उनके लिए सरकार ने समय समय पर रूल्स निकाले हैं। यदि इसमें "other persons" ये शब्द रह जाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि लैंडलैस से भी दूसरे पर्सन्स को जमीन दे सकते हैं। हमारे देश में और राजस्थान सरकार ने यह नीति प्रतिपादित की है कि दूसरे आदमियों को, पोलिटिकल सफरर्स हैं, उनको यदि जमीन देना है तो सरप्लस लैंड में से ही भूमि दी जाय।

१.२२ म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

सीलिंग लगा कर जो भूमि देना चाहते हैं वह भूमिहीनों को ही देनी चाहिये क्योंकि सीलिंग का भी यही उद्देश्य रखा गया है। अब किस तरह से दी जाय ? जो नियम राजस्थान सरकार बनायेगी अथवा बना चुकी है कि कोई लैंड बिना कोऑपरेटिव्ज के नहीं दी जा सकती है। यह नीति तो ठीक है। फिर उसके बाद अदर पर्सन्स के ये जो वर्ड्स हैं वे लोगों के दिमाग में एक प्रकार की शंका पैदा कर सकते हैं इसलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिये। यह उचित भी है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय,.... ...

**श्री सभापति** Let the amendments be moved first. shri Sribhan singh.

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : I don't want to move my amendment sir.

**श्री सभापति :** ह ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

Yes Shri Bhairon singh.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, सीलिंग का यह बिल जब से इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उस समय से लेकर अब तक न केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों ने ही बल्कि सरकारी पक्ष के मुख्य सदस्यों ने भी इस बात का संदेह प्रकट किया है ।....

**एक माननीय सदस्य** : मुख्य सदस्य से मतलब ?

: ....।

सभी ने संदेह प्रकट किया है कि सरकार के हाथों में जो जमीन सरेन्डर होने के बाद जायेगी उस जमीन को सरकार केवल लैंडलैस टिनेन्ट्स को ही नहीं देगी बल्कि ऐसे लोगों को भी डिस्ट्रिब्यूट किया जा सकता है जो लैंडलैस न हों। इस तरह का यह संदेह जब से माननीय सदस्यों के दिमाग में आया है उस समय से लेकर इस धारा तक इस तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी कि कानूनी ढंग से किस तरह से किसी आदमी को जमीन अलॉट कर सकते हैं। अब उसके लिए उन्होंने एक टेम्प्रेरी प्रोविजन बनाया है और टेम्प्रेरी प्रोविजन बना कर यह कह दिया कि जिस समय तहसीलदार के हाथ में जमीन आ जायगी तो वह जमीन लैंडलैस टिनेन्ट्स को और अदर पर्सन्स के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी दी जा सकती है। सभापति महोदय, अभी दो दिन पहले माननीय राजस्व मंत्रीजी का जो भाषण हुआ था उस भाषण से ऐसा अन्दाज लगा कि राजस्थान में जो उन्होंने आंकड़े तैयार किये हैं उन आंकड़ों के आधार के ऊपर इतने लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं, जिन लैंडलैस टिनेन्ट्स में भी इस जमीन को डिस्ट्रिब्यूट किया जाय तो उनके हिस्से में भी जमीन कम होती है। जो जमीन मिलने वाली है उस अनुपात में जो लैंडलैस टिनेन्ट्स की संख्या है वह ज्यादा है लेकिन जहां अन्दर पर्सन्स इस क्लॉज के अन्दर इन्क्लूड किया जाता है वहां इस बात की शंका होती है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो आंकड़े पेश किये थे उन आंकड़ों में सचाई किस हद तक है। वे इस बात की शंका करते हैं कि सरकार के सामने यह मुसीबत भी पैदा हो सकती है कि लैंड लैस टिनेन्ट्स भी न हों लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले प्रायोरिटी लैंड लैस टिनेन्ट्स को दी जावेगी। यह तहसीलदार की मर्जी पर है कि तहसीलदार लैंड लैस या दूसरे व्यक्तियों को जमीन तकसीम कर दे।

इस कानून में लैंड लैस की व्याख्या की है। उसमें एग्रीकल्चरिस्ट शुमार हो सकता है और इस प्रकार विचार किया है। लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

लैंडलैस, उन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन देंगे जो इस कानून के अन्तर्गत लैंडलैस हैं और उनके पास जमीन नहीं है। लेकिन इस कानून में यह भी व्यवस्था करके चल रहे हैं कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को भी जमीन देने की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। सभापति महोदय, यह कहा जाय कि इस प्रकार के अलॉटमेंट टेम्प्रेरी अलॉटमेंट होंगे तो मुझे इसमें सन्देह होता है। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अपॉइन्टमेन्ट्स होते हैं और उनके लिए एडवर्टाइजमेन्ट्स निकलते हैं, उनमें लिखा होता है कि छः महीने का एक्सपीरियेन्स क्लेरिकल लाइन का जिन क्लर्क्स को होगा उनको क्लेरिकल जोब में अपॉइन्टमेन्ट मिलेगा। इधर छः महीने के हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को अधिकार दे दिये हैं कि वह प्रोविजन बेसिस पर एल. डी. सी. या यू. डी. सी. अपॉइन्ट कर दे। वे ऑर्बीट्रेरी होते हैं और सलेक्शन उनका नहीं होता है। इस तरह से जो ऑर्बीट्रेरी अपॉइन्टमेंट्स होते हैं उनको छः महीने का एक्सपीरियेन्स हो जाता है और बाद में जाकर उस एक्सपीरियेन्स के बेसिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन में सलेक्शन हो जाता है। बाकी वे लोग जो सलेक्शनके द्वारा अपॉइन्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं उनको छः महीने का एक्सपीरियेन्स न होने से वे अपॉइन्टमेंट के लिए एलीजिबल नहीं होते हैं और उनको अपॉइन्टमेंट्स प्राप्त नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी सरकार ने वहीं से प्रेरणा ली होगी। यदि लैंडलैस शब्द की सख्ती से व्याख्या करते हैं तो उनको जमीन अलॉट नहीं कर सकते जो लैंडलैस नहीं हैं, उनको एग्रीकल्चरिस्ट कैसे बनायें तो नये रूप से बनाने के लिए इसमें रखा है कि तहसीलदार जमीन लैंडलैस को भी दे दें और ऐसे लोगों को भी दे दें जो लैंडलैस नहीं हैं। अब यदि उनको कबूल कर लें और सरकार का पर्मानेन्ट डिस्ट्रिब्यूशन मंजूर हुआ, एक साल, डेढ़ साल या दो साल बाद वह इम्प्लीमेन्ट होता है तो उन लोगों को भी एज एग्रीकल्चरिस्ट के नाते जमीन प्राप्त करने का हक हो जाता है कि we are agriculturists. जिस समय जिनको जमीन दी थी 'अदर पर्सन्स' होने के कारण एग्रीकल्चरिस्ट के लिये नहीं थी किन्तु काश्त करने के बाद एग्रीकल्चरिस्ट को हो गई। इसलिये सरकार बैक डोर से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को इसमें घुसाना चाहती है। उनको किसी प्रकार से भी जमीन मिल सके इसलिये यह प्रावधान रखा गया है। वास्तव में अगर आपको उन्हीं लोगों को जमीन देनी है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं और उनके पास जमीन नहीं है और हैं तो भी वह अनइकोनोमिक होल्डिंग है, उन्हीं को जमीन देनी है तो अदर पर्सन्स इस प्रकार रखने की आवश्यकता नहीं। आप इसके साथ साथ यह भी चाहते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको भी जमीन मिल जाय तो यह कानून जो बना रहे हैं उसकी मन्शा के विपरीत आचरण करना होगा। सरकार के सामने इस प्रकार की घटनाएं हैं जिनमें तहसीलदार के हाथ में इस प्रकार के प्रोविजन्स रखने के बाद चाहे सरकार इस बारे में सदन में कितने ही आश्वासन दे दे कि हम किसी प्रकार से भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन देने वाले नहीं हैं लेकिन जहां तहसीलदार के हाथ में इस प्रकार के पॉवर्स दे देते हैं तो वे कभी कभी एस० डी० ओ० से गाइडेड होते हैं वैसी हालत में नॉन एग्री-

Page No.58



(श्रीभैरोंसिंह)

कल्चरिस्ट को भी वे जमीन अलॉट कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने उदाहरण रखूं। राजस्थान में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है। उनको सदन में कई बार रखा गया है। मैं उनको फिर से प्रस्तुत करना नहीं चाहता। मन्त्री लोग भी जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। वे भी अपने आपको एग्रीकल्चरिस्ट मानते हैं और जमीन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी इस परिभाषा में नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार का एडजस्टमेंट केवल पोलिटिकली होता है। मैंने सभापति महोदय, इसी तरह का एक प्रश्न राजस्व मन्त्री से पूछा है और जिसका जवाब उप राजस्व मन्त्री ने कल देने के लिये कहा है उस प्रश्न का मतलब यह है कि किस प्रकार सरकार नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन देती है काश्त के लिये। जिस प्रकार टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिये तहसीलदार के पास एप्लीकेशनें आती हैं उन एप्लीकेशनों में जो सही मायने में काश्तकार हैं उनको कलेक्टर के ऑफिस के आगे सत्याग्रह करने के बावजूद भी जमीन नहीं मिलती। और शहर के लोग केवल जिनका राजनैतिक कारण है गांव की जमीन को अपने नाम अलॉट करवा रहे हैं उनके लिये गलत कानून से जमीन मिल जाती है और जो बेचारे उस गांव के काश्तकार हैं लाख मिन्नतें करने पर भी उनको जमीन नहीं मिलती। हमारी सरकार के सामने एग्रीकल्चरिस्ट और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट दोनों का एक ही दृष्टिकोण बना हुआ है। आज यह बात सही है कि एग्रीकल्चरिस्ट के फायदे का नाम लेकर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिये कानून बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार का कानून में प्रोविजन और लेकुना इसलिये रख रहे हैं ताकि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा पहुँचाया जा सके और उनको एडीशनल प्रोटेक्शन दिया जा सके।

सरकार बार बार यह आश्वासन देती है कि हम एग्रीकल्चरिस्ट को ही जमीन अलॉट करेंगे लेकिन यहां ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां एग्रीकल्चरिस्ट से जमीन छीन ली जाती है और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन का अलॉटमेंट होता है। सभापति महोदय, यहां पर ऐसा भी हुआ है कि एक आर्डर के तहत नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन अलॉट करने के पावर्स दे दिये जाते हैं, उनसे जमीन छीनी नहीं जाती और एग्रीकल्चरिस्ट को यदि जमीन अलॉट हो जाती है उनसे जमीन छीन ली गई है; बेचारों के झोंपड़े उठा उठाकर फिकवा दिये गये हैं और राजस्थान सरकार ने यहां तक किया है, हमारे राजस्व मन्त्री के हुक्म से उन लोगों की खड़ी की खड़ी फसलों में जानवर घुसाये गये हैं और उनकी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। ये बातें नादिरशाही हुक्म के समय में हुआ करती थीं लेकिन आज की हमारी प्रजातन्त्रीय सरकार के जमाने में ऐसे कारनामें हुए हैं जिनमें खड़ी खड़ी फसल को बर्बाद किया गया है और उसके लिये राजस्थान सचिवालय से ऑर्डर जाते हैं कि खड़ी फसल को जला दिया जाय। उन काश्तकारों का हजारों रुपये का नुकसान हुआ है इसको किसी को परवाह नहीं लेकिन जो भूमिहीन हैं उनको बेदखल किया गया है। जिन लोगों के पास दो वर्ष से जमीन है जिनको तहसीलदार द्वारा अलॉटमेंट हुआ था उनके लिये कहा जाता है कि यह तो गलत अलॉटमेन्ट कर दिया गया लेकिन अपनी पार्टी के किसी आदमी

(श्री भैरोंसिंह)

को अलॉटमेंट हो जाता है और उसके लिये अगर कोई आन्दोलन करता है तो खून खच्चर हो जाता है, कलेक्टर उन लोगों को गिरफ्तार करके जंगलों में बन्द कर देते हैं। इस प्रकार के जो मामले हुए वे राजस्थान के राजस्व मन्त्री के ध्यान में हैं और मैं समझता हूँ सदन के कतिपय सदस्य भी उनसे अवगत हैं। आज हम देखते हैं कि राजनैतिक पार्टी के लोगों में और सामान्य काश्तकारों में कानून की दृष्टि से भी अन्तर कर रखा है और उसी तरह का यह नॉन एग्रीकल्चरिस्ट का हिमायती क्लॉज है। आज एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन मिलती है तो उसके लिये उसका एप्रोच सेक्रेटेरिएट तक नहीं हो सकता और उन लोगों को जमीन मिल जाती है जिनका एप्रोच मिनिस्टरी तक और सेक्रेटेरिएट तक होता है। वे तहसीलदारों को इन्फ्लुएन्स कर सकते हैं खोटे कागजात पेश करके तकावी ले सकते हैं, और उस तकावी से ट्रेक्टर न खरीदकर हाउस बिल्डिंग में वह खर्च हो जाता है फिर भी कोई देखने वाला नहीं। इसी तरह की व्यवस्था इस धारा से होने वाली है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने के लिये राजस्व मन्त्री से प्रार्थना करनी चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। यद्यपि जहां तक यह सवाल है लैंडलैस टिनेन्ट को यह जमीन दी जायगी वहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें जो अदर पर्सन्स का रखा है उसमें क्या दृष्टिकोण है, उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्या वे लोग ही आ सकते हैं जिनकी अनइकोनोमिक होल्डिंग होगी या इसके अलावा दूसरे भी आ सकते हैं। यह स्पष्ट होना चाहिये। राजस्व मन्त्री महोदय ने अदर पर्सन्स को इसलिये रखा है कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उन्हीं के लिये यह लिखा गया है। यदि इस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है।

मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि लैंडलैस को जमीन आखिर इससे मिलेगी कितनी? मेरे दिमाग में तो इसका हिसाब बैठता नहीं। मैं तो यह समझता हूँ जिस प्रकार दो जुलाहे थे उनके पास रूई नहीं रही तो वे आपस में लट्ठमलट्ठा ही करने लगे। कहीं इसी तरह से इसमें भी न हो जाय। थोड़ी बहुत जमीन निकलेगी भी तो वह जमीन शायद ही उन लोगों को मिल पायगी जिन लोगों के पास जमीन नहीं है। मेरा तो यह निवेदन है कि हमें इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि उन लोगों को जमीन मिल सके जिनके पास जमीन नहीं है या कम जमीन है। थोड़ी भी हम खामी रख देते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि इसका लाभ दूसरों को मिल जाता है। सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के कानून बनाते समय किसी प्रकार की खामी नहीं रखनी चाहिये ताकि आगे जाकर किसी प्रकार की दिक्कत पैदा न हो। यह अदर पर्सन्स के रखने के कारण इसमें ऐसे लोग आ जायेंगे जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे। वैसी हालत में जो कानून का मकसद है वह पूरा नहीं हो पायगा....

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): इसीलिये तो "Other persons" रखा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस चीज को माननीय मन्त्री महोदय को क्लीयर करना चाहिये ! जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा ऐसा अक्सर हो जाता है कि जमीन उन लोगों को मिल जाती है जो वाकई में खेती नहीं करते। यह हमारे यहां परम्परा रही है कि जब कभी भी जमीन अलॉट करने का सवाल आया, किसान की और लैंड लैस की खैर–खबर नहीं ली गई। और जमीन उन लोगों को मिली है जिनका सम्बन्ध सरकारी गुट से किसी न किसी प्रकार से रहा हो वे इस तरह से सरकार से सम्बन्ध रखकर जमीन को प्राप्त कर लेते हैं। मैं समझता हूँ जब कि हम इतना बड़ा भारी परिवर्तन करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश इस प्रकार से निकल जाती है तो जो कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं वह कामयाबी हमें मिल नहीं सकती। स्पेसिफिक कारणों के रहने से अगर भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पाती है तो उसको दूर करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : माननीय चेयरमैन महोदय........

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या आप जवाब दे रहे हैं या कोई क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप बोलना चाहते हैं क्या ?

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो ठीक है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : खैर, विड्रॉ तो मैं उनसे कहता हूँ वह कर लेंगे।

**श्री मदनसिंह** : पर इस पर हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और इस समय शायद हम ऐसा कर सकते हैं।

**श्री सभापति** : हां, आप बोलिये....

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो सलूम्बर से माननीय सदस्य आये हुए हैं उनके अमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूँ और सभापति महोदय, जब से यह सीलिंग का बिल यहां आया मैंने स्पष्ट कहा था कि जो गरीब किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने का प्रश्न नहीं आता और केवल राजनैतिक हथकण्डे सरकार ने जमा रखे हैं। मैंने साफ कहा था कि जिन काश्तकारों को जमीन मिलनी थी वह किसान न तो आज गांवों में हैं और न ही खेती करते हैं। वह सब के सब इस बिल के लिए काफी इन्तजार करके कोई बंबई चला गया है, कोई कलकत्ता चला गया है और कोई अहमदाबाद चला गया है और सब के सब मिलों में लगे हुए हैं। अब क्योंकि सरकार को बिल तो पास करना ही है और जमीन देनी ही है इसलिए यह शब्द रखे हैं 'लैंड लैस एण्ड अदर पर्सन्स'। याने जिन लोगों के लिए कानून बन रहा है और जिनको जमीन इसके तहत मिलनी चाहिए वह उनको न मिलकर .. जमीन न जाने कितनी बच जायेगी और 'अदर परसन्स' से क्या मतलब है वह मैं पहले भी दो तीन बार बता चुका हूँ...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा 'अदर पर्सन्स' को क्लेरिफाई कर दूं ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की गलतफहमी न हो और जो मेरी इन्टेन्शन है इसको रखने में उससे शायद डिबेट भी कटशार्ट हो जायेगी। अभी माननीय सदस्य दांता रामगढ़ से आये हुए यहां उपस्थित नहीं हैं .......

Page No.61



श्री मदनसिंह : मैं बैठा हूँ ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास: I am sorry, श्री माधोपुर से आये हुए । खैर वह सुन लेंगे । उन्होंने अपने लम्बे चौड़े भाषण में यह बतलाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉटमेंट होता है उसमें गैर-काश्तकारान को जमीन अलॉट कर दी जाती है । मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि यह बिलकुल गलत है और वह उनके पास छोटे मोटे दो चार उदाहरण हैं सन् ५१ के या सन् ५० के जिनको वह जेब में लिए फिरते हैं और उन्हीं को वह चाहे जब कह देते हैं, मिनिस्टर काश्तकार बन जाते हैं । तो मैं अर्ज करूंगा कि न तो कोई मिनिस्टर काश्तकार बना और न किसी मिनिस्टर ने जमीन ली और अगर किसी ने ली भी है तो उनका लेना वाजिब है । हां, सन् ५२ में मिनिस्टर्स थे उनमें से एक ने ली और जो आज मिनिस्टर भी नहीं हैं ...

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Can we take this as an assurance that no Minister or any of their family members has taken any agricultural land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They have ancestral land, but they have not taken any land on allotment from the Government as other Hon'ble Members have done. अब वह कहते हैं कि 'अदर परसन्स' क्यों रखा है । । आज भी हमारे यहां राजस्थान के अन्दर जितने भी अलॉटमेंट्स के रूल्स हैं उनको ध्यान में रखें तो जहाँ लैंड के अलॉटमेंट के रूल्स हैं उसके अन्दर बिलकुल क्लियर है और बिलकुल क्लियरकट केटेगरीज दी हुई हैं कि इस तरह अलॉटमेंट किया जायेगा । हमें 'अदर परसन्स' रखने की जरूरत इसलिये पेश आई कि जैसे कोई एक्स मिलिट्री सर्विसमैन हैं उनको जमीन के अलॉट के अलग रूल्स हैं, कोई पोलीटिकल सफरर है उसके लिए रूल्स अलग हैं, कोई पोलट्री फार्म है उसको जमीन अलॉट करने के अलग रूल्स हैं, जैसे गौशाला हैं उनको भी अलॉट करने के अलग रूल्स हैं । तो लैंडलैस टिनेन्ट्स के अलावा जिन्हें जमीन अलॉट करनी है उनके लिए फिर क्या लिखेंगे । इसलिये डिफरेन्ट् टाइप्स आफ रूल्स हमारे राजस्थान में हैं and they are in force. और उसके तहत में जो अलग अलग केटेगरीज के लोग हैं जैसे एक्स मिलिट्री परसन है पोलीटिकल सफरर है उसको लैंड अलॉट करते हैं...

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माफ कीजिये, मैं आपको इन्टरप्ट कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा एन्टीसिपेट कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 'अदर परसन्स' क्यों रखा है ।

श्री चन्दनमल वैद : आप तो जवाब ही दे रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : I am only explaining 'other persons'. You will have your right to speak later.

श्री चन्दनमल वैद : यह रिप्लाई नहीं है तो और क्या है 'अदर परसन्स' जो रखा है उसके बजाय यह रख दीजिए ......

श्री दामोदरलाल व्यास : You please bring an amendment. If you have tabled an amendment, I will look into it.

# Page No.62



**श्री चन्दनमल वैद** : वह तो आ गया है कुलुम्दर से आये हुए माननीय सदस्य का।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That I will ask him to withdraw. यह जो मैंने 'अदर परसन्स' रखा है इसकी भावना यह नहीं है कि नॉन एग्रीकलचरिस्ट को दे दी जायेगी। There are different types of rules for allotment to different categories और उसके अन्दर जैसा मैंने बतलाया फ़र्ज कीजिए प्रोजेक्ट एरिया है गंगकैनाल का, भाखरा का प्रोजेक्ट एरिया है, राजस्थान नहर का प्रोजक्ट एरिया है, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया है वहां पर लैंड अलॉटमेंट के रूल्स अलग हैं। उसमें भी लैंडलैस को अलॉट होती है। आज राजस्थान कैनाल के अन्दर इसलिए कि कोई अच्छे काश्तकार वहां लाकर बसायें कि जिससे वहां के लोग ठीक तरह से सिंचाई के साधनों का उपयोग करें और सीखें। इसलिए पंजाब से कुछ लोगों को लाकर हम ज़मीन देंगे ताकि वह समझ लें। इसलिए अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग रूल्स हैं। यह बात नहीं है कि जो काश्तकार होंगे उनको हम ज़मीन नहीं देंगे। मैं चेलेन्ज करता हूँ कि पिछले ५ सालों के अन्दर एक को पॉलीटिकल ग्राउन्ड्स पर ज़मीन अलॉट नहीं की है। जब ग्रो मोर फूड में हजारों बीघा जमीन दी गई थी और जिस समय जमीन की कीमत नहीं थी तो उसके लिए आप कहते हैं कि गलत काम होता है। दो तीन केसेज भीलवाड़ा के बताये, एक्चुएली स्पीकिंग उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों को कानूनी तरीके से ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ उसके लिए भी वह बातें बनाते हैं। तो 'अदर परसन्स' के लिए मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ कि मेरी वही मन्शा है और आज भी राजस्थान में वह रूल्स हैं। ऑलरेडी जो हमारे अनऑक्युपाइड ज़मीन के रूल्स हैं they are very clear. अब जो ज़मीन का अलॉटमेंट होता है वह एक कमेटी करती है। अब उस कमेटी में इस सदन के माननीय सदस्य भी मेम्बर होते हैं, एक तहसील पंचायत का सरपंच होता है। अगर वह अपना डिस्क्रिशन अलग अख्तियार करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। अलॉटमेंट कमेटी अलॉटमेंट करती है। वह अगर अपना गलत डिस्क्रिशन करती है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसी मिनिस्टर के ऊपर लगायें, यह वाज़िब नहीं है। पर्टिकुलरली जब कि उस अलॉटमेंट कमेटी के अन्दर यहां सदन के भी माननीय सदस्य एक सदस्य होते हैं। लेटेस्ट रूल्स में हमने प्रधान को बना दिया है। He will also be a member of that committee. इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या दिक्कत पैदा होती है। अब लॉ को इतना तो फ्लेक्सीबल बनाना पड़ेगा जब कि डिफरेन्ट केटेगरीज़ के लोगों को ज़मीन अलॉट करनी पड़ती है।

**श्री मदनसिंह** : सभापति महोदय, मेरे खयाल से संशोधन रखने वाले माननीय सदस्य को कुछ बातों का मालूम नहीं था और अगर मैं उनको बताऊं तो शायद वह विड्रा न करें और इसमें कुछ चेन्जेज़ करें। इसलिए बहस रहे तो ठीक है। अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने एक्स मिलिट्री सर्विस के लिए कहा तो कोई न कोई उसका रिलेशन टिनेन्ट होता है और ज़मीन उसको देनी है। इसलिए प्रश्न नहीं होता कि यहां पर 'अदर परसन्स' रखा जाये। वह प्रश्न केवल पॉलिटिकल रीजन्स हो सकता है वह मैं थ्रूआउट कह रहा हूं कि जितने भी टिनेन्ट्स हैं वह

(श्री मदनसिंह)

चले गये हैं इस कानून का तीन साल से इन्तजार करते हुए।

श्री सभापति : जो अलॉटमेंट रूल्स हैं उनको क्या यह क्लॉज़ सुपरसीड कर जायेगा?

श्री सोहनलाल भटनागर : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री चन्दनमल वैद : In the middle of the debate how can he withdraw it

श्री सभापति : No. Now the debate? is going on.

श्री चन्दनमल वैद : He cannot withdraw in the middle of the dabate. So I was saying Sir, that the Act will certainly supersede the rules.

श्री सभापति : But the rules are framed in the light of the Act.

श्री चन्दनमल वैद : Any Act will supersede any rules.

श्री सभापति : Not unless it is specifically supersede, because the rules are framed under the provisions of the Act itself.

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि अदर परसन्स के संबन्ध में थोड़ा और क्लेरिफ़िकेशन हो जाता रिटन में या रूल्स में, फ़ार पोलट्री पर्पजेज़, गौशाला एण्ड ऑल दोज़ थिंग्स तो हम कभी भी नहीं सोचते कि मंत्री महोदय के कोई ऐसी चीज़ दिमाग में है कि वे पट्टेदार हैं और बख्शीश करने का ऐसा ठेका लेते हैं जैसा कि राजाओं ने ठेका लिया था। आप आज मिनिस्टर हैं कल नहीं है। ५१ वाले फिर आ जाय। यह डिस्क्रिशन में रह जायगा। रूल्स रह जायेंगे और संभवतः आप रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं रहेंगे। रूल्स में क्यों यह लेकुना रखते हैं। ५१ वाले फिर आ सकते हैं। आप कहते हैं कि ५१ वालों ने किया है तो क्या वे कल नहीं आ सकते हैं क्या ?... ....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने नहीं कहा है कि ५१ वाले मिनिस्टर ने किया है। ५१ के आस पास १, २ साल में जमीन ली थी, और उनको ज़मीन लेने का अधिकार था। कई आदमी ऐसे हैं कि जो मिनिस्टर रह चुके हैं तो क्या जीवन भर वे खेती नहीं कर सकते हैं ? जिन्होंने जमीन ली है वह वाज़िब है। वे आज भी खेती करते हैं और अपने हाथों से हल चला कर खेती करते हैं।

श्री मदनसिंह : दूसरा जो कानून बना है उसके स्टेटमेंट ऑफ़ रीजन्स को देखिये - तो कोई भी कानून का पिछला आधार देखा जाय तो साफ़ दिया हुआ है कि लैंडलैस टिनेन्ट्स; उसमें अदर परसन्स के आने का मतलब यह है कि मिनिस्टर उसको इजारेदार बनाने वाले हैं जो उनका मरजीदां हो....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका भी ध्यान रखेंगे।

श्री मदनसिंह : अब जो अलॉटमेंट हो रहा है उसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर यह चीज रह जाती है तो सिवाय इसके कि पोलिटिकल रीजन्स हैं, वह मैं तो बार-बार कहता हूँ कि यह सारा पूरा जो एक्ट है वह पोलिटिकल रीजन्स के

(श्री मदनसिंह)

लिये ही सारा काम आयेगा। जो बेचारे गरीब काश्तकार थे वह मैं समझता हूँ बाहर हैं, मजदूरी करते हैं। अगर कानून उनके लिये होता तो 'अदर परसन्स' में उनको इन्क्लूड करना चाहिये जो कि बाहर चले गये हैं। इसका कानून बनाते तो ठीक था। मैं समझता हूँ कि इसकी तरह देकर यह समझाते हैं कि पौलट्री और गौशाला के लिए यह चीज है। गौशालाओं के लिये मैं समझता हूँ कि आज भी जमीन है तो इस 'अदर परसन्स' में Do you include cow in 'persons' ? Gaushalas.

(हंसी)

इसकी जबरदस्ती की तरह देकर इस तरह से करते हैं। यह तो साफ जाहिर है कि एमेंडमेंट वापिस होगा, क्योंकि आपने अभी खड़े होकर कहा है कि अभी कह देता हूँ तो वे विड्रा कर लेते हैं। इस तरह से यह अमेंडमेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर यह वर्ड रहा जाता है तो सीलिंग का यह बिल सारा घोटाला है, धोखा है जनता को। मैं समझता हूँ कि अगर यह सीलिंग बिल पास करते हैं तो अदर परसन्स के अन्दर डिस्क्रिशन मिनिस्टर के हाथ में रह जाता है....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मिनिस्टर कन्सर्न्ड के हाथ में नहीं, एलॉटमेंट कमेटी के हाथ में होगा।

**श्री मदनसिंह दांता** : तो क्या अलॉटमेंट कमेटी में फोन नहीं होता है ? क्या तहसीलदार के पास फोन नहीं होता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एम. एल. ए. के. पास भी होता है। आपको कई दफा फोन हुआ होगा।

**श्री मदनसिंह** : तो मैं इन चीजों की डिटेल में नहीं जाऊंगा अन्यथा आप कहेंगे कि पाकेट में इनके भी एक दो चीज होगी। शायद एक दो चीज बता दूंगा। 'अदर परसन्स' में इस तरह से किया है वह आपको भी मालूम है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं बहुत कुछ एक नागोर के केस में कह चुका हूँ। इस तरह से मैं यह मानता हूँ कि इस गवर्नमेंट की मन्शा बिल्कुल मुर्गियों के लिए, मुर्गों के लिए, कुत्तों के लिए है और इसके अलावा नहीं है। लेकिन आपके बजाय दूसरे मिनिस्टर आ सकते हैं तो उसकी गारन्टी रख दें और एक गारन्टी और भी दे दें कि आप जब तक इस कुर्सी पर काम करेंगे और आयन्दा जो मिनिस्टर आयेंगे वे भी इनके अलावा जमीन एलॉट नहीं करेंगे। इसकी भी गारन्टी दे दें तो मैं आपका पक्ष करूंगा '....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मिनिस्टर नहीं आयेंगे यह कौन कह सकता है।

**श्री मदनसिंह** : आपके लड़के जो मेट्रिक पास करके नये काश्तकार होने वाले हैं अब क्या उनके लिए नहीं दी जायगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वह अलॉटमेंट कमेटी....

**श्री मदनसिंह** : But why at all do you have 'other persons' ?

आपका कानून बनता है उसकी दुहाई देकर कहते हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल मुनासिब है। ××××

---

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री सभापति** : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करें। इसमें सेXXXX यह शब्द एक्सपन्ज कर दिये जायं, निकाल दिये जायं।

**श्री चन्दनमल वैद** : माननीय सभापति, जो संशोधन यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : When the Hon'ble Member has sought permission for its withdrawal, I don't think there is any need for further debate.

**राजा श्री मानसिंह (वैर)** : There is no question of any justification.

**श्री सभापति** : Since the debate is open, every hon'ble member has a right to speak. For the sake of convenience I will request the Hon'ble Member that the spirit of the Hon'ble Member who has moved the amendment is known to all the hon'ble Members present, and in consideration of that I shall request that the argument be precise.

**श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर)** : माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में यह मालूम है कि यह संशोधन तो वापिस लिया जायगा तो जब तक सदन की संपत्ति है इसका उपयोग हम को कर लेना चाहिए। वापिस हो जायगा तो हो जायगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि यह कानून जो हम पास कर रहे हैं वह हम किसी खास मकसद से पास कर रहे हैं। इसमें हमारी मन्शा कभी यह नहीं है कि जिनके पास ज्यादा नहीं है उनसे जमीन छीन ली जाय। उससे हमें केवल संतोष हो। मैं समझता हूँ कि इस बिल का मकसद यह नहीं है। इस बिल की मन्शा जो मैं समझा हूँ और जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने समझा है वह यह है कि बहुत से लोगों को हम जमीन पर आश्रित समझते हैं लेकिन उनके पास पूरी जमीन नहीं है, यानी लैण्ड लैस टेनेन्ट्स हैं जो कि जमीन पर आश्रित हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन ज्यादा है उन लोगों से लेकर किस तरह से उन को जमीन दी जाय कि वे भी इज्जत के साथ अपना पेट भर सकें, अपनी जीविका उपार्जन कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस कानून की मन्शा यही है, और यही मन्शा बहुत से माननीय सदस्यों ने जाहिर की थी वह यही थी कि जिनके पास में जमीन नहीं है उन लोगों को जमीन दें और इसके वास्ते कानून बनाया जाय, और उन लोगों से जमीन छीनी जाय जिनके पास में जमीन ज्यादा है। जिस वक्त यह कानून बना उस वक्त यह लिखा होता कि लैण्डलैस और दूसरे परसन्स को जमीन दी जायगी तो मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए, जिस परपज़ के लिए कानून बन रहा है वह पर्पज़ डिफीट हो जाता है।

माननीय मंत्री महोदय ने यह फर्माया है कि पोल्ट्री फार्मस, गौशाला है, एक्स मिलिटरी सर्विसमेन हैं इन सबके लिए जमीन देनी पड़ेगी इसके वास्ते 'अदर परसन्स' दे रखा है। उन लोगों के लिए

---

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

जमीन देते हैं तो लैन्ड लैस के साथ साथ पोल्ट्री फार्मस, गौशाला एन्स मिलिट्री सर्विसमेन आदि इस तरह के लोग जो कि मंत्री महोदय गिना रहे थे, उन सब लोगों के लिए जमीन देना है तो सब लोगों को जमीन देने के लिए'अदर परसन्स' के साथ साथ यह भी मंत्री महोदय कह देते कि other persons prescribed by the Government. तो मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी समझ में आ जाता। यह लिखना 'अदर परसन्स' और हमेशा के लिए दरवाजा खुले रखते हैं तो........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आगे और भी पढ़ लें : इसके आगे लिखा है " in accordance with the rules made in this behalf by the Government"

**श्री चन्दनमल वैद** : मैं पढ़ता हूँ। अगर आपने लिखा है तो मैं मान जाऊंगा।

"...be let out to landless and other persons, whether or not on making payment at the prescribed scale, in the manner laid down in and otherwise in accordance with the rules made..." यह 'अदर परसन्स' को क्वालिफाई नहीं करता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It does. आप रूल्स को देख लें। I want to draw the Hon'ble Member's attention to the rules already in existence. These rules are for allotment of un-occupied land to various categories of persons.

**राजा श्री मानसिंह** (बेर): Do you mean to say that there will be other rules after the passage of this Act?

**श्री चन्दनमल वैद** : माननीय चेयरमेन महोदय, यह अलॉटमेन्ट के रूल्स होंगे। यह बनेंगे किन किन अदर परसन्स को.......

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह बिलकुल उसमें है कि किसको जमीन अलॉट की जायगी और किस को नहीं 'अदर परसन्स' में जो आते हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं। उनकी प्रायोरिटी फिक्सड है। आप देखने की कोशिश कीजियेगा।

**श्री चन्दनमल वैद** : माननीय मंत्री महोदय विश्वास दिलाते हैं कि'अदर परसन्स'की कैटेगरी फिक्स कर देंगे। 'अदर पर्सन्स' में वह नहीं आयेंगे जो जमीन लेने के हकदार नहीं हैं तो मैं विड्रा करता हूँ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार का था, लेकिन मेरे उपस्थित नहीं होने की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। जो संशोधन यहां आया हुआ है 'अदर पर्सन्स' शब्दों को हटा दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जो परिभाषा लैंडलैस टिनेन्ट्स की की गई है वह परिभाषा इतनी विस्तृत है कि उसके आगे 'अदर पर्सन्स' ये शब्द बढ़ायें जाय इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप उस परिभाषा को पढ़ें तो

एम. प.

यह दूसरा व्यक्ति भी जो कोई खेती कर सके वे इसमें आ जायेंगे, यही नहीं कि लैंडलैस हो। बिलकुल दूसरा पेशा करने वाले भी इसमें आ जायेंगे। इसलिये यह रखा जाय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"Landless and other persons who can reasonably be expected to cultivate land." इसमें लिखा है "landless or other persons..." दूसरा आदमी किसी भी तरह का हो चाहे वह लैंडलैस हो या उसके विषय में यह विश्वास हो कि वह खेती कर सकता है तो वह भी इस परिभाषा में आ जाता है इसलिये यह 'अदर' वर्ड अनुचित है, इसकी यहां आवश्यकता नहीं है।

अब यदि यह दलील दी जाय कि पोल्ट्री फार्मिंग या कैटल ब्रीडिंग....

**श्री सभापति** (श्री आबिदअली) : उनकी मन्शा यह थी कि....

**श्री दयाकृष्ण विजय** : पहले मेरी तर्क सुन लीजिये। जहां तक किसान का सम्बन्ध है, पोल्ट्री फार्म्स या कैटल ब्रीडिंग फार्म्स के लिये दे देंगे या किसी दूसरे फार्म के लिये अलॉटमेंट हुआ तो यह डिफाइन करना पड़ेगा। वह 'अदर पर्सन' में नहीं आयगा बल्कि पर्पज डिफाइन होना चाहिये, 'अदर पर्सन' में नहीं आता। Landless persons or having different professions... जिस तरह से कहना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म्स या दूसरे तरह के पर्पज के लिए हो उसे डिफाइन करना चाहिये। किसान की डेफिनेशन के साथ डिफरेन्ट पर्सन्स को इन्क्लयूड नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह है कि किसान की डेफिनेशन दी है उसमें चाहे उसके पास जमीन हो या नहीं लेकिन वह भूमि पर काश्त करने योग्य है और उसके पास जमीन नहीं है तो उसको जमीन दी जा सकती है। फिर यह रहेगा डिफरेन्ट पर्सन्स के लिए, तो पर्सन्स के साथ विशेषण लगाया है लैंडलैस एण्ड अदर पर्सन्स, वे इसमें नहीं आते। जब आप कहते हैं कि रूल्स बना दिए जायेंगे उसमें आ जायगा तो इसमें लैंडलैस पर्सन्स और दूसरे पर्सन्स के विषय में आयेगा वे कौन से पर्सन्स होंगे जिनको जमीन दी जायगी, जब तक यह स्पष्ट करना नहीं होगा तब तक ऐसी चीज होगी जो कानून की तहत नहीं आयेगी। फिर यह दलील हो सकती है कि इस प्रकार के लोग हैं जैसे सोल्जर्स है, सोल्जर्स के पास जमीन नहीं है लेकिन रीजनेबली वे खेती कर सकते हैं। उनके पास शक्ति है जिससे उन्होंने कई काम किये हैं इसलिये वे खेती भी कर सकते हैं, इसलिए वे इस परिभाषा में आ सकते हैं।

अब यह देखा जाय कि पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं वे एग्जेम्प्शन में हैं, वे लोग इसमें आते नहीं हैं....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फिर तो आयन्दा राजस्थान में शायद अलॉटमेंट होने वाला नहीं है, फिर तो पोल्ट्री फार्म्स आयेंगे नहीं, for all times के लिये खत्म हो चुके हैं ?

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आप इस प्रकार के फार्म्स बनायेंगे तो उनके लिये अलग नियम रखें लेकिन यहां पर जिन लोगों के पास सीलिंग एरिया से....

**श्री सभापति** : Ceiling shall not b imposed upon such area...

**श्री दयाकृष्ण विजय** : अब सवाल रहा उसके लिये अलॉट किया जायगा या नहीं, मैं यह कहता हूँ landless or other persons जो इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है वह डिफाइन कर देंगे तो लोगों के दिमाग से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

शक खत्म हो जायगा और यह ध्यान में आ जायगा कि जमीन केवल लैंडलैस पर्सन्स को ही दी है। नहीं तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जो गलतियां होंगी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जायगा और यह मान लिया जायगा कि वे किसान हैं...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि अलॉटमेंन्ट गलत था। सही अलॉटमेंन्ट हुआ था।

**श्री मदनसिंह** (दांताराम गढ़): यदि गलत नहीं था, तो उनको बैठे रहने देते कुर्सियों पर।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अब आप बुला लीजिये।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : उनके पास जमीन नहीं थी दूसरे प्रोफेशन्स से आये थे इसको आप जायज़ समझ लें, लेकिन जो दूसरे प्रोफेशन्स से आजीविका चलाते हैं उनको जमीन अलॉट करना सोशियल जस्टिस नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको अलॉट होनी चाहिये। उनके लिये बल दिया जा रहा है। 'अदर पर्सन्स' में कोई भी खेती पर आ सकता है लेकिन यह सोशियल जस्टिस है कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन का संग्रह है और जो लोग लैंडलॉर्ड बने हैं उनसे जमीन लेकर उनको दी जाय जो कल्टीवेटर्स हैं, हाली, बेली या लेबरर्स हैं, उनको भूमि का स्वामी बनाया जाय। जब हमारा यह उद्देश्य रहता है तो हमारे सामने स्पष्ट बात होनी चाहिये कि प्रायोरिटी लैंड-लैस को देंगे। उसके बाद फिर दूसरे पर्पज के लिये देंगे। लेकिन यह डिफ़ाइन होना चाहिये। आप कहते हैं कि नियम बना देंगे, लेकिन जब तक हाउस के सामने नहीं आता तब तक शंका रहती है कि किन किन पर्पज के लिये भूमि रहेगी क्योंकि पहले भी दुरुप-योग हुआ है इसलिये मैं यह कहता हूँ landless persons for other purposes... जिसको आप देना चाहते हैं उसको नियम में लाना चाहिये। आगे तक 'अदर-पर्सन' नहीं आवे और अदर पर्सन्स को किन पर्पजेज के लिये देंगे इसको भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। इस प्रकार रख देंगे तो लोगों की शंका दूर हो जायगी।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कई माननीय सदस्यों ने सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के पक्ष में बोलते हुए, शंका की है कि 'अदर पर्सन' रखा है वह इस नीयत से रखा है कि ऐसे आदमियों को अलॉट करेंगे जिनके पास काश्त नहीं है। सभापति महोदय, लैंडलैस पर्सन्स की डेफिनेशन दी है उसमें क्लीयर है कि लैंडलैस पर्सन्स वे हैं जिनका पेशा खेती या जिन्हें एक्सपेक्ट किया जाय कि वे काश्त कर सकते हैं। इस हाउस ने मंजूरी दे दी है कि वे पर्सन्स भी इस तारीफ़ में आते हैं जिन्हें रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सके कि वे काश्त कर सकते हैं तो फिर यह अंदेशा रखना कि ऐसे पर्सन्स को अलॉट कर देंगे जो काश्तकार नहीं हैं, उचित नहीं है। स्टेट गवर्नमेंन्ट को ऐसे पॉवर्स हैं कि जो आदमी काश्तकार नहीं है लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वह खेती करने के योग्य है उसको भी जमीन दे सकते हैं। लेकिन राजस्व मन्त्री जी ने क्लीयर कर दिया था कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि जो व्यक्ति काश्तकार नहीं है उनको जमीन अलॉट करदी

(श्री भीमसेन)

जाय। ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिनके अनुसार प्रायोरिटी लैंडलैस पर्सन्स को दी जायगी। इस तरह के अभी जो रूल्स हैं उनको देखते हुए भी 'अदर पर्सन्स' रखना जरूरी है क्योंकि मान लीजिए एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स हैं उनको एग्रीकल्चर की शिक्षा देने के परपज के लिये जमीन देनी है तो नहीं दी जा सकती यदि यह प्रोविजन लॉ में नहीं किया गया तो। लॉ हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिये जो हरएक सर्कम्सटान्सेज को मीट विद कर सके और इसके लिए गवर्नमेंन्ट को पॉवर्स होनी चाहिये।

सभापति महोदय, क्लॉज रखा है लैंड लैस पर्सन्स को जमीन देने के लिये, इसमें आगे लिखा हैं :

"Whether or not on making payment at the prescribed scale."

इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जमीन जो गवर्नमेंन्ट के पास आवे वह लैंडलैस पर्सन्स को दी जानी चाहिये लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिये कि गवर्नमेंट को उचित कीमत देने पर दी जाय। इसमें लिखा है प्रेस्क्राइब्ड कीमत देने पर दी जाय, यह उचित नहीं है। अभी सरकार की ओर से गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जमीन दी जा रही है लेकिन सरकार १० हजार रुपये तक एक मुरब्बे की कीमत लेती है। लैंड लैस पर्सन्स गरीबी की हालत में बने हैं। इसलिये उनसे यदि जमीन की कीमत ली जाय तो वे आबाद नहीं हो पायेंगे इसलिये उनको ओन पेमेन्ट जमीन देना उचित नहीं है। इसलिये गवर्नमेंन्ट को चाहिये कि लैंड रेवेन्यू पर दी जाय, प्राइस लेना वाजिब नहीं होगा।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : On a point of clarification. इसमें रुकावट क्या है कि कोई अलॉटमेंट कमेटी १०० बीघा किसी दूसरे को दे दें। यदि यह हो जाता है तो दूसरे को नहीं मिल सकती है। Is there any bar ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने बता दिया .......

**श्री मदनसिंह** : आपने तो जो पहले कहा है, वही बाद में कहेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप तसल्ली रखिये, तशरीफ़ रखिये, आपके लिए ही कह रहा हूं। आप संतुष्ट हो जायं तो ठीक रहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कुछ, अदर्स, रखने के लिए वजूहात मैंने अर्ज किये थे सदन में, इसके अलावा एजूकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स के लिए सुझाव दिया, माननीय सदस्य, इस प्रकार एग्रीकल्चर कॉलेज वगैरह के लिए, प्लेग्राउन्ड के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सिखाने के लिए भी देनी पड़ेगी। Besides this there is one point. बहुत से फ्रेग्मेंट्स होते हैं, जैसा मैंने परसों बहस में कहा था, छोटे छोटे टुकड़े इन बिटविन थी होल्डिंग्स होती हैं, वे अलॉट नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जिन लोगों को ज़मीन ऑलरेडी दे रखी है, वे अदर्स में नहीं आयेंगे तो कौन आयेगा। बहरहाल to bring the land under cultivation, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। एक बीघा, दो बीघा सरेन्डर होगी, वह एरिया में आती है, यह ऐसी चीज़ है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : डेफिनेट दे दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** डेफ़िनेट आप दीजिये। Better you act accordingly and don't advise. I cannot consider an amendment which is oral. You have neither moved nor tabled any amendment.

**राजा श्री मानसिंह** (बैर) : But Mr. Chairman, it is......

**श्री दामोदरलाल व्यास :** It is not proper Sir. I don't want to be disturbed. मैं यह अर्ज कर था, जो कोई अमेंडमेंट है, उसको एक्स्प्लेन कर दिया 'अदर्स' रखने के लिए ज़रूरत है। मैं यह बात अर्ज कर रहा हूँ कि अलॉटमेंट के रूल्स हैं। Why don't you take them. Absolutely there is no discretion. आपको पता लग जाय कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि चाहे जिसको अलॉट कर दे। There is a body which allots land and in that Allotment Committee there is one Hon'ble Member of the constituency, with one Sarpanch and one Pradhan of the concerning village and Tehsil इसके अलावा और चाहते क्या हैं।

**श्री मदनसिंह :** यह और भी खराब है। It is still worse, that an Hon'ble Member is there

**श्री दामोदरलाल व्यास :** I cannot repeat such words that the Hon'ble Member representing is worse.

**श्री मदनसिंह :** मतलब यह है कि उस मेम्बर........

**श्री दामोदरलाल व्यास :** I don't want to be disturbed, like this Mr. Chairman.

**श्री सभापति :** Order, Order Please.

**श्री मदनसिंह :** मैं अर्ज करूंगा........

**श्री सभापति :** आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप पॉइन्ट ऑफ़ ऑर्डर पर कोई बात कह सकते हैं।

**श्री मदनसिंह :** मैं बोल रहा था जब आपने बीच में इन्ट्रप्ट किया, यह पॉइन्ट है कि असेम्बली के मेम्बर मौजूद हैं, और वे फैसला करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गलत आदमियों को मिलेगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आपके लिए कह दिया।

**श्री सभापति :** श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो बातें बताई, उससे काफ़ी समझ आ गई है। मैं अपना संशोधन विड्रा करता हूँ।

(हंसी)

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि सेक्शन ३० एफ पर श्री सोहनलाल भटनागर ने जो संशोधन रखा है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I withdraw.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३, सेक्शन ३० एफ़ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, सेक्शन ३० एफ़ को स्वीकार किया गया।

धारा ३० जी।

**राजा श्री मानसिंह** (बैर) :On a point of order Sir.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट बाद में है। लेकिन इन्फॉर्मल सा है, आप कहें तो मैं मूव कर दूं।

**राजा श्री मानसिंह** : On a point of Order Sir. According to the Business Advisory Committee's report which has been accepted by this House this typical section 30 G & 30 GG are to be taken tomorrow. According to this we have moved some amendments today. According to Rules, if you consider this clause which we are considering today, then the amendments that have been moved may be admitted.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I don't object and the amendments put by the Hon'ble Member may be taken today. There is no use of adjourning the House instead of utilising its time today.

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदार शहर) : माननीय चेयरमैन, बहुत से माननीय सदस्य, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ कर यह सोच कर चले गये हैं कि कल लिया जायगा, इसलिए कल बोलना है। अब उनको कैसे बुला सकते हैं।

**श्री सभापति** : अपने एडजस्ट कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्लॉज़ चार पर जो नोट है, उसको देख लीजिये। एक व्यवस्था की जा सकती है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : The Hon'ble Speaker is given the power.

**श्री सभापति** : You must be satisfied.

**राजा श्री मानसिंह** : Only then when my amendments are admitted. I have moved some amendments for the clauses that are to be taken tomorrow.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Yes Sir, I have no objection and I will request the House not to object to it.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : What was he doing so far.

**श्री चन्दनमल वैद** : But what about those other Members who have left under the impression that this will be taken tomorrow.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : . No matter.........

**श्री सभापति** : They ought not to have gone.

# Page No.72



**श्री चन्दनमल वैद** : How can they come now.

**श्री दयाकृष्ण विजय** : हाउस ने एक डिसीजन लिया, उसको चेंज करने के लिए कोई डिसीजन होना चाहिए ।

**श्री सभापति**: It may resolve some thing.

**श्री दयाकृष्ण विजय** : कोई प्रस्ताव होना चाहिए कि आगे विचार करना है या नहीं ।

**श्री सभापती** : The Hon'ble Members may go through this note so that the House may be informed.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : May I read it .

मैं पढ़ दूँ । सभापति महोदय, इस नोट में दिया हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है,उसमें है, उपरोक्त समय में आवश्यकतानुसार, अध्यक्ष महोदय द्वारा, समायोजन किया जा सकता है । यह हाउस ने पास किया है and the Speaker has been given the right to adjust. He can do it.

कल का आज, आज का कल ले सकते हैं, यह है । वैसे आज दो बजे बन्द कर दीजिये, कल भी कर दीजिये । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम मुकर्रर करती है । सहूलियत के अनुसार he can do it now.

**श्री सभापति** : Now it is clear

**श्री दामोदरलाल व्यास** : As a matter of fact Hon'ble the Member was a dominant Member in the Committee.

**राजा श्री मानसिंह** : The Hon'ble Minister should not discuss my name here.

**श्री सभापति** : सेक्शन ३० जी, श्री सोहनलाल भटनागर ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : With your permission. Sir,there is one amendment which I move before Shri Sohan lal Bhatnagar does. It is very formal. This amendment is No. 22 Sir. It is only a matter of language. "In clause (i) of sub-section (3) subtitute 'occurring' for 'made."

**डॉ बहादुर सिंह (धौलपुर)** : डेफर कर दिया है, वह ले लें ।

**श्री सोहन लाल भटनागर**: सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट यह है ।

**डा० बहादुर सिंह** : डेफर कर दिया है, यह ले लें ।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : My amendment is that the original sub-section ( 3 ) be retained.

ओरिजिनल ३० जी इसमें यह है :

'The amount of compensation shall be determined by the Sub—Divisional Officer at the scale, in the manner and in accordance with the principles, laid down in section 23,24,25, and 26.

माननीय सभापति महोदय कम्पेन्सेशन का मसला भी बहुत अहम मसला है ।

डा० बहादुरसिंह : आपका क्या संशोधन है ?

श्री सोहन लाल भटनागर : ओरिजिनल क्लॉज ३० । इस मसले को लेकर कई विचारधाराएं आ सकती हैं और यह भी हो सकता कि कोई कम्पेन्सेशन दिया न जाय क्योंकि जिस तरह हवा और रोशनी स्वतन्त्र हैं, इनका उपभोग हर व्यक्ति कर सकता है, उसी प्रकार जमीन बिना ऑक्युपाइड ली, किन्तु कुछ लोगों ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया है, इसलिए सोशियल जस्टिस के लिहाज से यह जरूरी है कि जितनी जमीन वह कमा सकता है, जितना सरप्लस लैंड है, वह बिना कम्पेन्सेशन के लिया जाय लेकिन जैसा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, विधान में है और रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको देखते हुए लैंड की ओनरशिप बिना कम्पेन्सेशन दिये ले नहीं सकते । इस दृष्टी से और जब जागीरदार, जमींदारों को कम्पेन्सेशन दे दिया गया है, यह उचित नजर आता है कि कुछ कम्पेन्सेशन ऐसे लोगों को, जिनके पास से सरप्लस लैंड लिया जा रहा है, दिया जाय तो मैं भी इस मत का हूँ कि कम्पेन्सेशन ज़रूर दिया जाना चाहिये । पर अब देखना यह है कि आर्थिक दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, जो सरप्लस लैंड आने वाली है और उसके कारण जो भार सरकार पर आने वाला है इन सब बातों को देखते हुए हमें इस बात को देखना है कि कम्पेन्सेशन कितना होना चाहिये । मेरे ख़याल से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया है । जब एक विचारधारा थी कि जब ज़मीन ज़ायदाद ली जाय तो मार्केट वेल्यू दी जाय । कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और विधान में यह लिखा गया कि यदि किसी से ज़मीन ज़ायदाद छीनी जाय तो कम्पेन्सेशन दिया जाय पर यह ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वेल्यू के अनुसार कम्पेन्सेशन दिया जाय ।

अब सिम्प्लीसिटी के लिहाज़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि कौनसा प्रोविजन हो सकता है । टिनेन्सी एक्ट में, जिसका कि यह संशोधन बिल है उसमें दफा २३ में यह व्यवस्था दी हुई है, पहले बड़ी कॉम्प्लीकेटेड व्यवस्था दी हुई थी, जब सब-टिनेन्ट खातेदारी राइट्स एक्वायर करता है तो कितना कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा तो एक ही कानून में दो तरह की व्यवस्था कम्पेन्सेशन देने की करें यह ठीक नहीं रहेगा । एक सब-टिनेन्ट खातेदार को या जागीरदार को जो कम्पेन्सेशन देगा उतना ही कम्पेन्सेशन वह सरप्लस लैंड जो इससे आयेगी उसके लिये दिया जाय, तो जो फार्मूला ओरिजिनल बिल में दिया हुआ है वह फोर्मुला बड़ा सिम्पल है । जैसे हमने इसको एक्ट नं० ७, १९५९ क्लॉज २३ में दिया हुआ है :

"The amount of compensation payable to a landholder under sub-section (4) of section 19 for the accrual of rights under that section in respect of the whole or a part of the holding of a tenant of Khudkasht or sub-tenant shall be in the case of un-irrigated lands, fifteen times and in the case of irrigated lands, twenty times—the rent rate sanctioned for such holding or part during the last settlement, where rent in respect thereof has been setteled or' तो माननीय सभापति महोदय, पहले की जो व्यवस्था थी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जैसा कि ओरिजिनल एक्ट में था, उसमें मार्केट रेट कलेक्टर को प्रेस्क्राइब करनी थी और हमने देखा कि राजस्थान में जो मार्केट रेट मुकर्रर की वह एक दूसरी से बड़ी भिन्न थी, उससे काश्तकारों पर बड़ा भार पड़ा। इसके बाद गवर्नमेंट ने सिम्पल फॉर्मूला मल्टीपल ऑफ रेंट का अपनाया, वह तरीका बड़ा सिम्पल है, सीधा है। तो जो कम्पेन्सेशन देने का फॉर्मूला रख रहे हैं, वह मल्टीपल ऑफ रेंट ही रखा जाय।

क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन क्या हो सकता है, इसके लिये कहा जा सकता है कि टिनेन्सी एक्ट में व्यवस्था है कि अनइर्रिगेटेड लैंड का १५ गुना और इर्रिगेटेड लैंड का २० गुना काफी नहीं। फिर क्वान्टम कम्पेन्सेशन का क्या होना चाहिये? सोशियल जस्टिस के लिहाज़ से हमें देखना है कि प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वेल्यू से दिया जाय, एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा है :

Reports of the Committee of the penal on land reforms.

"The amount of compensation should in no case be more than 25 percent of the market value and should not exceed (inclusive of intrest charges) the aggregate of the increase in land revenues for 20 years"

अब जो बिल में फार्मूला दिया हुआ है, वह रखते हैं कि लैंड एक्विजीशन में बांधों के लिये, सड़कों के लिये जो लैंड एक्वायर करते हैं, वही तरीका रखेंगे तो वह बड़ा-काम्प्लीकेटेड होगा और सर्टेन नहीं होगा। लॉ सर्टेन और सिम्पल होना चाहिए। सरप्लस लैंड पर काश्तकारों को बसाना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि सिम्पल तरीका बनायें कि कितना कम्पेन्सेशन देना है। हमें आर्थिक दृष्टि से भी देखना होगा कि जो लैंड लैस हैं उनको लैंड अलॉट की जायगी, कोआपरेटिव बेसिस पर लैंड देने जा रहे हैं, यह जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, उसके अनुसार प्रीमियम लैंड देने वाले हैं, इस दृष्टि से कम्पेन्सेशन की दर अधिक रखेंगे तो राजस्थान सरकार पर इतना अधिक भार बढ़ जायगा कि उस भार को सहना बड़ा कठिन हो जायगा। लैंडलैस पीपुल से तो कुछ लेने वाले नहीं हैं, इससे करोड़ों रुपयों का भार राजस्थान सरकार पर आ जायगा। आर्थिक दृष्टि से, सिम्प्लीसिटी और बिलकुल सीधी होने के कारण पहली जो व्यवस्था है कि in case of unirrigated lands 25 times and in the case of irrigated lands, 20 times. जो फार्मूला है वह ठीक है, उसी फार्मूला को हमें रखना चाहिये

दूसरी दलील है कि एक ही एक्ट में, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का यह संशोधन विधेयक है, इस दृष्टि से जरूरी है कि एक ही एक्ट में दो तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इसमें टिनेन्ट्स को, सब-टिनेन्ट्स को दे रहे हैं उनके लिये सिम्पल फॉर्मूला अपनाया गया है और उसी एक्ट में इस सरप्लस लैंड के लिए डार्क में रखा जाय यह उचित नहीं होगा।

तो मैं लैंड होल्डर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंड एक्विज़िशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे उन्हें कोई ज्यादा नहीं मिलने वाला है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला दिया हुआ है कि In that also twenty times the land revenue has been considered

# Page No.75



(श्री सोहनलाल भटनागर)

sufficient compensation for acquiring the land......

इस दृष्टि से मेरे खयाल से ओरिजिनल बिल में, एक्ट में व्यवस्था है, उसी को रखना ठीक होगा।

**श्री सभापति** : श्री चन्दमल वैद।

( अनुपस्थित )

डॉ० बहादुरसिंह।

**डा० बहादुरसिंह** : (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस धारा जी, पर एक मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

'Sub-section (3) and (4) of the Bill as introduced in the House be retained.'

सवाल सामने यह है कि जो अधिकतम सीमा भूमि की की गई है और उसके बाद जिन लोगों के पास अधिक भूमि होगी, वह भूमि सरकार उनसे ले लेगी तो उसके एवजाने में उन लोगों को क्या दिया जाय। यह सवाल है। जिस वक्त जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिये बिल लाया गया था तो उस वक्त मुआवजा देने का सवाल आया था और जिस समय जमींदारी समाप्त की थी तो यह प्रश्न आया था तो इसमें दो राय नहीं कि मुआवजा दें या नहीं दें। मुआवजा हमें देना है क्योंकि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति से कोई चीज ली जाय तो उसको उसके एवज में मुआवजा देना वाजिब है, इसलिए हम मुआवजा देना चाहते है। पर मुआवजा कितना दिया जाय, यह सोचने की बात है। जिन लोगों ने जमीनें लीं, काश्तकार लोग खुदकाश्त कर रहे हैं, उन लोगों से जमीन ली जायेगी, जो नौकरों से काश्त करवाते हैं या खुद काश्त करते हैं और उनके पास सीलिंग में जो भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है उससे ज्यादा जमीन है तो उनसे वह जमीन लेंगे....

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : आपका बिलकुल गलत खयाल है।

**डा० बहादुरसिंह** : खैर होगा। टिनेन्ट्स को खुदकाश्त के अधिकार दिलाये थे तो टिनेन्ट्स से टिनेन्सी एक्ट के अनुसार मुआवजा दिलाया गया था, आज उनसे वापिस जमीनें मांगते हैं कि जो दूसरी श्रेणी के लोग जिनके पास की जमीनें नहीं हैं, उनको देना चाहते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें थीं उनको, उनका मालिक उनको बनाया जो खेती करते थे।
अब प्रश्न बंटवारे का आया कि आज जिन लोगों ने अधिक जमीन दबा ली किसी भी तरह से। किसी तरह से अधिक जमीन दबा रखी है उन लोगों से वह जमीन लेकर दूसरे लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है उनको दिलाना है एक तो वे बेचारे व्यक्ति हैं। जिनके पास जमीन नहीं है और दूसरे उनकी ऐसी हालत भी नहीं है कि वे जमीन का मुआवजा दे सकें जो सलेक्ट कमेटी ने मुकर्रर किया है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है और प्रस्ताव रखा है कि मूल विधेयक में जो २० गुणा रखा गया है वही दिया जावेगा और उसके देने का तरीका भी स्पष्ट है। तो ऐसी हालत में जो मूल विधेयक में दिया गया है उसमें संशोधन करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि

(डॉ० बहादुरसिंह)

यदि हम उन लोगों के साथ सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो उनके लिये यह आवश्यक है कि हमें उनकी आर्थिक हालत को भी देखना होगा कि उनकी आर्थिक हालत क्या है ? यह तो माना हुआ सिद्धान्त है कि जमीन ईश्वर की देन है। वह न तो बढ़ सकती है और न घट सकती है। इसलिये जितने भी लोग कृषि कार्य करते हैं उनको यह जमीन बराबर बांट दी जावे या जितने लोग रहते हैं उनके अनुसार बांट दी जावे। राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन एक फेमिली को देनी चाहिये। इससे अधिक जमीन, एक कृषि का कार्य करता है उसके पास नहीं रहनी चाहिये। ज्यादा जमीन दूसरे व्यक्ति को, जो कृषि के ऊपर अपनी जिन्दगी बसर करता है उसको देनी चाहिये। सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति को जमीन मिलने वाली है तो ऐसी हालत में उस गरीब के पास कम्पेन्सेशन देने को नहीं होगा। सरकार अपने खजाने से तो कोई कम्पेन्सेशन देगी नहीं वह तो उसी किसान से दिलाया जावेगा जिसको जमीन मिलेगी। इस सामाजिक न्याय का असर उस भूमिहीन किसान पर ही पड़ने वाला है। आखिर आप मुआवजा भी उसी से दिलावेंगे। जब आप उससे मुआवजा दिलावेंगे तो ऐसी हालत में आपको उसकी स्थिति पर विचार करना होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। अगर आप उसको मार्केट रेट से जमीन देंगे तो आप देखेंगे कि गंगानगर जैसे जिले में एक मुरब्बा जमीन है उसकी कीमत १५ हजार या १७ हजार रुपये होगी। इतनी ज्यादा जमीन वह गरीब कहां से लावेगा। अगर ऐसी स्थिति में आप उसको वहां जमीन देना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को वह जमीन देंगे जो वहां के भूमिहीन किसान हैं और लोग है। बड़े बड़े लोग जो ट्रेक्टरों से खेती करते हैं और जिनके यहां दूसरे लोग मजदूरी करते हैं, वे अपने श्रम से कभी खेतों पर काम नहीं करते ऐसे लोगों को तो वह जमीन मिलने वाली है नहीं। बड़े बड़े लोगों के तो ट्रेक्टरों से शानदार काम होते हैं। उन लोगों के पास सरकार इतनी जमीन छोड़ना चाहती है जितनी वे खुद काश्त कर लें। १५ या २० एकड़ जमीन जो सरकार उन गरीब लोगों को देगी जो दो रुपये रोज पर उन बड़े बड़े लोगों के यहां पर मजदूरी करते थे। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वे दो रुपये रोज की मजदूरी करने वाले लोग इतनी अधिक मुआवजे की रकम अदा किसी भी हालत में नहीं कर सकेंगे। इसलिये जो टिनेन्सी एक्ट पर जो मूल विधेयक में व्यवस्था की है उस प्रकार ही मुआवजा देना चाहिये। इसलिये मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है। पेमेंट्स वगैरह किस तरह से होगा। बोन्डस से होगा या किसी भी तरह से हो। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री इस पर विचार कर लें क्योंकि सामाजिक न्याय में यह जरूरी क्लॉज़ है।

अब यह कहा जा सकता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको रिकमन्ड किया है। मैं यह कहूँगा कि सलेक्ट कमेटी ने भी इस पर अवश्य सोचा होगा। मगर फिर भी सदन सर्वोपरि है। आप अपनी राय मूल विधेयक पर दे सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी जमीनों के मुआवजे का मोह छोड़ दे और जब उन्होंने

(डॉ० बहादुरसिंह)

जमीदारियां छोड़ दीं तो थोड़ी सी जमीन भूमिहीन लोगों के लिये भी छोड़ दे तो उनको कोई ज्यादा कम्पेन्सेशन का बर्डन नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूँ।

**श्री सभापति :** श्री पी० के० चौधरी।

( अनुपस्थित )

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : संशोधन इस प्रकार है :—

(1) Insert the words 'in the presence of the land holder' between the words 'Sub-Divisional officer' and 'in accordance with' in Sub-section (3).

(2) In Sub-section (5), substitute the words 'in one instalment' for the words, "Or in bonds or partly in cash and partly in bonds............ payment thereof"

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह समझता था कि हम ऐसे कानून को लायेंगे तो उदार दिल से लावेंगे। मगर यहां पर माननीय सदस्यों ने सदन में जो भावनाए रखी हैं और रख रहे हैं उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम किसी से जमीन छीनना चाहते हैं, उसके हक को खत्म करना भी चाहते हैं और यह नहीं चाहते कि वे उसका ज्यादा पैसा भी मांगे। ये अपना पैसा सहूलियत से भी न ले सके और अपनी पैतृक संपत्ति और पर्मानेन्ट हक को छोड़ कर उसके मुआवजे के लिये मारे मारे फिरते रहें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ सदन में व्यक्त करना पड़ रहा है कि हम किसी से जमीन लेने के लिये तो तैयार हैं, लेना तो चाहते हैं मगर उसका मुआवज़ा देने में इतनी आनाकानी करना चाहते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मुआवजा देंगे, इतना मुआवजा देंगे इतना नहीं देंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात है ? आपने आज सीलिंग का कानून जैसा भी उलटा सीधा, जैसा भी आपको लाना था आप ले आये और सदन ने उसको मान लिया इसलिये वह सीलिंग तो अब लगेगा ही। फिर आप इतनी संकीर्णता से क्यों सोचते हैं कि जमीन जिन लोगों के पास है वे आपको मुफ्त में दे दे। जिस जमीन पर लोगों ने रात दिन काम करके अच्छी बनाई और उपजाऊ बनाई यह समझ कर कि यह उनकी पैतृक सम्पत्ति है, उन्होंने उस जमीन पर रात दिन एक किये, आज आप उनसे वह जमीन लेना चाहते हैं और उसके एवज में उनको कुछ देना नहीं चाहते। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि हम किसानों से जमीन लेना चाहते हैं जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हम सिर्फ बड़े बड़े जागीरदारों और फार्म होल्डर्स से ही जमीन ले रहे हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि उनको गलतफहमी है। आपने तो छोटे छोटे फार्म अपने यहां ही देखे होंगे। जोधपुर डिविजन में बहुत बड़े बड़े फार्म हैं जिसके लिये मैं आपको अर्ज करूंगा कि उन फार्मों

(श्री अनोपसिंह)

पर काम करने के लिये उनके पास कोई मजदूर नहीं है या कोई एग्रीकल्चरिस्ट नौकर हो। वे खुद अपने हाथों से वहां पर काम करते हैं और उनके घरवाले काम करते हैं। उनके बाल बच्चे, भाई आदि दूसरे सम्बन्धी वहां पर उन खेतों में काम करते हैं। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिनको आप देखेंगे। आपको वहां की क्या हालत है उसका अनुभव नहीं है। आपको तो एक छोटे से तबके की मालूम है। जहां पर जमीन की कमी है और प्रेसर ऑफ लैंड जहां पर ज्यादा है। राजस्थान भर में पोज़िशन डिफरेन्ट है यह आपको मालूम नहीं है। जोधपुर और बीकानेर में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आपको उस समय अन्दाज लगेगा कि किस तरह से काम लोग अपने खेतों पर करते हैं। सभापति महोदय, मेरा संशोधन भी यही है और मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि उनसे आप जमीन ले लें और उस जमीन का आप उनको मुआवजा न दें। जिनके ऊपर उनका जीवन निर्भर है, सोशियल वेलफेयर निर्भर है, उनकी इज्जत और सोशियल प्रेस्टीज़ थी, वे अपनी जमीन को देकर सभी चीजों को खोदें और मुआवजे के लिये बड़े बड़े ऑफिसर्स के दरवाजे खटखटाते फिरें कि मेरे को कम्पेन्शन देंगे। मेरी समझ में नहीं आया है कि हमारे इस ऑगस्ट हाउस में जहा चुने हुए आदमी आये यहां पर इस स्तर की भावना हो रही है कि कुछ तो सीमा लाना चाहते हैं और जमीन उनसे लेना चाहते हैं मगर उनको उसके एवज में देना नहीं चाहते। जब मैं यह अर्ज करता हूँ तो अति की लहर भी आती है। मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसमें समझते नहीं हैं मैं यह नहीं कहता, आप ज्यादा समझते होंगे। आपने उस किसान की हालत को देखने की कोशिश नहीं की, कि जिसने जमीन के पीछे कितनी मेहनत की है। उस जमीन के पीछे उसकी कितनी इज्जत थी। सोसाइटी में उनकी कितनी इज्जत थी वह हालत उनकी अब बिगड़ने वाली है। इसलिये आप कहें कि इस तरह से मुआवजा इतना नहीं ले सकते हैं उसमें नुक्ताचीनी शुरू हो जाती थी। सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है, कहे बगैर रहा नहीं जाता है और कहते हैं तो मजाक होती है। फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप लैंड एक्वीजिशन की प्रोसिडिंग्स के लिहाज के मुआवजा तय करना चाहते हैं। तो उसमें भी कम से कम आप यह रखिये कि रुपया लम्पसम में, कैश में या चाहे बोन्ड्स में देंगे। पार्टली बोन्ड्स का उसमें कोई लेन देन नहीं होना चाहिये। आपने बोन्ड्स जमींदारों और जागीरदारों के लिए रखे थे जिनको आप एक्स्प्लोइटर्स और पेरा शाइटर्स कहते थे, किसानों को, उनकी जमीन को चूस कर खाने वाले कहते थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) : हमने नहींकहा था। You might have heard it in Bazzar or somewhere else but not here.

**श्री अनोपसिंह** : जो भावनायें माननीय राजस्व मन्त्रीजी की हैं उनको मैं समझ रहा हूँ। वर्ड्स का क्या मतलब निकलता है और भावनायें क्या निकलती हैं उसका अन्दाज तो हमको भी होगा।

उनको बोन्ड्स दिलाये। उनको कहा कि पन्द्रह वर्ष तक तुमको इन दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। जमींदारों और

(श्री अनोपसिंह)

काश्तकारों को कहा गया। अब उस किसान का सवाल है जिसने उस जमीन को अपना खून पसीना बहा कर जोती है और जिन्दगी भर उसको चलाने का प्रयत्न किया था। उसने शरीर से, पैसे से उसका इम्प्रूवमेंट किया, जिसको उसने अपनी चीज़ समझा, अपनी असली भावना से समझा, उसको अपनी पैतृक सम्पत्ति समझा उसी को आप ले रहे हैं। अब यह जागीरदारों और जमींदारों का सवाल नहीं है किन्तु दूसरा का सवाल है। यदि आप उदारता के बिना, ब्रोड माइन्ड के बिना इस ओर कदम भी रखेंगे तो इसके रिपरक्शन्स बहुत ही खराब होंगे। आप अभी इसको यह समझ रहे हैं कि जैसे रास्ते चलते बात हो जाती है वैसी है और विरोधी पक्ष से आया है इसलिए अर्ज कर रहे हैं लेकिन इसको इसी भावना से ले और न हमारा यह मतलब ही है।

माननीय सभापति महोदय, आपको किसानों से जमीन लेनी है और उनको अपनी जमीन से बेदखल करना है तो इतना तो आपको इस कानून में प्रोविज़न रखना चाहिये कि उस किसान से जो कुछ लेगे उस जमीन के बदले जिसको कि वह आज तक खड़ता आ रहा है, उसको मुआवजा कैश में ही देंगे। आपके लिए शोभा की चीज़ और आपके लिए ब्रोड माइन्डेडनैस की चीज, एक आदमी को हटा कर दूसरे को बिठाने की चीज़, विस्थापित करके स्थापित करने की चीज़ जब कोई हो सकती है तो यही हो सकती है कि जिससे जमीन ले उसको मुआवजा लम्पसम में, कैश में दे। अगर कैश नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी ड्यूटी से महरूम हो रहे हैं, ड्युटी से अलग हो रहे हैं और आपको किसानों से जमीन लेने का कोई हक नहीं है। मैं इस बात पर फिर से जोर देता हूँ यह समझते हुए कि इसको सदन मन्जूर करेगा और माननीय राजस्व मन्त्रीजी इस पर दुबारा और तिबारा गौर करेंगे और उसके बाद इस कानून को पारित करेंगे। यह बात ऐसी नहीं है कि रास्ते चलते चलते या फाइलें देखते देखते सुन लें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फाइलें नहीं देख रहा हूँ। इस अमेंडमेंट को ही देख रहा हूँ।

**श्री अनोपसिंह** : धन्यवाद। इसीलिए मैंने अमेंडमेंट रखा है कि उनको जो कुछ भी दिया जाय वह कैश में दिया जाय। वह संशोधन इस प्रकार है :

In Sub-section [5], substitute the words 'in one instalment' for the words. "or in bonds or partly in cash and partly in bonds......payment thereof."

यह जो रखा हुआ है कि पार्टली बोन्ड्स में और पार्टली कैश में उसके लिए अर्ज करूंगा कि वह एक ही इन्स्टॉलमेंट में और कैश के रूप में देना चाहिये। अगर आपको उनकी जमीन लेने का हक पैदा हुआ है तो।

Duties and rights go together. If you want them to do their duty then feel your duty towards them also......

आपको ड्यूटी भी वापिस यह हो जाती है कि आप भी उसी तरह से उनको कम्पेन्सेशन दीजिये। आप यह चाहते हैं कि लोगों की तो यह ड्यूटी है और आप अपनी ड्युटी नहीं करना चाहते हैं तो फिर लोग भी

(श्री अनोपसिंह)

अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। इस संस्था में बैठे हुए हैं इसलिए हक नहीं पैदा हो जाता। यदि आप लोगों के प्रति अपनी ड्युटी नहीं करते हैं तो लोगों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे जोर से मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों से और माननीय राजस्व मंत्रीजी से यही अर्ज करूंगा कि वे इसको स्वीकार करें और जो कुछ भी किसानों को कम्पेन्सेशन दिया जाय वह ज्यादा से ज्यादा दिया जाय और एक ही इन्स्टॉलमेंट में उनको दें। उनके साथ वैसा नहीं करें जैसा कि जागीरदारों और जमीदारों के साथ १५ वर्ष के लिए सड़कों पर बड़े २ बूट पहन कर घुमाने का किया है। गरीब किसान न तो किसी दफ्तर को जानता है और न ही किसी अफसर को जानता है और न किसी का रास्ता जानता है। उसको जिस तरह से भी हो सके उसके घर जाकर या तहसील हैडक्वार्टर पर कम्पेन्सेशन उसको मिल जाय तब ही मैं जानूंगा कि आप किसानों के हमदर्द हैं वर्ना तो मैं यही अर्ज करूंगा कि हम किसानों के हमदर्दी नहीं हैं और न कोई भावना उनके प्रति है, जो कुछ है वह ऊपरी है। यही कह कर कि माननीय सदस्य इस संशोधन को उसी तरह से लेने की कोशिश करेंगे जिस भावना से मैंने इसको रखने की कोशिश की है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सभापति** : राजा श्री मानसिंह।

**राजा श्री मानसिंह (बैर):** Mr. Chairman Sir.

My amendment is in sub-section (5) of this Section, Sir. This Sub-Section (5) reads at present :—

"Notwithstanding any thing contained in Chapter IIIA the amount of compensation determined under this section shall be payable in cash or in bonds or partly in cash and partly in bonds as the State Government may determine by rules made in this behalf and the provisions of sub-sections (1), (2) and (4) of Section 27 and of Section 30 shall apply to the payment thereof."

My amendment to this is that the words "or in bonds or partly in cash and partly in bonds as the State Government may determine by rules made in this behalf" be omitted. I am of the opinion that any compensation that is to be paid to the agriculturists who have to forego their land must be made in cash, in accordance with Section 27 and 30 of the Rajasthan Tenancy Act. Section 27 relates to the mode of payment of compensation to be paid either in lumpsum or in instalments. The other sub-section only eleborates on this point. The Government wishes to compensate, Sir, the Agriculturist whose income in future will be derived annually and limited only to 30 standard acres of land either in cash or in bond-partly in cash, partly in bonds. As I have stated Sir, the compensation must be paid in cash either as a lump sum amount or in instalments. That is for the Government to fix so that the agriculturist who is now

(राजा श्री मानसिंह)

to limit his income for the furture may be able to adjust himself to the limited income. It is possible that the agriculturist may have an annual income from his land of 10 thousand only. According to this Amendment Act that we are now discussing here, his income is to be limited to Rs. 3,600 only. The Agriculturist may have many commitments. His children may be reading in the schools; there may be certain loans of the Government that he might have taken either to build a house or for agricultural improvements. If his income is to be limited to a maximum amount of Rs. 3,600/- then I feel unless he is given an opportunity to adjust himself by receiving his compensation in cash either as lumpsum or in instalments, then it will be most unfair. From my experience of bonds, I say that the congress Government has been issuing these bonds to different people who are entitled for compensation but they (bonds) are useless. They can't buy food. These bonds can't purchase clothing. You can't purchase agricultural implements. You can't pay even School fees.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : But they are negotiable.

**राजा श्री मानसिंह** : That remains to be seen. I have experience of getting these points. That remains to be seen. Whether the succeeding Government-whether it is of rightiest or leftiest-will allow those issued by the Congress Government. In one form or the other a person will be required, according to Section 30 F, to pay a certain amount in cash or in the instalment to keep the right to cultivate the land. If the Government is going to take action to give them the right, why their cash is not passed to the agriculturist to whom the compensation has got to be paid. Is it also a compensation Sir, that as we have been told by the Hon'ble Revenue Minister, Incharge of this Bill, that the Co-operatives of the landless persons are to be formed and the land is to be distributed. From my experience, I say that a phase of land of unlimited things is given to these co-operatives and as such if these loans are given to these co-operatives, then in the payment of the amount available with the Government to pay agriculturist a compensation in cash or in instalments for the right that he looses, there are grounds for partiality by keeping this form of compensation. The Collectors and the S. D. Os can be influenced to give, only to congress party, the compensation in cash and those who oppose the Government can be given compensation in useless bonds. Therefore, I feel, Sir, that the Government should acceed to my amendments and be fair to the agriculturists.

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) :

माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। और जो संशोधन अनोपसिंहजी ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें कम्पेन्सेशन देते वक्त यह सोचना चाहिये कि हम कम्पेन्सेशन दे किसको रहे हैं। जमीन मिल रही है काश्कारों से और कम्पेन्सेशन भी मिल रहा है काश्तकारों को। अब तो सभी काश्तकार हैं। वैसी हालत में जब कि काश्तकार को कम्पेन्सेशन मिल रहा है तो हम उसे इस प्रकार से दें ताकि उसके काम आ सके। मेरे खयाल से आज के गरीब काश्तकार के पास भी हजार बीघा जमीन मिल सकती है और है तो वैसी हालत में उनकी जमीन का मुआवजा नकदी के रूप में नहीं मिले तो उसको इमीजियेट रिलीफ नहीं मिल सकता। इसके लिए बोन्ड्स सिस्टम उपयुक्त नहीं है। आज जागीरदारों को जो बोन्डस दिये गये हैं, उसकी जो दुर्दशा हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। आज उनके बोन्ड्स कोई अस्सी रुपये में और कोई ६० में, इस प्रकार कई रेट्स हैं इस तरह से खरीदने में जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन मिल रहा है उसकी तो मिट्टी पलीद हो रही है। मैं समझता हूँ, यदि बोन्ड्स के रूप में इन्हें भी दिया गया तो इन्हीं की भी वही हालत होने वाली है। यह बात राजस्व मंत्री महोदय जानते हैं। डैथ के बाद में तो कई उजरदारियां खड़ी हो जाती हैं। दस रुपये के बोन्ड पर भी मृत्यु के बाद किसका हक होता है उसके लिए मुकदमें होते हैं और उनमें गलत ढंग से सिफारिश भी होती है। अगर किसानों को जिनसे जमीन ली जायगी उनको कैश के रूप में एक साथ मुआवजा दे दिया जाता है तो यह सरकार के लिए और मुआवजा लेने वाले के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यह तो जागीरदार को नहीं मिलने वाला है—यह तो गरीब किसान को मिलने वाला है—जिसके पास काफी बारानी लैन्ड है। कम्पेन्सेशन का तरीका जो श्री अनोपसिंह जी ने रखा है वह सरकार के लिए फायदेमन्द है और जिनकी जमीन ले रहे हैं उनके लिए भी फायदेमन्द है।

और जो सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में अमेन्डमेन्ट रखा है वह मैं समझता हूँ, जिस तरह से पहले अमेन्डमेन्ट को विचार कर के नहीं रखा है शायद यह भी उसी तरह से बिना विचार के हो रख दिया इसलिए इसको तो वे विड्रॉ करें....

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : इसमें तो ज्यादा समझकर रखा है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : पहले वाले की कसर इसमें निकाल ली है।

**श्री मदनसिंह** : दूसरा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, भूमि वितरण सम्बन्धी जो भी कानूनी बने हैं उनको कोई कानून विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि एक साधारण सा नागरिक भी उसको पढ़े तो उनको एक तरफ तो पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष नजर आयगा। बोन्ड्स के रूप में मुआवजा देते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी बन जायगी जैसे कि एक कहानी है, आदमी कैसा होना चाहिये, कटोरे जैसी भौंहें, नाक तोते जैसी और पेट पीपल के पत्ते के समान होनी चाहिये। अगर वास्तव में ही वैसा मनुष्य का रूप होने लग जाय तो एक स्केलेटन के समान लगने लग जाय।

(श्री मदनसिंह)

कानून वैसे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वास्तव में उसी मनुष्य के समान हालत है। इसमें किसी गरीब को तो जमीन मिलने की नहीं। वैसी हालत में किसी के भी पास से जमीन ले ली जाती है उसको कैश के रूप में मुआवजा दे दिया जाता है तो उससे वह कुछ काम कर सकता है। मेरे खयाल से यह तो सारा पोलिटिकल स्टंट है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। ताकि सब लोग सरकार के सामने आयें और कम्पेन्सेशन के लिए उनसे भीख मांगें। जागीरदारों के कम्पेन्सेशन को ही ले लीजिये। उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है और सरकार को भी उसके लिए अलग से विभाग कायम करना पड़ा है। इसलिए मैं यह बेहतर समझता हूँ कि जिसकी जमीन ली जाय उसको उसी वक्त रकम दे दी जाय तो यह उनके भी हित में होगा और सरकार के भी हित में होगा।

जहां बड़े बड़े नेता कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी दुहाई देते हैं, मैं समझता हूँ कि एक्वीजीशन एक्ट में साफ है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पष्ट है कि किसी की चीज लेते हैं तो उसकी कीमत उसको वाजिब मिल जानी चाहिये। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टी भी नहीं होगी और राजस्थान सरकार को भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। पर सभापति महोदय, चीज यह हो रही है कि आज सरकार को सब जगह पोलिटिकल डिफीट मिल रही है इसलिए अब कोई दूसरा जरिया नहीं है कि आदमियों को किस तरह से अट्रेक्ट कर सकते हैं। इन सब लोगों को नेता किस तरह से मान सकते है वह लोग जो कि सरकारी लोग हैं। एक जरिया यह पैसे का रहा है कि बोण्ड के ऊपर उनको नचाते रहें और मैं समझता हूँ कि बोण्ड के अन्दर जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी नजर आ रही है वह यह है कि जो एक लाख का बोण्ड होता है उसकी कीमत ८० हजार ही रह जाती है। जितने का बोण्ड मिलेगा उतना तो रेल का किराया लग जायगा और कुछ वकील ले लेगा। याने जिस आदमी से बोण्ड लेंगे तो वह भी तो कुछ न कुछ डिडेक्ट करेगा और वह कम्पेन्सेशन मिलकर पूरा हो जायेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहां पर ही मिलकर अमेन्डमेन्ट रखना चाहिये और जिसके दिल पर चोट लगती है वह वही जानता है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय फर्माते थे कि हमारे पास जमीन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि अभी खुद के दर्द नहीं हुआ है, देखिये न कुर्सी की कितनी भागदौड़ होती है। इसलिए अमेन्डमेन्ट रख लेना आसान है और अभी यहां पास कराना भी आसान है। मैं तो कहूँगा कि आप सही चीज को भी नहीं मानते हैं और मैजोरिटी का दुरुपयोग करते हैं और जो भी अच्छे अच्छे सजेशन्स अपोजीशन की तरफ से आते हैं उनको आप मैजोरिटी की ताकत से ठुकरा देते हैं। इसलिए प्रजातंत्र के अन्दर गलत चीज के लिए मैजोरिटी का इस्तेमाल करना कहां तक ठीक हो सकता है, यह आप जरा बतायें। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि यदि सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य के दिमाग में अभी भी बैठ गया है कि ठीक नहीं है तो वह अपना संशोधन वापिस ले लें और जो अमेन्डमेन्ट श्री अनोपसिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य उसका सपोर्ट करें।

**श्री सभापति** : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : चेयरमैन महोदय, आज इस विषय के ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं अनुमोदन नहीं करता और अनोपसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूँ। इसका समर्थन इसलिए नहीं कि वह एक पार्टी या दूसरी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन इसलिए कि यह ऐसी विभिषिका पैदा कर देता है कि जिसके लिए मेरे ख्याल से जो हम सदन में आये हैं काश्तकारों से हाथ जोड़ जोड़ कर, धोके दे देकर और झूंठी और सच्ची दलीलें दे देकर उनके सामने हम क्या जवाब देंगे। यह ऐसी विभीषिका है जो उपस्थित होगी तो शायद डेमोक्रेसी को फेल कर देगी। तो वह सवाल जब सामने आयेगा तो हमें बड़ा खेद होगा। हम लोगों के ऊपर बीती है, हम भुक्तभोगी हैं। जागीरें जाने का प्रश्न जिस समय हमारे सामने आया हम लोगों ने खन्दा-पेशानी यही प्रश्न रखा कि जागीरें आज जाती हैं जायें लेकिन हमारे भारत को जो स्वतंत्रता है उसमें कोई दिक्कत न आये। चाहे आज डेमोक्रेसी की डींग हांकने वाले लोग हैं और उनका जो समुदाय है चाहे जो इसका अर्थ लगाये, लेकिन उस समय हमने देश के लिए जो त्याग किया और कुर्बानी की वह तो बीती हुई बात हो गई। इस समय देखा जाय तो हमें खेद अपना नहीं है, काश्तकारों का भी नहीं है, हमें जो खेद है वह भारत की भावी स्वतंत्रता का और भावी अभ्युदय का है। उसके लिए विचार करने का प्रश्न है। एक तरह से देखा जाता है तो जागीरदारों की तरफ से भी इस काश्तकार के तबके के ऊपर, मैं यह जरूर कहूंगा कि काफी जुल्म हुआ। जैसे शास्त्रानुकूल छटा हिस्सा हासिल का लेने का प्रश्न था, बहुत ही ज्यादा हिस्सा लिया गया। यही कारण था कि मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकायें, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े खजाने यों ढह गए जैसे कि मिट्टी का घरोंदा बच्चों का बनाया हुआ ढह जाता है। एक तरह से देखा जाये तो यह ऐसा हुआ जैसे गोहरे के शाप से पीपल का पेड़ जल जाता है। इसी प्रकार से इन गरीब काश्तकारों के हाथ से यह सब के सब महल ढह गए। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय अगर देखा जाये तो लेबरर, तनख्वाह पाने वाले, जागीरदार, ब्राम्हण और मन्दिरों से लेकर और लोगों का जो तबका है, वह मेरे ख्याल से, चाहे गवर्नमेंट यह सोच ले कि हमारे समान सारी दुनिया खुश है लेकिन सारे तबके खुश नहीं होकर बड़े ही भाराक्रांत हैं और इस समय राजस्थान का जो अस्तित्व सामने आ रहा है वह काश्तकारों के लिए ही आ रहा है। मैं कांग्रेस गवर्नमेन्ट को इस बात के लिए जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने काश्तकारों के लिए काफी सुभीते पैदा किये हैं और वह सारे के सारे बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन यह भी कहने की बात है कि इस तरह से जैसे प्रश्न आते हैं जागीरदारों को अगर कम्पेन्सेशन नहीं भी दिया जाता और यों ही रख दिया जाता है तो भी कोई बात नहीं थी। अगर आप इस बात के लिए कहें कि हम यही कहते हैं या गलत कहते हैं तो मैं जरूर काश्तकारों की ओर से, भूमिहीनों की ओर से राजस्व मंत्री महोदय को इस बात की प्रेरणा दिलाना चाहूँगा कि वे सब बातों को छोड़कर पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायत समितियों और जिला समितियों के काम को आगे बढ़ायें। फिर यह संस्थायें, मैं मानूंगा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कि इस समय बहुत काम कर रही हैं और इसके अलावा इसको देखते हुए भविष्य का खयाल होता है कि जरूर तरक्की होने की सम्भावना उपस्थित हो जायेगी लेकिन मेरे खयाल से मैं बूढ़ा आदमी जिसने काफी समय देखा है और दूसरी बातें भी मैंने देखी है, मैं कहूँगा कि शायद इन चीजों में खर्चा होगा और जितना खर्चा इन पर होगा उसमें से २५ सैकड़ा भी उसका सदुपयोग हुआ तो मैं समझूंगा कि यह बहुत ही बड़ी चीज होगी। मैं अपने विषय से विषयान्तर होना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि वह गरीब कांश्तकार जिसके पास पांच बीघा जमीन है उसने बर्षों से जंगलों को काट कर और साफ करके खेती की है उसके लिए भी अगर एक सवाल आता है कि आदमी एक ऊंट खरीदता है, बैल खरीदता है, भैंस खरीदता है तो उसी समय उसको साई के साथ साथ रुपया देना पड़ता है—यही बराबर हिसाब रहा है। हम लोगों के पास साधन थे और धन भी था और हम लोगों में से पढ़े हुए लोगों का भी तबका मिलेगा लेकिन वह काश्तकार जिनके पास थोड़ी सी जमीन है उनके पास इतने साधन कहां हैं। जमीन के लिए आप बोण्ड देकर यह कहेंगे कि ये बोण्ड ऐसे भी हो सकते हैं, हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने अभी फर्माया था, कि वे बदले जा सकते हैं और उनके लिए निर्वाह हो सकता है

लेकिन मैं तो यह निवेदन करूंगा कि उनको वह कहां से भुनायेंगे। आजकल की छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको न भुनाने के अन्दर ही लोगों को जो दिक्कतें पैदा होती हैं, वह उन लोगों को भी पैदा होती हैं जो कि हम लोग ठाले बैठे हुए हैं, लेकिन वे काश्तकार कहां फिरते फिरेंगे? उनके वास्ते बराबर आयोजन हो कि यहां पर कि उनको फौरन रुपया मिले और इसके लिये यह कायदा है कि उसको फौरन दिया जाय। इस चीज़ के अन्दर काफी बहुत मुबाहिसा हो चुका है और हो रहा है। यह कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है कि जिनके अन्दर हंसी और मज़ाक के अन्दर यह सवाल उठे। केरल में सत्यानाश हुआ और इनके अलावा गवर्नमेंट को दिक्कतें पैदा हो गई, और इसके अतिरिक्त उनके वास्ते व्यवस्था हुई उस वक्त में वहां पर कॉम्युनिस्टों के वास्ते वही का वही प्रचार हुआ है, और वही का वही यहां नहीं होना चाहिये। समुद्र की तरफ़ से वह है और हिमालय के पहाड़ यानी उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों ही इस समय क्षुब्ध हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर आदमी आज बराबर देख सकता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यह कच्चे धागे से शमशीर अटका देते हैं उस तरह से आज हमारे ऊपर ही नहीं सारी वर्ड के अन्दर अशान्ति के बादल छा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर जो महानना महात्मा गांधी का जो तबका है, जिनके लिए उन्होंने अपनी कमर में इसीलिए लंगोटी पहनी थी, और उनके लिए लड़ते रहे और उन्होंने यह कहा कि जिस प्रकार का मैं अच्छा कपड़ा पहनना चाहूं मैं पहन सकता हूँ, लेकिन मेरा गरीब से गरीब जो किसान है और जो आज भी इस समय भी १२ महीने के अन्दर १८ महीने कमाई करता है तब जाकर ........

**एक माननीय सदस्य** : १२ महीने के अन्दर १८ महीने ........

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : १८ महीने का हिसाब होता है। शुरू से जब कि साल पैदा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

होती है तो ६ महीने पहले से वह तैयारी करने लगता है। यह हंसने का विषय नहीं है। यह देखने और मानने का विषय होगा, और कोई भी तबका इसके विरुद्ध कोशिश करेगा तो शायद उसको आंसू बहाने पड़ेंगे ?

मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचवर्षीय योजना में जो रुपया खर्च होता है तो आज इस हाथ देकर और उस हाथ लेकर न्याय के सबब से काश्तकारों को ठीक मुआवज़ा कोई भी मिलना चाहिये तो मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जागीरदारों, जमींदारों और जिनके पास साधन में हैं अगर उनको नहीं मिलता है या मिलने में विलम्ब होता है तो कोई हर्ज नहीं आता है, तो मैं प्रण करता हूँ अपनी तरफ़ से कि जो अमाउन्ट मेरे मुआवजे का हो पहले लिया जाय, जागीरदारों का मुआवज़ा ले लिया जाय। जागीरदारों का मुआवजा ले लिया जाय, बहुत से सज्जन कई दफ़ा यह सोचते हैं और कहते हैं कि ऐसे मुआवजा उनका देने का मैं क्या अधिकार रखता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा मुआवज़ा ले लिया जाय। मैं निवेदन करूंगा और मैं यह समझता हूँ कि मैं जिस गुहार और जिस धारणा से उनसे अपील करूंगा तो यह कतई असम्भव चीज नहीं है कि वे लोग यह समझ लेंगे कि हम ऐसी चीजों छोड़ने के लिए तैयार हैं।

तो, मैं चैयरमैन महोदय, आपके द्वारा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ–वे मैं मानता हूं कि उनके वास्ते काश्तकार लोग मालपुरा में और इधर काफी धारणा रखते है, उन्होंने तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा छोड़ने की कोशिश की है, इन सब चीजों के ऊपर इस वक्त क्या विचार नहीं करोगे। निवेदन करूंगा कि अगर काश्तकार को एट्लर्च छोड़ दिया जायगा तो मेरे अन्दाज़ के अन्दर वह ऐसी बुरी धारणा पैदा हो जायगी, और यह जो कि भारतवर्ष का ही नहीं प्रत्युत राजस्थान की मैं इसे बैकबोन समझता हूँ, वह तबका अगर क्षुब्ध हो गया तो मेरे अन्दाज में यह फ्रन्टियर का प्रोविन्स हैं, जहां मैं समझता हूँ कि आज भी काश्तकार एक दफ़ा खाना खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। उनके घरों का हिसाब देखिये तो आपको यही बात मिलेगी। उस तबके को लटकता छोड़ दिया जायगा तो मेरे खयाल से अच्छा नहीं होगा। और वह दूसरी ओर जिला परिषद, पंचायत परिषद, हजारों स्कूल खुल रहे हैं इससे भी आवश्यक काश्तकार की दशा सुधारना है। यह चीजें ऐसी हैं कि जो ५ रोज़ ठहर सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों के ठहरने का सवाल नहीं है। तो मैं यह प्रेरणा करूंगा कि इन चीज़ों को लटकाया नहीं जाय। जो कुछ भी दिया जाय वह एकदम दिया जाय। इस बात के वास्ते पिष्टपेषण होगा और बहुत सी चीज़ों को बतलाना होगा। थोड़ी सी भूमि मिली हुई थी एक काश्तकार को जिसमें वह अपना जीवन निर्वाह करता था। मैं यह भी कहूँगा कि मुझे जो ज़मीन मिली है वह ज़मीन उनको दे दी जाय। मैं उसको भी छोड़ने के लिए आज तैयार हूँ

(करतलध्वनि)

और जो दूसरे हैं उनको भी मुआवज़ा न दिया जाय लेकिन जो गरीब काश्तकार हैं....

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Endorse it in my name.

**श्री रावल नरेन्द्रसिंह** : मैं बार बार

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कह रहा हूं लेकिन आप भी तो मैदान में आयें

(हंसी)

भरतपुर, धौलपुर और गंगानगर के अन्दर हज़ारों रुपये बैठे बैठे ........

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य विषय पर बोलें।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मैं तो पहले ही बहुत ही संयम से बोलता हूँ, और बहुत ही थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन यह एक ऐसा विषय है कि ज्यादा दिन बोलना, हंसना और रोना नहीं पड़े इसलिए निवेदन करता हूँ।

**श्री दलपतसिंह** (आबू) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो धारा ३० जी के ऊपर बहस चल रही है उसके अन्दर श्री अनोपसिंह जी ने जो संशोधन दिया है कि कम्पेन्सेशन जो दिया जाय एक ही टर्म के अन्दर, कैश के के अन्दर उसका पेमेन्ट कर दिया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

आप देखेंगे कि कम्पन्सेशन देने के अन्दर अपने को उदार नीति से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि एग्रीकलचर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एग्रीकलचरिस्ट को आपका पेमेन्ट पाने के अन्दर इधर से उधर फिरना पड़ेगा तो जो कुछ मनी प्राप्त होगी तो वह रिहेबिलिटेट अच्छी तरह नहीं हो सकेगा। जैसे कि आजकल जागीरदार बोन्ड लिये फिरते हैं और लॉ के ऐसे क्वेश्चन पड़ जाते हैं, उस कारण से दिक्कत पड़ती है। जगीरदार की बात तो रहने दीजिये लेकिन इतने दिनों तक जिन लोगों ने ज़मीन पर परिश्रम किया था, बान्ध वगैरह काटकर ज़मीन में इम्प्रूवमेंट किया था, उसको इन्स्टॉलमेंट के अन्दर पेमेंट मिलेगा तो कोई वाजिब नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो मेरी यह अर्ज करने कि है उसको कम्पेन्सेशन फुल केश के अन्दर मिल जाना चाहिए। आज काश्तकार को फुल पेमेंट के अन्दर मनी मिल जायगी तो कम से कम केपेसिटी ऑफ़ दी लैण्ड है वह शिड्यूल एरिया के अन्दर हो जायगी, उसके अन्दर फुलमनी मिलने से अच्छी तरह रिहेबिलिटेट होने के चान्सेज़ मिल जायेंगे। उनके ये चान्सेज़ होंगे कि वह अच्छा सीड ले सके, अच्छे इम्पलीमेन्ट् ले सके–नहीं तो यह होगा कि बिना मनी के लैंड को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इन सब बातों को मद्‌ेनजर रखते हुए मैं सब महानुभावों से अर्ज करूंगा कि उनको उदार दिल से देखना चाहिये कि आगे की नीति काश्तकारों के लिये कैसे हितकर होगी। यदि जागीरदारों के लिए जैसे बांड आदि के द्वारा मुआवज़ा देने की नीति यहां भी रही तो ये लोग मनी का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे और पूरी तरह से रिहेबिलिटेट नहीं हो सकेंगे। आज आप जानते हैं कि उनके रिहेबिलिटेट होने की प्रोब्लम कितनी जबर्दस्त है। उनकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन वैसे भी गिरी हुई है। उन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर फार्म पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रिटर्न साल दो साल में ही मिल सके। एग्रीकल्चर पर जो इन्वेस्टमेंट

३.२१ म० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

किया जाता है उसका रिटर्न ५ साल के बाद

Page No.88



(श्री दलपतसिंह)

१० पर्सेन्ट कराते हैं तो उदार दिल से कम्पेन्सेट करिये, न कि साइकोलोजिकल प्रोपेगेन्डा करके कि ये लैंड लॉर्ड हैं इनको ऐसा कम देना चाहिये, ऐसा आपको नहीं करना चाहिये । आपने शायद बड़े बड़े जागीरदारों के ही नाम सुने हैं । आप बाड़मेर, जालोर की तरफ जायेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां कितने गरीब काश्तकार हैं । उनके पास भी सीलिंग की मिकदार से ज्यादा ज़मीन हो सकती है । लोर्ड जो पहले थे वे भी जागीरें छिनने के बाद रिहेबिलिटेट ज़मीन पर हुए हैं उनके पास जो प्रोपर्टी या कैश कम्पेनसेशन के ज़रिये प्राप्त हुई उसको उन्होंने ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है। जो आदमी खाली हो चुके हैं उनको और भी खाली किया जायेगा तो यह उचित नहीं होगा । यों तो आप देखेंगे कि अर्बन एरिया में जिनके पास तीस तीस लाख की संपत्ति है वे भी और संपत्ति बना रहे हैं तो आपको उदार चित्त से फैसला कराना होगा कि जिन्होंने काश्त पर ही इन्वेस्टमेंट किया है उनकी ज़मीन चली जायगी उन पर साइकोलोजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा । आपको उदार दिल से काम करना चाहिये । जो कुछ भी उनको पैसा हज़ार दो हज़ार मिलता उससे वे बैटर इम्पलीमेंट्स, बेटर सीड्स वगैरह लेकर रिहेबिलिटेट हो सके तो उनको कोई नहीं होगी नहीं तो आप जानते हैं कि Empty mind is devils work shop इस तरह से एम्पलोयमेंट का प्रश्न भी कुछ कुछ हल हो सकेगा । ३० एकड़ ज़मीन से उनको फुली एम्पलोय करना तो मुश्किल होगा लेकिन उनका जो खर्चा अभी है यह वैसे ही गिर रहा है और फिर काफी गिर जायेगा । अपनी ज़मीन पर जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है उनके पास से जमीन जाने पर उनको बैटर मुआवज़ा लम्पसम यदि मिलेगा तो वे उससे अच्छा ट्रेक्टर या परशियन वील और अच्छा मैन्योर सीड और इम्पलीमेन्ट्स खरीद कर छोटे से कॉम्पेक्ट एरिया को भी इम्प्रूव करेंगे । बेटर इम्पलीमेंन्स वगैरह काम में लाने के कारण प्रोडक्शन भी बढ़ेगा । इस फ़र्स्ट पोइन्ट पर standard of rehabilitation, standard of future production, हमें देखना यह है कि आखिर में उस काश्तकार को ज्यादा पैसा मिले तो अच्छा है । एक और भी पोइन्ट को मैं क्लेरिफ़ाई कराना चाहूँगा । जैसे थर्ड में है: "the amount of compensation shall be determined by the Sub-Divisional Officer" इसके लिये भी यह क्लेरीफाइ होना चाहिए राजस्व मंत्री जी की तरफ है कि काश्तकार को दो तीन दफ़ा चान्स देना चाहिये कि वह सब-डिविजनल ऑफ़िसर्स के सामने पेश होकर क्लेरिफ़ाइ करवा ले कि इतना पैसा होना चाहिये ताकि वह अंधेरे में नहीं रहे । वर्ना शायद एस०डी० ओ० इकतरफ़ा फैसला कर देगा तो उसके दिल में चोट पहुँचेगी। इसलिए इन दो पोइन्ट्स पर कह कर, पहले पहल तो यह अर्ज करूंगा कि अपने को उदारता से कंपेन्सेशन कैश में देना चाहिये । कम्पेन्सेशन चाहे बाद में ५ हजार का मिलना हो तो आज आप ४ हजार ही दें तो भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन यह सिंपल ढंग से मिले । यदि ५ हज़ार के बजाय He will put that 4,300/-in a better rehabilitation.

मेरा दूसरा पोइन्ट यह है कि तहसीलदार वगैरह जो कम्पेन्शन तय करते हैं वे ज़मीन के मालिक को बुलाकर रूबरू तय करें । मैं अर्ज करूंगा कि इस पर सोच-विचार करके निर्णय करें। अनोपसिंह जी ने जो संशोधन

(श्री दलपतसिंह)

रखा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे आप उदारचित से मंजूर करें।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु.): माननीय सभापति महोदय, धारा ३० जी पर जो बहस चल रही है उसमें पूर्व वक्ताओं ने जो अभिभाषण किये उनमें राजा महाराजा थे...

**राजा श्री मानसिंह** : There are no Rajas and Maharajas now.

**श्री सभापति** (श्री मुरलीधर व्यास) : अब कोई राजा महाराजा नहीं रहे हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : I think the Hon'ble Member is very justified.

**श्री हरिप्रसाद यादव** : सभापति महोदय, बड़े हर्ष का समय है कि सैकड़ों वर्षों से...

**श्री श्रीभानसिंह** : सभापति महोदय, अभी आपने रूलिंग दी कि हाउस के सामने कोई राजा महाराजा नहीं हैं। तो मैं यह भी निश्चित रूलिंग चाहूँगा कि जब आप यहां पर और मेम्बर्स को श्री कह कर पुकारते हैं या एड्रेस करते हैं तो एक माननीय सदस्य हैं जिनको 'राजा मानसिंह' करके एड्रेस करते हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि यह टाइटल कॉन्स्टिट्युशन में रिकोग्नाइज्ड है लेकिन यह हाउस कोमनर्स का हाउस लेजिस्लेचर है उसमें डिस्क्रिमिनेटरी फोर्म ऑफ एड्रेस से चेयर एड्रेस करती है तो यह कहां तक जस्टिफाइड है। आपने रूलिंग दी कि राजा महाराजा नहीं हैं। यदि टाइटल है तो कॉन्स्टिट्युशन में है। यहां तो आप उनको भी श्री से ही एड्रेस करेंगे....

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : आपके तो दो श्री लगाई जाती हैं 'श्री श्रीभानसिंह'। एक श्री क्यों नहीं उड़ा दी जाय।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैंने नहीं समझा था कि आप चेयरमैन हैं नहीं तो आपको एड्रेस करता।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मैं रावल पदवी का जो हिसाब है उसे जो महानुभाव बोल रहे हैं उनको नजर करता हूँ।

**श्री श्रीभानसिंह** : इस नजर की अब वेल्यू नहीं रही।

**श्री सभापति** : सभासद इस प्रकार का वार्तालाप आपस में न करें। चेयर की ओर से राजा महाराजा न कभी कहा जाता है और न उस प्रकार के राजा अब रहे हैं जिस प्रकार के आप सोचते हैं।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : न राजा ही रहे न चमार ही रहे।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : सभापति महोदय, अभी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चमार शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं निवेदन करूं कि जब जमीन जाती है तो कलेजा फट फट जाता है....

(हंसी)

**श्री मदनसिंह** : चमड़ा जाता है तब क्या होता है ?

**श्री हरिप्रसाद यादव** : जमीन का दुरुपयोग करते आये हैं और हजारों बीघा जमीन जागीरदारों और जमींदारों ने यों ही पड़त डाल रखी है। एक तरफ देश में खाद्य पदार्थों की वृद्धि के लिए माननीय सदस्यों को चिन्ता करनी पड़ती है और गवर्नमेंट चलाने वाले केबिनेट के मन्त्रियों को प्रश्न पूछा करते हैं कि हमारे देश में उत्पादन कम क्यों हो रहा है, उसको बढ़ाना चाहिये, उसको डवेलप करना चाहिये और दूसरी तरफ सदन में जो महत्वपूर्ण अमेन्डमेंट आता है उसका विरोध किया जाता है। जब हम सीलिंग कानून को धारा-दर-धारा पास करते आये हैं और अभी जो विषय चल रहा है उस पर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहूँगा कि जिन जमींदारों के पास काफी जमीन है और जो जोतते नहीं हैं, भूमि को बंजर डाल रखा है, और आज जब यह प्रश्न आया है कि ३० एकड़ के अलावा जो ज़मीन है वह चली जायगी और उसका २० गुणा मुआवजा दिया जायगा जबकि सैकड़ों वर्षों से इस भारत माता का नाजायज फायदा उठाते आये हैं, सैकड़ां वर्षों से भूमिहीन किसान टकटकी लगा कर इस हाउस की ओर निहार रहे थे—राजस्थान विधान सभा ने अच्छा कानून बनाया और जमीन की सीमा निर्धारित की—तो आज जमीदारों और जागीरदारों के कलेजे फट रहे हैं, बादल उमड़ रहे हैं और उनकी आत्माओं में हा-हाकार मच रहा है और जाति पांति के नारे लगाये जा रहे हैं। कोई चमार कह रहा है, कोई कुम्हार कह रहा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं इस सदन के जरिये चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारी भारत सरकार ने जाति पांति का कानून बना दिया है कि कोई भी आदमी किसी से भेदभाव नहीं करेगा, जाति पांति के नारे नहीं लगायेगा, फिर भी यहां चमड़े का नाम, चमार का नाम लिया जाता है। अरे भाई, मनुष्य मनुष्य सब भाई हैं, तो मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि आयन्दा अपने दिल से पूछे कि क्या चर्म के बने हुए जूते आप नहीं पहनते हैं, अपने कुँए पर चरस नहीं चलाते हैं क्या....

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : On a point of information......

**श्री हरिप्रसाद यादव** : अंग्रेजों के जमाने में जो बैंत लगाये जाते थे और जिसकी आप नकल करते थे, उसकी मूंठ चमड़े की नहीं होती....

**श्री सभापति** : आप थोड़ी देर....

**श्री अनोपसिंह** : मैं निवेदन कर रहा था कि कम्पेनसेशन को लेने, देने और तय करने का सवाल था, चमड़े आदि का सवाल नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : अमेरिकन स्टाइल पर एक ही तो बोलते हैं।

**श्री सभापति** : जी हां बोलिये।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और जो २० गुना मुआवजा देने का सुझाव रखा है, उससे अधिक मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। सैकड़ों वर्षों से भूमिहीन लोग जमीन के लिए तरस रहे हैं, जो किसान हैं वे इन्तजार कर रहे हैं कि सीलिंग का कानून पास

# Page No.91



(श्री हरिप्रसाद यादव)

हो और भूमि मिले। इसलिये इनको कम से कम मुआवजा दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं हाउस के मेम्बर्स की ओर से निवेदन करूंगा कि इन जमींदारों और जागीरदारों को कम मुआवजा दिया जाय।

(हंसी)

**श्री सभापति :** श्री सूबेदारसिंह।

**श्री सूबेदारसिंह** (आड़ो) : माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आये हुये माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। आज इस सदन में जो बहस चल रही है उसमें बराबर किसानों की दुहाई दी जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस किसान की दुहाई देकर किस किसान की भलाई करना चाहते हैं। हमारे प्रान्त में एक ओर तो वे किसान बसते हैं, जिनके पास काश्त करने के लिये जमीन नहीं है, बेचारे गरीब, दूसरों के खेत, दूसरों की काश्त में मजदूरी करके अपना पेट, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। दूसरी ओर जब आज कम्पेन्सेशन देने का सवाल उठता है तो किसान की दुहाई दी जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि वे किस प्रकार के किसान हैं, जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, वह जमीन वापिस लेते हैं तो वे उस किसान की महात्मा गांधी के किसान से तुलना करते हैं, जो कि रावल नरेन्द्रसिंह ने बताया था, क्यों कि महात्मा गांधी का किसान गांव का नंगा भूखा किसान था, आज के किसान की तुलना उस किसान से करने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रजातन्त्र के युग में हमने राजाओं को प्रीवी पर्स इसलिये दिया कि उनसे रियासत वापिस आयेगी और उनमें जो किसान रहते हैं, उनका भला होगा। जागीरदारों और जमींदारों से जमीन लेकर उनको कम्पेन्सेशन दिया, वह सिर्फ काश्तकारों के डवलेपमेंट के लिए दिया। जिनके पास जमीन जायदाद है, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग है, उन जागीरदारों को मुआवजा मिल रहा है, जमींदारों को मुआवजा मिल रहा है, राजाओं को प्रीवीपर्स के रूप में मुआवज़ा मिल रहा है, तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो नंगे, भूखे, कृश, जर्जर किसानों को जमीन दी जा रही है, उनको किस प्रकार का मुआवजा दिया जाय, लेकिन कायदे कानून का सवाल है, मुआवजा मिलना चाहिये। मेरी इच्छा थी कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस ओर ध्यान दें, हम इस जमीन के लिए काफी मुआवजा दे चुके हैं अब मुआवजे का सवाल नहीं रह जाता है जब जमीन लेकर छोटे-छोटे किसानों में बांट देनी है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सके, लेकिन आज जब कम्पेनसेशन देना चाहिये तो हमारे यहां पर जो मूल टिनेन्सी एक्ट है, उसमें यह है कि २० गुना दिया जाय, उसी प्रकार मुआवजा देने की व्यवस्था कर दी जाय तो ठीक रहता है। इसलिये मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ–वे इस पचड़े में न पड़ कर वास्तव में जिन किसानों का वे भला करना चाहते हैं, जो नंगे भूखे रहते हैं, जिनको कम्पेन्सेशन मिलेगा नहीं, वजन उनके उपर ही है, चाहे सरकार बोंड्स के रूप में दे, किसी प्रकार दे, उसका असर गांव के रहने वाले गरीब किसानों पर पड़ेगा क्योंकि उनका विकास सरकार के पैसे से होने जा रहा है।

(श्री सुबेदारसिंह)

इस प्रकार मैं उसका समर्थन करते हुए यह कहता हूँ कि इस प्रकार के पचड़े में न पड़ें।

**श्री सभापति** : श्री लक्ष्मीचन्द।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : माननीय सभापति, सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ और श्री अनोपसिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, जहां तक किसी काश्तकार से जमीन लेकर उसको कम्पेन्सेशन देने का सवाल है, वहां तक उसको एवजाना मिलना चाहिये, एवजाना किस प्रकार मिलना चाहिये, उस काश्तकार, जिसने उस जमीन को उपजाऊ बनाया है उसे यह जमीन किसी की दी हुई नहीं है उसके पजेशन में यह जमीन रही है, उसने उसे उपजाऊ बनाया है, उस पर मेहनत की है। यह नहीं है कि जिस तरह श्रमदान का पखवाड़ा चलता है, जो मिनिस्टर लोग जाते हैं और फोटो लिवा लेते हैं कि श्रमदान किया है। काश्तकार इस प्रकार श्रमदान नहीं करते हैं, उनकी चोटी का पसीना एड़ी तक पहुँचता है तब जमीन उपजाऊ होती है। १२ महीने उसको परिश्रम करना पड़ता है,–उसके कम्पेन्सेशन की तुलना की जाय, तो कोई व्यक्ति कोई उसको कम्पेन्सेट नहीं कर सकता। फिर भी नाम मात्र को कम्पेन्सेशन देने का प्रोविजन रखा है। जैसा कि कमेटी ने सुझाव दिया है कि उनको लैंड एक्वीजिशन के माफिक मुआवजा मिलना चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूँ। वैसे यह मुआवज़ा मामूली है; उसकी आप तुलना करना चाहते हैं कि यह मुआवजा लैंड एक्वीजिशन के माफिक नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि ज्यादा हो जायगा, तो ज्यादा क्या हो जायगा, लैंड एक्वीजिशन के माफिक दिया जाय तो ज्यादा नहीं होता है, उनके परिश्रम के साथ इसकी तुलना की जाय तो कम्पेन्सेशन काफी भारी होता है। मुआवजा लेने में जो स्थिति होती है, उसको हम देखते है, आप डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय तक जायं, जिस प्रकार कीड़िया बिलबिलाती हैं, उस तरह जागीरदारों को कम्पेन्सेशन लेने में मुसीबतें आती हैं। कई जागीरदारों को लौस हो रहा है, कम्पेन्सेशन के लिए उनकी इनर्जी वेस्ट होती है, पैसा खर्च होता है। अब जिन काश्तकारों से जमीन ली जायगी उनके लिये कहें कि यह कम आदमियों में इफेक्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। सीलिंग बिल ज्यादातर किसानों को इफेक्ट करेगा, ज्यादा तादाद में इसमें किसान आ जायेंगे, उनको कम्पेन्सेशन लेने के लिए इतना समय वेस्ट करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं। चार जिलों में ४० रुपये तक फर्स्ट कम्पेन्सेशन बनता है उसको लेने जाने के लिए ७० रुपये खर्च करना पड़ेगा, इसके अलावा उनको लेबर करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। मोस्टली हम देखते हैं, भुक्तभोगी हैं कि सरकार किस प्रकार कम्पेन्सेशन दे रही है, किस-किस तरह के कानून हैं, मामूली कम्पेन्सेशन लेने वाले कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। बेचारे कम्पेन्सेशन लेने वाले सुबह से दरवाजे पर बैठे रहते हैं कि हमें कम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये....

मगर नहीं, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारे राजस्व मंत्री सोचते हैं कि शायद स्वागत करने वाले कहीं पर नहीं मिलें तो कम से कम इस तरह के दुखी लोग तो

Page No.93



(श्री लक्ष्मीचन्द)

आयेंगे अपनी फरियाद लेकर उनको ही प्रदर्शनकारी मान लेंगे, इस तरह कम से कम इतने प्रदर्शनकारी तो मिल जायेंगे। उन्हीं को दिखा कर अखबारों में छपवा देंगे कि राजस्व मंत्रीजी के स्वागत के लिए इतने लोग आये।

यदि आपकी यह इच्छा है इन लोगों को इस प्रकार के चक्कर में डालने की तो कम से कम आपको स्पष्ट कह देना चाहिये कि हम भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते, हम किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं देंगे। तो कम से कम लोग इस चक्कर से और परेशानी से तो बच जायेंगे। रिहेबिलिटेट करना तो दूर रहा कम से कम इस तरह से इन लोगों को परेशान तो न कीजिये। वह तो कागले वाली रोटी है। परछाई में रोटी है, वास्तव में रोटी है कहां। तो आप चाहे कम कम्पेन्सेशन दें पर जो देना चाहें एक मुश्त मिलना चाहिये ताकि उन लोगों को अपना घर का कान छोड़ कर दर दर न भटकना पड़े। जो इन लोगों को मिले वह कैश में मिल जाय। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यह चाहते हैं कि न तो रिहैबिलिटेट हो सकें और न उन्हें किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन ही मिले—यों ही दर दर भटकते फिरें। यदि आपकी यह मन्शा नहीं है तो आप उनको एक मुश्त और कैश में कम्पेन्सेशन दें। वरना हम लोगों के दिलों में उन काश्तकारों की मुसीबतों के सम्बन्ध में भावनायें हैं उन्हें कहे बगैर नहीं रह सकते।

तो आप वास्तव में इनको कम्पेन्सेशन देना ही चाहते हैं तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि उनको कम्पेन्सेशन कैश में दिया जाय और एक मुश्त दिया जाय। इस प्रकार का प्रावधान रखें कि एक मुश्त, एक दम उनको मुआवजा मिले।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री सभापति** : श्री भीमसेन।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, अभी विधान सभा में प्रश्न यह चल रहा है कि जो जमीनें सीलिंग एक्ट के द्वारा एक्वायर की जांय उनका मुआवजा क्या दिया जाय और कैसे दिया जाय। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य जो सलूम्बर से आये हुए हैं उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया कि जो टिनेन्सी एक्ट में धारा २३ के अन्दर लैंड का मल्टीपल रेंट देने का है वही कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये। अपनी दलील में वे कहते हैं कि एक ही बिल में दो तरह का कम्पेन्सेशन कैसे रख सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक स्थिति है १६ के मातहत काश्तकारों को खातेदार काश्तकार बनाया। उसका कम्पेन्सेशन खातेदार को क्या मिलना चाहिये ? एक स्थिति तो है यह और दूसरी स्थिति यह है कि जो सीलिंग में सरप्लस लैंड एक्वायर करेंगे, इसमें उस जमीन को एक्वायर करेंगे जिस जमीन को कि उसने अपने खून पसीने से इम्प्रूव किया है, उसको उस जमीन का क्या कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ यह स्थिति है।

इन दोनों स्थितियोंक में बड़ फर है। तो जो मुआवजा सीलिंग बिल में दिया जा रहा है वह इन दोनों बातों को ध्यान में रखते

# Page No.94



(श्री भीमसेन)

हुए सीलिंग कमेटी ने प्रिंसिपल रखा है मार्केट वेल्यू का, वह बहुत ही उचित रखा है ।

केरल स्टेट जो कोम्युनिस्ट स्टेट थी, वहां सीलिंग का बिल पास किया । वह अपने आपको एक प्रोग्रेसिव स्टेट कहती थी । उसने भी सीलिंग बिल में मार्केट वेल्यू कम्पेन्सेशन का रखा है । जो प्रोग्रेसिव स्टेट अपने आपको कहती थी उसने काश्तकारों की हालत देखते हुए कि ऐसे काश्तकारों को जमीन ली जा रही है जिन्होंने अपनी मेहनत से, पसीने से जमीन को इम्प्रूव किया है तो उनको उचित कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये ।

गंगानगर के काश्तकारों पर इस सीलिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा । इस वक्त सरकार लैंडलैस परसन्स को जमीनें दे रही है और १० हजार रुपया फी मुरब्बा उनसे कीमत ले रही है । १० हजार रुपया फी मुरब्बा उनसे किश्तों में लेकर सरकार उन्हें जमीन दे रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो जमीन सीलिंग के जरिये सरकार काश्तकारों से लेने जा रही है, उस जमीन की सरकार मार्केट वेल्यू क्यों न दें ? ये दो स्थितियां हमारे सामने हैं । ऐसी दशा में यह न्याय संगत चीज है कि जिन लोगों ने मेहनत कर के खून पसीने से जिन जमीनों को इम्प्रूव किया, उन लोगों को उनकी जमीनों के लिए मार्केट वेल्यू को देखते हुए कम्पेन्सेशन दिया जाय ।

१६२७ में गंगानहर गंगानगर में आई, उस समय ऑक्शन पर जमीनें दी गई थीं । जो टिलर थे उन्होंने ५,००० रुपया फी मुरब्बा कीमत देकर जमीनें खरीदी थी और उन काश्तकारों ने अपनी मेहनत से, खून पसीना एक कर के उन जमीनों को उपजाऊ बनाया, इम्प्रूव किया तो ऐसे काश्तकारों से जमीनें लेने जा रहे हैं उनके एवज में उन्हें केवल ट्वेन्टी टाइम्स या टैन टाइम्स मल्टीपल रेंट दे दें यह उचित नहीं होगा । उनको जो मार्केट वेल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये ।

इस तरह की जमीन की दो श्रेणियां कर सकते हैं एक श्रेणी तो वह जो इम्प्रूव्ड लैंड है और दूसरी श्रेणी वह जो वेस्ट लैंड एक्वायर की जा रही है । इन दो श्रेणियों में एक जो इम्प्रूव्ड लैंड है उसके लिए कम्पेन्सेशन की दर मार्केट वेल्यू रखनी होगी और दूसरी श्रेणी की वेस्ट लैंड है उसके लिये रेंट का मल्टीपल दे सकते हैं ।

तो काश्तकारों से सीलिंग द्वारा जो सरप्लस लैंड ले रहे हैं जिसके लिये यही जस्टिस होगा कि मार्केट वेल्यू दे कर लें । इस संबंध में बिहार में जो बिल पास हुआ उसका उदाहरण मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूँ । वहां पर ए क्लास लैंड के लिए १२०० रुपया पर एकड़ कम्पेन्सेशन रखा है, बी, श्रेणी के लिए ८०० रु०, सी श्रेणी के लिए ६०० रुपया और चौथी श्रेणी की जमीन के लिए ४०० रुपया पर एकड़ रखा है । तो हमारे यहां यह स्थिति है कि गवर्नमेंट स्वयं जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं उनको मार्केट वेल्यू पर जमीनें दे रही है तो समझ में नहीं आता कि काश्तकारों से जमीन लेते वक्त वह कम्पेन्सेशन दे जो लैंड का मल्टीपल हो तो यह उचित नहीं होगा ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

**श्री सभापति** : श्री मोतीलाल ।

**श्री मोतीलाल** (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदय, कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में दो अमेंडमेंट हैं । एक सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य का है कि जो ओरिजिनल बिल में रेंट का मल्टीपल कर के पन्द्रह बीस गुना हो वही देना चाहिये । दूसरा अमेंडमेंट है कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाय ।

सलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मैं पक्ष में हूँ और सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसके विरोध में हूँ । जागीरदारों की बात कर के जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, मैं भी प्रगतिशील हूं पर आज कुछ भी कहें जागीरदारो या जमीदारी की बात कहें पर आज राजस्थान में न जागीरदार हैं और न जमींदार है । राजस्थान के कुछ हिस्से में बिस्वेदार हैं उनको भी हम खत्म करने जा रहे है ।

उदाहरणस्वरूप जागीरदारी, जमींदारी खत्म हुई तो उसके पास खातेदारी राइट एक्वायर करने से ५०० बीघा जमीन रह गई । मार्केट में फुल प्रोडक्शन बढाने के लिए उन लोगों ने खूब मेहनत की, एक काश्तकार के ७ लड़के थे तो ७ कुएं अपनी जमीन में बना लिए । मैं रहता हूं बीकानेर के दूसरे डिवीजन में जहां नहर नहीं है, जहां कुओं से सिंचाई होती है । पिछले तीन वर्षों में काश्तकार ने अपने ५०० एकड़ या ५०० बीघा खेत में कुछ कुए खुदवाये । उसने ७ कुए खुदवाये । नावा, मेड़ता को छोड़कर दूसरी जगह कुए खुदवाते हैं वहां पर एक कुए के १० हजार रुपये पड़ते हैं । जब एक कुए पर १० हजार रुपये लगते हैं तो ७ कुओं पर उस गरीब काश्तकार के ७० हजार रुपये लग गये और वह रुपये उस जमीन से जल्दी से जल्दी वसूल नहीं कर सकता । क्योंकि लैंड की रिटर्न ज्यादा नहीं देती है लोगों की जमीदारी गई, जागीरदारियें गई । जब आपने काश्तकारों को टीनेन्सी राइट दिये तब पिछले तीन सालों में कई लोगों ने अपने खेतों में इन्वेस्टमेंट किया और खेतों को इम्प्रूव किये । एक आदमी ने अगर अपने खेतों में तीन कुए खुदवाये तो मैं यह कहूँगा कि उसके ३० हजार रुपये लगे । उसको ३० हजार रुपये जो लगाये हैं उसका रिटर्न १० वर्ष में जाकर मिलने वाला है । इस कारण से वह किसान इस स्थिति में नहीं आता । यदि हम १० गुणा, २० गुणा या ४० गुणा भी दें तो उसका कम्पेन्सेशन जो उसने उस जमीन पर लागत के रूप में लगाया है पूरा नहीं पड़ता । एक आदमी की जमीन चाहो में नहीं आई । सेटलमेंट तो १० साल के बाद होने वाला है । जब सेटलमेंट होता है तो उस जमीन के ४ रुपये या ५ रुपये बीघा आता है और अगर उसके पास २० बीघा जमीन है तो १०० रु० पड़ते हैं । अगर हम इससे कम्पेअर करते हैं तो उस गरीब के साथ अन्याय होगा । उस किसान के साथ जिसको आपने टीनेन्सी एक्ट के द्वारा किसान मान लिया है और उसने तभी रुपये उस खेत में इन्वेस्ट किये जब आपने उसको टीनेन्सी राइट्स दिये और वह भी उसने इन्वेस्ट किया तकावी लोन लेकर या किसी दूसरे से लोन लेकर । यानि उसने राइट्स मिलने के बाद कर्ज लेकर जमीन की उपज बढ़ाने के लिये उस जमीन पर इन्वेस्टमेंट किया । अगर ऐसी

(श्री मोतीलाल)

स्थिति में हम उनको कुछ गुणा देते हैं तो यह उचित नहीं बैठता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करें। आप जयपुर को ही ले लें। किसी व्यक्ति ने जयपुर के आस पास जमीन में कुए बनाये। उसने ५ हजार रुपये एक कुए में लगाये। उसने क्या कसूर किया। उसने कूआ बनाया। अगर उसके कुए बनाने के बाद ऐसी स्थिति आती है तो उसके साथ बहुत अन्याय होता है। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसी स्थिति को देखते हुये यह उचित नहीं होता इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको विथड्रॉ करलें। हम जमींदारों के नाम से या राजाओं के नाम से ऐसा करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि राजा तो कुल २० हैं और जमींदार और जागीरदार भी २००० होंगे। मगर मैं यह कहूँगा कि किसान तो हजारों हैं। उन किसानों ने, एक साल में, उनको खातेदारी राइट्स मिलने के बाद में अपने खेतों में काफी इन्वेस्टमेंट किया। कहीं कहीं इन दो सालों में कोम्युनिटि प्रोजेक्ट और ब्लोक जहां पर खुले हैं वहां पर दो सालों में काफी कुए बनाये हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि मार्केट रेट है, दूसरा आपका कम्पेन्शेशन देने का तरीका है वह लैंड एक्वायर रूल्स का है। जब आप लैंड किसी से एक्वायर करते हैं तो उसको जो मुआवज़ा देते हैं वह इसी तरह से उनको भी मुआवज़ा दिया जावे। आपका अर्बनइम्प्रूवमेंट बोर्ड जब लैंड एक्वायर करता है तो मुआवजा दिया जाता है। जब एक खेत उस लैंड एक्वीजिशन में आता है तो आप उसको मुआवजा देते हैं। अगर एक स्थान म्युनिसिपैलिटी के बाहर पड़ता है, उसको आप २० गुणा देंगे और म्युनिसिपैलिटी में है उसको आप मार्केट वेल्यू देते हैं। इसके अलावा ओरिजन देंगे। मानलें कि एक व्यक्ति ने २० वर्ष पहले कुआ बनाया। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि २० वर्ष पहले बाजरा एक मन का बिकता था। आज वही बाजरा २० रूपये मन का है जयपुर में जमीन का भाव पहले ६ आना और १२ आना गज का था वही आज ज़मीन का भाव यहां पर ७ रूपये गज और ६ रुपये गज होगया है। थोड़े समय पहले अर्बनइम्प्रूवमेंट बोर्ड ने जमीन लोगों को १ रु० १२ आने गज के हिसाब से दी और इस साल उसी के पास की जमीन को २ रु० १२ आने के भाव से दी है। इसलिये यह क्लीयर है कि कोस्ट बढ़ रही है इसलिये आपको उसको भी बढाना होगा। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जयपुर शहर के पास में जिस लैंड के १२ आना बीघा लैंड रेवेन्यू थी। आज कहीं भी आप ज़मीन मोल लेंगे तो वह मिल नहीं सकती। बहुत से काश्तकार जो जयपुर में रहते हैं और जिन्होंने जयपुर से १०,१२ मील में या उसके आस पास जमीन लेना चाहा वह आज उसको नहीं मिल सकती। आप उनको २० गुणा क्यों देते हैं। उन लोगों ने क्या कसूर किया है जब आप म्युनिसिपैलिटी के भीतर वालों को मार्केट वेल्यू या लैंड एक्वीजिशन रूल्स के अनुसार कम्पेन्सेशन देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जयपुर जोधपुर या टौंक किसी भी जगह को ले लें। डेवलपमेंट खेतों पर लोगों ने पिछले तीन सालों में किया है। और उनकी रिटर्न उनको १० वर्षों में नहीं आ

# Page No.97



(श्री मोतीलाल)

सकती। इसलिये माननीय राजस्व मन्त्री ने सदस्यों की राय से इस विषय में सलेक्ट कमेटी के समय में बहुत सोच विचार के साथ और सभी दृष्टिकोणों को देखते हुये मार्केट वेल्यू और लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अनुसार....

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व-मंत्री) : That is the decision of the Select Committee and not of the Revenue Minister.

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : How does the Hon'ble Minister absolve himself of the responsibility. He has not given any note of dissent.

**श्री दामोदरलाल व्यास** I don't absolve myself of the responsibility, but I cannot shoulder it alone. It is a decision of the whole Select Committee.

**श्री श्रीभानसिंह** : But it also embodies your decisions and views.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Certainly. I say that I was a member of the Select Committee.

**श्री मोतीलाल** : जो माननीय सदस्य सलेक्ट कमेटी में थे उन्होंने सोच समझ कर सभी दृष्टि से यह रखा है। और सलूम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य का यह जो सुझाव है यह गलत बात है। गवर्नमेंट को देना होगा। गवर्नमेंट ने जागीरदारों को दिया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि.... ...

**श्री सोहनलाल भटनागर** : जागीरदारों से लैन्ड रेवेन्यू देते हैं उसके बराबर है।

**श्री मोतीलाल** : किसानों ने भी, जब तक उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले, कुए नहीं बनाये थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I want to inform the Hon'ble Member that allready there is a provision in the Tenancy Act for assesment of compensation for any improvement made on the land. Therefore, he need not mis-understand that he will not be paid for the improvements. He will be paid separetely, for the improvements made on the land.

**श्री मोतीलाल** : जो माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है बहुत अच्छी बात है मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों ने क्या कसूर किया है जिससे कि उनको मार्केट रेट का फ़ायदा नहीं मिले और लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट का फ़ायदा न मिले।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have not opposed it. I have only given the information. Perhaps you are under the impression that he will not get any compensation. But under the Tenancy Act he is entitled to have compensation for the improvements made by him on the holdings.

**श्री मोतीलाल** : I don't know what is contained in the Tenancy Act. My impression is that there should be no difficulty if the compensation is paid under the land Acquisition Act. अगर आप उनसे जमीन लेते हैं तो आपको

(श्री मोतीलाल)

उनका पूरा मुआवजा देना चाहिये। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने भी जमीनों का मुआवजा दिया है.......

**श्री सोहनलाल भटनागर** : We shall be discriminating if we keep different provisions here.

**श्री मोतीलाल** : मेरा खयाल है कि मुझे बार बार इन्ट्रप्ट नहीं किया जावे। मैं आपको इसी जयपुर में एक नहीं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि यहां पर सी स्कीम में सब जगह पर कुए थे और खेत थे। और उसका पेमेंट लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के प्रोविजन में करेंगे। आज जयपुर म्युनिसिपल एरिया बढ़ चुका है और अब यह क्वीन रोड तक पहुंच गया है। तो जो एरिया म्युनिसिपैलिटी के बाहर है उनको वही मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिये जो मुआवजा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर के एरिया के लोगों को मिलता है। यह एक बहुत सीधी सी बात है। मार्केट वेल्यू से उनको आप मुआवजा दीजिये। और मेरे खयाल से वे इसको मानेंगे। सलेक्ट कमेटी में सहमत हैं।

४ म० प०

उसके बाद श्री अनोपसिंहजी का जो प्रस्ताव था कि किस तरह से पेमेन्ट किया जाय उसके बारे में मैं श्री अनोपसिंहजी के प्रस्ताव के साथ सम्पूर्ण तो सहमत नहीं हूँ किन्तु आधा जरूर हूँ। आधा इसलिए कि जहां पर बड़ा कम्पेन्सेशन मिलने का प्रश्न है उसको एक साथ न दे सकें तो उसके लिए कोई अमाउन्ट फिक्स कर लेना चाहिये जैसे कि जागीरदारों और जमींदारों के बारे में किया है। यानी उनको इतना हजार तो एक साथ दे दिया जाय और बाकी के लिए इतने हजार की दो, तीन, चार इन्स्टॉलमेंट्स कर दी जाय। मान लीजिये कि किसी जमीन का मुआवजा पांच हजार रुपया होता है तो पांच हजार या उससे नीचे की रकम को एक मुश्त दे दिया जाय और उससे ऊपर की इन्स्टॉलमेंट्स में। दस हजार की हो तो दो में, बीस हजार की हो तो तीन चार में क्योंकि गंगानगर जैसे क्षेत्र में जहां की ८०, ८० मुरब्बा जमीन है वहां पर कम्पेन्सेशन का एक लाख रुपया तक का भी अमाउन्ट आ सकता है। वहां पर कई ऐसे लोग इस प्रकार की रकम भी लेने वाले मिलेंगे.......

**एक माननीय सदस्य** : ऐसा नहीं है।

**श्री मोतीलाल** : है भाई। मैं समझता हूँ कि श्री अनोपसिंहजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके संशोधन को इस प्रकार कर दिया जाय कि पांच हजार की रकम हो तो एक इन्स्टॉलमेंट में दे दिया जाय और बाकी की नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंट्स में। यदि एक साथ रकम लेंगे तो कहीं डाका पड़ जायगा, चोरी हो जायगी। समाजवाद की जो नीति है उस दृष्टि से हमको कम्पेन्सेशन देकर पूंजीवाद या पूंजीपति नहीं क्रोयेट करना चाहिये कि एक लाख की रकम हो तो एक ही साथ दे दी जाय, काश्तकार भी कई पूंजीपति बन चुके हैं। ठाकुर मदनसिंहजी को रुपया नहीं मिला हो और वे न बने होंगे। बाकी बन चुके हैं। तो इस प्रकार से कम्पेन्सेशन इन्स्टॉलमेंट्स में दे दें कि पांच हज़ार से नीचे की रकम एक साथ और ऊपर की इन्स्टॉलमेंट्स में देंगे। इससे यह होगा कि जो जमीन उनके पास बच रहेगी उसका अच्छी प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। मान लीजिये कि मेरे पास

# Page No.99



(श्री मोतीलाल)

३० स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक ज़मीन है। यदि अधिक जमीन सरेन्डर होती है और उसका मुआवजा मुझे पांच हजार रुपया मिलता है तो जो जमीन मेरे पास बच गई उस रकम को मैं उस बची हुई ज़मीन में इन्टेन्सिव कल्टीवेशन में लगाऊंगा, खेती को डवेलप करूंगा जिससे देश का भला होगा, मेरा भला होगा और साथ ही प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दोनों बातों को कहते हुए मैं आशा करता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर सलेक्ट कमेटी के साथ सहमत होते हुए आये हैं, इसको मानेंगे।

**श्री भोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, धारा ३० जो पर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि सदन में, जो जमीन जिनके पास से ली जावेगी और उनको जो मुआवजा दिया जावेगा, उसके ऊपर काफी वाद-विवाद हुआ है। सीलिंग बिल पर अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो इस सदन में भावना प्रकट की है उससे यह सबूत पा रहा हूं कि सीलिग पर सन् ५३ की कमेटी की रिपोर्ट आज ५६ में पास नहीं हुई है या अब होने जा रही है उसका कारण यह था कि जो कुछ माननीय सदस्य नहीं चाहते थे और उनके प्रभाव से माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, राजस्थान सरकार इस बिल को नहीं लाना चाहते थे इससे भी यह जाना जाता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं क्या नहीं लाना चाहता था।

**श्री सभापति** : वे अपने विषय पर आ रहे हैं।

**श्री भोगजी भाई** : मैं मुआवजे के बारे मैं कहता हूं। बिल की जो धारा पास हो रही है वह मुआवजे के सिलसिले में है और उस पर वाद-विवाद चल रहा है। आज तक बिल पास नहीं हुआ उसके लिए एक उदाहरण दिया था। अब भी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो मुआवजे की रेट हो वह मार्केट रेट से हो। उनमें चाहे जागीरदार या जमींदार कोई भी हो उनको मार्केट रेट से दिया जाय। अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले और इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाय। हम चाहते हैं कि किसानों को जमीन मिले। किसान पर भी इसका बोझा आने वाला है और सरकार को भी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और मुआवजा देना पड़ेगा। जमीन राज्य की है, या राज्य की सम्पत्ति है, ठीक है, हमने उसको खड़ी है, काश्तकारों ने जमीन का विकास किया है, उसकी उन्नति की है, जमीन से फायदा लिया है, लाभ लिया है और सैकड़ों वर्षों तक उस जमीन के जरिये भूमिहीनों का शोषण किया है। लेकिन खातेदारी राइट्स हैं लोगों के। जो उप-खातेदार काश्तकार हैं, इस सीलिंग के जरिये उसको हक मिलेगा तब हम उसमें यह पास करने जा रहे हैं कि खातेदार को मुआवजा सब-खातेदार को देना होगा या सरकार को देना होगा। सरकार कहां से देगी। यह भी मैं समझता हूं कि इसका सारा का सारा भार छोटे किसानों और मजदूरों पर पड़ने वाला है, बोझा सारा का सारा उन पर ही पड़ने वाला है। होना तो यह चाहिये था कि इस धारा में संशोधन के द्वारा जो रेट माननीय सदस्य ने रखी है उसको उदारता के साथ माननीय सदस्यों को और इस सदन को पास करना चाहिए था लेकिन इसमें

(श्री भोगजीभाई)

यह चाहते हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से उनको दिया जाय। माननीय सदस्यों ने यह दलील दी है कि जमीन का विकास किया है, कुंआ बनाया है और मकान बनाया है उसका तो अलग से दिया जाय लेकिन जमीन का भी मार्केट रेट से मुआवज़ा दिया जाय। यह गरीब किसानों के साथ अहित होगा और राज्य सरकार को तो भुगतान करना होगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो सलूम्बर से आये हैं उनके संशोधन को स्वीकार करना अच्छा होगा और इस धारा को उसी रूप में पास कर दिया जाय। मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्यों के बड़े प्रभावी भाषण से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कहीं बह नहीं जांय। राजस्थान में लाखों भूमिहीन किसान हैं जिनके पास कम जमीन है उनका फिर क्या होगा। इसका क्या परिणाम निकलेगा इस पर ख्याल रखते हुये माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करें, यही मेरा निवेदन है।

**श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) :

माननीय सभापति महोदय, धारा ३० जी पर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

मूल विधेयक की धारा में जिस आशय को रखने का प्रावधान रखा गया था वह जब सलेक्ट कमेटी में जाकर पहुंचा तो ऐसा मालूम हुआ कि वास्तव में जो बात सामने आयी उसकी शक्ल बिल्कुल बदल दी गई। यानी सरकार ने जो कुछ निश्चय किया यानी जो ढंग कम्पेन्सेशन देने का रखा और कितना दिया जाना चाहिये सारा का सारा हो दूसरे रूप में सदन के सामने मौजूद है। सभापति महोदय, इस विधेयक की भिन्न भिन्न धाराओं पर विचार करते हुए हमेशा हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इस विधेयक के लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है और यही बात ध्यान में रखते हुए इस विधेयक की जितनी भी धारायें हैं उन पर विचार करना चाहिये। जो कुछ भी वादविवाद करें हमें इसके मूल उद्देश्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह देखता हूँ कि जब वादविवाद शुरू होता है तो विधेयक की जो मन्शा होती है और सरकार ने जिस मन्शा से विधेयक को रखा है वह एक तरफ रह जाती है और वादविवाद की शक्ल दूसरी हो जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने इस विधेयक की धारा ३० जी को जिस रूप में रखा है वही सरकार को मदद देने में काफी सफलता प्रदान कर सकती है और जिस बात को हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरी हो सकती है। तो सभापति महोदय, इस धारा में साफ तौर से तीन बातें बतायी गई हैं। जबकि सीलिंग के अनुसार जमीन सरकार ले लेगी तो उस जमीन का कम्पेन्सेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की हो। अब कम्पेन्सेशन के दो भाग किये गये हैं, एक तो जमीन का कम्पेन्सेशन देना और दूसरा इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन देना। फिर बताया गया है कि कम्पेन्सेशन कौन असेस करेगा फिर यह। बतलाया गया है कि यह कब और किस प्रकार दिया जाय। सभापति महोदय इसमें साफ बतलाया गया है–कम्पेन्सेशन दो रूप में रखा गया है–एक तो जमीन का और दूसरा इम्प्रूवमेंट का। तो ज़मीन के कम्पेन्सेशन का जहां तक सम्बन्ध है, वह तो टिनेन्सी

(श्री रामचन्द्र)

एक्ट के अनुसार दिया जाता रहा है वह हमेशा उसी के अनुसार उस जमीन पर कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। और इम्प्रूवमेन्ट के लिहाज से जो कम्पेन्सेशन दिया जाय वह किसी नियम के अनुसार या किसी स्केल के अनुसार निर्धारित होना चाहिये। एक्विजिशन एक्ट के अनुसार किसी जमीन का कम्पेन्सेशन दिया जाना बिल्कुल इस बिल की मन्शा और उसूल से विरुद्ध है। एक्विजिशन तो सरकार उन भूभागों का लेती है जिसका न तो नेशनल पर्पज होता है और न पब्लिक पर्पज़ ही। वैसी हालत में जो जमीन किसी हद तक ज्यादा थी दूसरे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के वास्ते ली है उसके लिये उन जमीनों का मुआवजा देने के लिये एक्विजिशन एक्ट के अनुसार मुआवजा देना और मार्केट वेल्यू के अनुसार कीमतें चुकाना नितान्त अनुचित है। जैसा कि टिनेन्सी एक्ट के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया उसी के अनुसार मिलना चाहिये। अब सवाल रहा कि कम्पेन्सेशन किस प्रकार से दिया जाय। उसके लिये इसमें साफ प्रावधान है कि उस कम्पेन्सेशन की जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार जब उस जिम्मेदारी को लेती है तो वह जमीन लैंडलैस या दूसरे व्यक्तियों को दे, उसका पैसा सरकार के पास आयगा, फिर वह भूमिधारियों को दिया जायगा। इस तरह से सरकार एक प्रकार से मीडियम है। इसलिये सरकार, पर यह जिम्मेदारी डालना कि वह एक मुश्त में कम्पेन्सेशन अदा करे, यह नितान्त अनुचित है। जैसा कि अब तक होता आया है—जागीर रिजम्पशन एक्ट में कुछ तो नकदी के रूप में दिया गया है और बाद में बोन्ड्स द्वारा टाइमली दिया जा रहा है। इस प्रकार इसमें कम्पेन्सेशन दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। अलबत्ता थोड़ी बहुत रकम जैसे १००,२००,५०० कैश के रूप में दे दिया जाय तो भी कोई अनुचित नहीं होगा। और जहां तक बड़ी बड़ी रकमों का चुकाने का सवाल है वह तो बोन्ड्स के रूप में ही की जा सकती है। "Partly in cash orpartly in bonds.", यह रखना उचित है और यही सरकार के वास्ते भी उचित तरीका है और इसी प्रकार से ही वह कम्पेन्सेशन दे सकती है। इसलिये मूल एक्ट में जैसी धारा रखी गई है उसी के अनुसार कम्पेन्सेशन चुकाना चाहिये। मूल एक्ट में कम्पेन्सेशन कितना देना, किस प्रकार असेस किया जाना चाहिये-यह टिनेन्सी एक्ट की धारा के अनुसार दिया जाना चाहिये। अथवा जितनी रेट अनइर्रिगेटेड लैंड की देते हैं, जैसे १५ गुना अनइर्रिगेटेड लैंड का मुआवजा देते हैं तो इर्रिगेटेड का बीस गुना दिया जाना उचित है। ऐसा किया गया तो जमीन के मालिकों को रुपया अच्छी तरह से मिल जायगा और जिन लोगों को जमीन मिलेगी वे भी आसानी से यह रकम इन्स्टॉलमेन्ट में चुका सकते हैं, यही मेरा निवेदन है।

**श्री रामचन्द्र चौधरी** (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, इस समय धारा ३० जी पर बहस चल रही है। सीलिंग लागू होने पर जो ज़मीन सरप्लस डिक्लेयर की जायगी उस पर क्या मुआवजा दिया जायगा। मेरे खयाल से इस मुआवजे के देने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है, जैसा कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रख कर कहा है, लगान का पन्द्रह या बीस गुना दिया जाय।

दूसरा तरीका यह है जो ज़मीन की नेट इन्कम हो उसका कोई multiple कई गुना

Page No.102



(श्री रामचन्द्र चौधरी)

करके दिया जाना चाहिये।

तीसरा तरीका है बाज़ार की कीमत के अनुसार। पूरी कीमत स्लेब स्लेब सिस्टम से अदा की जा सकती है।

इस पर बहुत विचार के बाद सलेक्ट कमेटी के द्वारा यह तय हुआ कि जमीन की बाजारू कीमत दी जानी चाहिये. परन्तु कुछ माननीय सदस्य राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए मुनासिब नहीं समझते हैं कि मार्केट वेल्यू के अनुसार उन किसानों को मुआवजा दिया जाय जिनके कब्जे से ज़मीन ली गई है। बदकिस्मती से आज भी हमारे प्रदेश में जागीरदारी के खिलाफ आवाज उठती है जब कि जागीरदारी हमने सात साल पहले ही खत्म कर दी थी। जागीरदार इस मायने में बाकी नहीं हैं और बहुत से जागीरदारों की दशा तो ऐसी है कि उनके कब्जे में कोई जमीन नहीं है क्योंकि बड़े जागीरदार खुदकाश्त नहीं करते थे और उनके कब्जे में कोई ज़मीन नहीं थी। इसलिए बहुत से जागीरदारों को, जिनके कब्जे में जमीन नहीं थी और उनको उनके गांवों में ज़मीन नहीं मिली है क्योंकि किसान को बेदखल करने का कानून तो हमने सन् १६४६ में ही पास कर दिया था कि कोई भी किसान अपने कब्जे की जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उस उसूल को मानने की वजह से हमने किसी भी किसान को उसके कब्जे की जमीन से बेदखल नहीं किया और जो जागीरदार अपने गांवों में जमीन नहीं ले सके उनको भाखरा में जाकर ज़मीन दी है और उनको एक एक मुरब्बा और दो दो मुरब्बा जो भी वहां का हिसाब है ज़मीन दी गई है इसलिए जो जो जागीरदारों का नारा है यह तो एक भावना की चीज़ है, बीते इतिहास की चीज़ है। आज तो यह समस्या हमारे सामने नहीं है। दूसरी समस्या थी बड़े बड़े जमींदारों और बिस्वेदारों की। लेकिन राजस्थान के बहुत ही थोड़े हिस्से में यह समस्या थी। कुछ भरतपुर, अलवर और थोड़ा हिस्सा हनुमानगढ़ तहसील में था. जिसमें जमींदारी लागू थी। उसको भी हमने जमींदारी बिस्वेदारी एबोलीशन एक्ट के ज़रिये दूर कर दिया है और पिछली १५ तारीख से यह हमारे देश में लागू कर दिया गया है।

४.२१ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

जितनी भी लैंड हैं उसके जरिये हमारी सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं और नोटिसेज़ जारी कर दिये हैं। बहुत सी बेकार जमीन लोगों के पास पड़ी है और उसका मुआवजा लेना चाहते हैं तो वह कैसे मिलेगा ? जो जमीन गवर्नमेंट अपने पास ले चुकी है वह तो उसकी हो चुकी है इसलिए बिस्वेदारी और जमींदारी चीज़ें तो गये जमाने की हो गई। अब हमारे सामने सवाल यह है कि जिन लोगों के पास इस समय सीलिंग जो हम कायम करते हैं उससे ज्यादा जमीन है उस पर मुआवजा किस तरह से दें। आपने जागीरदारों को लाखों रुपया दिया और जमींदारों को भी देने का आपने एक तरीका बनाया। एक सवाल ऐसा भी था एक माननीय सदस्य ने कहा था कि टिनेन्सी एक्ट में दो उसूल कैसे लागू करें। तो उसमें मैं बतलाना चाहता हूँ कि जागीरदारी और जमींदारी उन्मूलन में जो कि हमने कम्पेन्सेशन का तरीका रखा है उससे इस सीलिंग का तरीका बहुत भिन्न है। क्योंकि उसमें जो

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

ज़मीन थी वह दूसरे काश्तकारों के कब्जे में थी, मालिक का उन पर कोई कब्जा नहीं था। इसलिए उन पर जो मुआवज़ा बनता था वह तो बहुत ही कम होना चाहिए था लेकिन आज हम यह तय करते हैं मान लीजिए कि ५० बीघा पर जमीन का सीलिंग रखा और अगर मेरे पास ६० बीघा जमीन है, जिसको सैकड़ों सालों से काश्त करता हूँ और वह मेरी मिल्कियत है, तो जो मेरे पास १० बीघा सरप्लस ज़मीन है उसको सरकार लेगी तो उसका कम्पेन्सेशन किस तरह से देना चाहिए। इस पर हमें गौर करना है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ही उदाहरण पेश करता हूँ। कल जब मैक्सिमम सीलिंग लिमिट करने का सवाल था तो उस समय आपने कहा था कि हमें ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर यों करनी पड़ती है कि हम रेवेन्यू या रेन्ट रेट पर राजस्थान में उसको लागू नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था कि नहरी या चाही जमीन का लैंड रेवेन्यू यानी रेन्ट भिन्न भिन्न कोई २१ रियासतों के होने के कारण राजस्थान में अलग अलग है और यह ४॥ रुपये से ४० रुपये फी एकड़ तक है। यानी एक ही चाही ज़मीन के एक जगह ४॥ रुपये का भाव है और उसी किस्म की जमीन का दूसरी जगह ४० रुपये है और बारानी ज़मीन का बतलाया था कि ३ पैसे से ५॥ रुपये तक है। एक जगह पर एकड़ ३ पैसे है तो दूसरी जगह उसी ज़मीन के ५॥ रुपये भी हैं। यह अलग अलग रियासतें होने के कारण अलग रेवेन्यू सिस्टम था। कोई एक सिस्टम लागू नहीं था। इसलिए जो सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य हैं, जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि नहरी जमीन का लगान का २० गुना होना चाहिए और बारानी जमीन का १५ गुना होना चाहिए तो आपके हिसाब के मुताबिक होना चाहिए। तो आपके हिसाब के मुताबिक ३ पैसे का १५ गुना ४५ पैसा हुआ तो एक तरफ तो एक एकड़ की कीमत ४५ पैसे हो गई और दूसरी जगह ५॥ रुपये के १५ गुने ८२॥ रुपये हुए। हालांकि वह बारानी जमीन है लेकिन लगान में जगह जगह इतना फर्क है। आप अन्दाजा लगाइये कि इससे ऊपर कैसे किसी चीज को बेस किया जा सकता है। एक जगह नहरी जमीन की एक एकड़ की कीमत २० गुना करें तो ९० रुपये होती है और दूसरी उसी किस्म की जमीन की ४० रुपये का २० गुना करें तो ८०० रुपये होते हैं। कहां ९० रुपये और कहां ८०० रुपये एक ही किस्म की जमीन है। तो लगान के ऊपर हम इसको किसी तरह बेस नहीं कर सकते। क्योंकि राजस्थान में एक किस्म का लगान नहीं है, एक तरह का सिस्टम नहीं है। बहुत से प्रदेशों में जहां एक सा सिस्टम है और सेटल्ड रेवेन्यू रेट्स थीं वहां ऐसा कर सकते हैं लेकिन राजस्थान में जैसा माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि किसी तरह भी करना असम्भव है तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि कम्पेन्सेशन हम लैंड रेवेन्यू पर राजस्थान में कम से कम बेस नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने कई प्रदेशों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं और जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में बिल पेश हुए हैं उनको देखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपके सामने केरल प्रदेश का एग्रेरियन रिलेशन्स बिल, १९५७ है जिसमें उन्होंने कम्पेन्सेशन का क्लॉज़ ६२ रखा है उसमें लिखा है: "Compensation to be awarded for surrender of excess of land should

(श्री रामचन्द्र)

be based on market value of the land.' याने जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा था और उसमें भी मार्केट वेल्यू पर कम्पेन्सेशन रखा है। मैं नहीं कहता कि हम उनसे कम प्रगतिशील हैं। हम भी चाहते हैं कि हम उनसे आगे नहीं तो उनके बराबर तो हों लेकिन इसमें हमें दूसरे फेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। हम किसी जागीरदार की मर्जी से जमीन नहीं ले रहे हैं। इस समय तो उनसे जमीन जो सीलिंग से ज्यादा है वह लेना है। जिनके पास जमीन फालतू है-किसी के पास २० बीघा किसी के पास ३० बीघा और किसी के पास ५० बीघा फालतू है उनसे छीन लें और उनको इतना मौका भी नहीं दें कि वह अपने आप को रिहेबिलिटेट कर लें। दूसरे बिहार का सेक्शन २३ है जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास जमीन का मुआवजा १२५० रुपये पर एकड़ रखा है, सेकिण्ड क्लास की जमीन का ८५० रुपये पर एकड़, तीसरे क्लास की जमीन का ६०० रुपये पर एकड़ और फोर्थ क्लास की जमीन का ४०० रुपये पर एकड़ का मुआवजा रखा है। तीसरे रियासत यू० पी० है। यू० पी० के शिड्यूल वन में इसका ब्यौरा है–कम्पेन्सेशन का सेक्शन १७ है। उसके शिड्यूल वन में यह दिया गया है कि वहां पर बहुत दिनों से heriditary रेन्ट रेट था। तो उसमें दिया है 40 times in the land revenue assessed hereditary or 80 times of the land revenue which ever is greater. उसमें भी कम से कम नहीं है बल्कि इन दोनों में से जो ज्यादा हो ८० टाइम्स और ४० टाइम्स। जहां पर सैकड़ों सालों से सैटल्ड रेन्ट रेट व लैंड रेवेन्यू था उसमें ऐसा करने में सहूलियत थी। उन्होंने इस तरह से किया है 40 times or 80 times of the land revenue acres which ever is greater. चौथी स्टेट आन्ध्र है जिसका सेक्शन १२ कम्पेन्सेशन पर है। उन्होंने भी शिड्यूल दिया है जिसमें उन्होंने नेट इन्कम इन स्लाइडिंग स्केल पर बेस्ड किया है और नेट इन्कम इन स्लाइडिंग स्केल है उसका टेन टाइम्स दिया है।

पांचवी स्टेट मध्य प्रदेश है जिसके सेक्शन १५,१६ और शिड्यूल दोनों में इसको दिया है। उन्होंने लैण्ड रेवेन्यू पर बेस किया है। २) रु० से ३) रु० तक अगर लैण्ड रेवेन्यू है तो ८०) रु० उसकी लैण्ड रेवेन्यू का ७५ गुना। इस तरह से ११) रु० लैण्ड रेवेन्यू तक वे लगाते हैं। १५०) रु० से शुरू करके ५६०) रु० फी एकड़ और ४०, ५० और २५ टाइम्स एण्ड दी लीस्ट २० टाइम्स आफ दी लैण्ड रेवेन्यू। इस तरह से मध्य प्रदेश में ७००) रु० ८००) रु० के करीब अच्छी जमीन का मुआवजा रखा है स्लाइडिंग स्केल्स में।

छठी स्टेट है बम्बई। उसका सेक्शन २३ कम्पेन्सेशन के बारे में है। उसमें उन्होंने लिखा है 100 times of the full assessment of the land, यानी जितना असेसमेंट जमीन का है उसका १०० गुना।

इस तरह से मेरे पास ६ स्टेट्स के मुझे अभी तक बिल देखने को मिले हैं जिनमें किसी ने भी अपने इस सुझाव के मुताबिक मुआवजा दिलाना तजवीज नहीं किया, यानी हमको देखना पड़ेगा अपनी पड़ौसी रियासतों और दूसरों को। यह नहीं कि हम उनकी नकल करें, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, उस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और

(श्री रामचन्द्र)

इस तरह से सब बातों को देखकर जो हमारी सलेक्ट कमेटी ने तजवीज किया है Compensation besed on market value वही मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा बेसिस है हमारे राजस्थान के लिए, और वही अपनाना चाहिए। और सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह रखा है यह तो माननीय मंत्री महोदय के शब्दों के मुताबिक असम्भव है लागू करना राजस्थान में।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : सभापति जी, कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में कई संशोधन आये और उनके साथ ही साथ जो मूल विधेयक है उसको धारा का भी बहुत अच्छे तरीके से समर्थन किया है। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी प्रणाली हमारे मुल्क में प्रारम्भ हुई और जिसका प्रारम्भ एक ऐसी जगह से हुआ था कि उसके पीछे एक ऐसा कारण लगाया जाता है कि यदि हम पुरानी बात पर खयाल नहीं रखें तो नई नीचे की बातें हैं उस पर किसी प्रकार से छोड़ देते हैं तो बहुत भारी अन्याय होता है। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो राजा-महाराजाओं का था जो कि स्टेट्स में थे और उनको हटाकर वहां पर जनतन्त्र कायम करना था तो उन राजा महाराजाओं को भी हमें बहुत बड़ी तादाद के अन्दर सालाना कम्पेन्सेट करना पड़ा, और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी रकम मुल्क की उनको देनी पड़ी। जहां तक मैं समझता हूं कि उसका असर देश की आर्थिक नीति पर बहुत बड़ा हुआ था, परन्तु क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थीं, और उन परिस्थितियों को लेकर ऐसा स्वीकार किया गया, और देश का करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार को आज उस पर उस तरीके से देना पड़ता है। अब जब इतना रुपया राजा-महाराजाओं को देना पड़ता है जिनके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति थी उनको भी दिया तब सवाल यह उठता है कि उनको देने के बाद उनसे छोटे हैं उनको क्यों नहीं दिया जाय? इन्हीं बातों को लेकर जब जागीरदारी एबोलिश की तो वहां पर भी यह कहकर उन लोगों को बड़ा भारी कम्पेन्सेशन देना पड़ा, और दिया गया। उसका हमारे देश की आर्थिक और हमारे प्लानिंग पर क्या असर हुआ? हम जहां तक सोचते हैं आज जो देश की आर्थिक या राज्य की स्थिति है उसको देखा जाय, बहुत बड़ा असर रहा।

अब उसके बाद में सीलिंग- करते हैं, तो फिर किसान को जिसके पास से जमीन जाती है उसको क्यों नहीं दिया जाय। मैं जहां तक समझता हूँ कि उसके पीछे तो यह कारण था कि भाई कम्पेन्सेट उसको किया जाय– उसका काम बन्द हो गया, किस प्रकार से जीवन निर्वाह करेगा तो इसलिए कुछ न कुछ बसने के लिये कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ा। यह बात कह दी गई। बसाने का सवाल किसी राजा को नहीं था कतई। उनके पास संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि वह जिन्दगी भर और कई पीढ़ियों तक खा सकते हैं। लेकिन वह बात कही गई। जागीरदारों पर यह बात कही गई। उन्हें इस प्रकार से बसाने की बात कही जा सकती है, परन्तु उसके बाद में, अब सीलिंग के बाद में जब सवाल आता है तो यहां पर यह कहा जायगा कि अब बात है कि इन लोगों को बसाने का सवाल रहेगा तो वह बहुत भारी परिस्थिति हो जायगी। मैं समझता हूँ कि बसाने का सवाल है, सीलिंग के लगाने से बसाने का सवाल दूर नहीं होता। जिसके पास जमीन है वह

(श्री मुरलीधर व्यास)

बसा रहेगा। जमीन जिन्दगी बसर करने के लायक इस प्रकार की उसके पास रख दी गई है कि उसकी जिन्दगी पर असर नहीं होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि असर आयेगा, परन्तु जहां तक बसाने का सवाल है, वह नहीं है। वह स्वतन्त्रता से, आराम से निर्वाह कर रहा है। सवाल यह है कि सीलिंग के बाद दूसरों को किस तरह से बसाना है, उनकी स्थिति किसी प्रकार की करनी है, और उनको सुधारने में बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। इसका सरकार को अपनी तरफ से प्रयत्न करना है। कितने आदमी इस प्रकार से, सीलिंग के बाद में, उनके ऊपर क्या असर होगा और इसके साथ ही साथ सीलिंग लगने के बाद में कितने आदमियों को जमीन देकर और ठीक तरह से जमीन के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग देना पड़ेगा, यह एक समस्या है। अगर आप भूमिहीन को, जिसके पास बैल की जोड़ी नहीं है उसको केवल जमीन देते हैं तो क्या करेगा। आपने जैसे कहा कि ५ बीघा जमीन दे दी तो उसके साथ साथ जमीन देने के साथ साथ उसको औजार भी देने पड़ेंगे, बैल देने पड़ेंगे, और दूसरी सुविधायें भी देनी पड़ेंगी। उसको मदद करने का सवाल है। आप यदि यह कहेंगे कि नहीं तुझे अगर जमीन लेनी है तो इस तरह मुआवजा जो जमीन का है वह इस प्रकार से पहले देना पड़ेगा तब कहीं जाकर वह ज़मीन का कुछ हकदार बन सकेगा। जिनके पास रहने का सहारा नहीं है, सदियों से इस प्रकार से पीड़ित हैं, जिनके पास में एक पैसा नहीं है और आज जब उसके सामने यह सवाल रखा जायगा तो पैसा कहां से लायगा? आप उसको किस प्रकार से जमीन दिला सकेंगे, किस प्रकार से साधन दे सकेंगे। जब आप साधन नहीं दे सकेंगे, सुविधायें नहीं दे सकेंगे और जमीन दे दी तो कोई सही चीज नहीं होगी। उस जमीन पर देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, देश की हालत का वाकई ठीक तरह से सुधार हो, अगर वाकई में ग्रो मोर फूड आदि की समस्याओं को हल करना है तो, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या राज्य के सामने आ जायगी। अभी तक राजा महाराजाओं और जागीरदारों की गिनती थी इसके अन्दर लाखों लोग आगे मुआवजे के लिए खड़े होंगे और पैसा मांगेंगे, और आप उनको, क्योंकि जो जमीन की कीमत इस समय है उस कीमत में बाजार भाव से दिलाने की बात कहेंगे। जब बाजार भाव का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का संशोधन आया था बीच में कि ठीक बात है जो घोषणा सरकार कर दे कि केवल भूमिहीन ही उनकी भूमि ले सकेगा जो कि बेचना चाहेंगे, दूसरा नहीं ले सकेगा। वह जमीन खरीद सकता तो उसके बिना ही खरीद सकता था, सरकार को नया परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। जब कि आप भी बाजार भाव से करते हैं तो बाजार से वह भूमिहीन खरीद लेता इस प्रकार से। वैसे ही काम हो सकता था। इस प्रकार से परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। परन्तु जब सरकार हाथ में लेना चाहती है, सारी जमीन को लेकर नई व्यवस्था करना चाहती है तो व्यवस्था का दृष्टिकोण साफ रखना होगा। व्यवस्था का दृष्टिकोण साफ नहीं रखेंगे तो आप किसानों में अनेक प्रकार की बात पैदा करेंगे। अगर जिन लोगों की जमीन जाती है उनको कम्पेन्सेट करना है, उनको इस प्रकार से करना है तो सरकार नहीं देगी, सरकार अपने खजाने से पैसा नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

निकालेगी और उनसे दिलायेगी तो मैं समझता हूँ कि यह समस्या आगे जाकर किस प्रकार से हल कर सकेंगे। यहां पर उदाहरण कम्युनिस्टों का दिया जाता है कि केरल में इस प्रकार से हुआ कि फर्स्ट क्लास, सेकन्ड क्लास और थर्ड क्लास जमीन के लिए ४००) रु० प्रति एकड़ के हिसाब से दिये तो आप उसको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने प्रगतिशील कदम उठाया है। जिनसे कुछ उम्मीद थी और यह कहा जाता था कि साम्यवादी बड़े प्रगतिशील कदम उठाने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने कम्पेन्सेशन का विरोध किया-जहां भी इस प्रकार के बिल पेश किये गये-लेकिन कुर्सी पर आने पर उन्होंने वही किया, और हम भी इस प्रकार की बात करते हैं अपनी बात के समर्थन के लिए और उनको प्रोग्रेसिव कहते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने फोर्थ क्लास जमीन के लिए ४००) कम्पेन्सेशन रखा है और इस प्रकार से ए क्लास जमीन के लिए ८००)रु० कम्पेन्सेशन किया तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेसिव कदम उठाया है? मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई प्रगतिशील कदम उठाया है। उन्होंने एक पिछड़ा हुआ कदम उठाया है। सारे इतिहास में जो समाजवाद का दृष्टिकोण प्रगतिशील कहा जाता है उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। उनके उदाहरण को लेकर यदि हम भी प्रगतिशील बनना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उन्होंने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया और यहां भी वह कदम अच्छा नहीं कहा जायगा जहां पर लाखों लोगों को पैसा देना पड़ेगा। वह ऐसा कदम होगा जो हमारे राज्य की आर्थिक अवस्था पर असर डालेगा और हमारे विकास, उत्पादन और हर पहलू को बाधा पहुंचायेगा और नतीजा यह होगा कि सरकार की तरफ से साधन नहीं मिलेगा तो जिनके पास जमीन कम है वे जमीन पा नहीं सकेंगे और उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे और प्रोडक्शन नहीं हो सकेगा और हमारा जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को कम्पेन्सेशन के सवाल को गहराई से देखना चाहिये और साथ ही साथ यदि उनको किसी प्रकार से कम्पेन्सेट करना है तो आज उन लोगों को जागीरदार की हैसियत से कम्पेन्सेट किया है और जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन दस दस हजार बीघा तक रह गई है उसका भी यदि उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा और आप देंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि किसान दे नहीं सकेंगे। राजा महाराजाओं को जो पैसा देना पड़ता है वह केन्द्रीय सरकार को देना पड़ता है! लेकिन इसका असर सीधा राज्य पर आयेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति और राज्य के दूसरे साधनों पर उसका असर पड़ेगा। तो यदि किसी दृष्टि से किसी को कम्पेन्सेट करना है और जमीन की सीमा थोड़ी है और उनके साथ दूसरों को भी जमीन दी है, जहां तक आपने जो सीमा बांधी है उससे कमाई ५ या ७ हजार तक हो जायगी यह तो मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है। आपने इतनी सीमा रखी है और उसका मुआवजा भी देंगे तो हमारा राज्य की आर्थिक स्थिति पर उसका भारी असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ यह अच्छी चीज नहीं है। विनोबाजी ने कम्पेन्सेशन की बात नहीं की। उन्होंने लोगों से जमीन मांगी और उनका वितरण करना चाहते हैं लेकिन वे साधन भी साथ में मांगते हैं जैसे कुंआ, बैल जोड़ी आदि दूसरी चीजें

(श्री मुरलीधरव्यास)

भी मांगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भूमिहीन को जमीन दे रहा हूँ लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से होगा इसलिए वे दूसरी चीजें भी साथ में मांगते हैं। लेकिन आज आप क्या मांगते हैं ? आप उल्टा उस किसान से जमीन की कीमत मांगते हैं। ये दोनों काम देश की और राज्य की आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर नहीं डाल सकते। एक परम्परा चली है उसके आधार पर आप किसी चीज का समर्थन करें और उससे सारे भावी कार्यक्रम और प्लानिंग को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो मैं समझता हूँ जिनको इतनी अधिक सीमा दी हैं, इतना अधिक सीलिंग रखा है जिससे उनका आर्थिक जीवन अच्छी तरह से चल सके तो सरकार को चाहिये कि दूसरों को बसाने के दृष्टिकोण को सामने रखे और किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं दें और फिर भी यदि बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि पुरानी परम्परा है तो जिन लोगों के पास ३५ या ४० एकड़ जमीन शुरू से थी और वह भी उन्होंने उस खयाल से रखली कि कई भाई हैं साथ में मिलकर काम करेंगे और इस खयाल से पिछले ५ साल में उन्होंने अपनी जमीन बेची नहीं है तो आप उन लोगों को कम्पेन्सेट करें। लेकिन जिन लोगों ने जमीन बेचकर पैसा लिया और सीलिंग के बाद भी उनके पास जो जमीन रह गई उनको भी और ज्यादा कम्पेन्सेट करें तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर उसका बुरा असर पड़ेगा इसलिए मैं सलम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य के पूरे संशोधन का समर्थन नहीं करता। यदि आप कम्पेन्सेट करें तो उन लोगों को करें उन्होंने ५ साल में भूमि में परिवर्तन नहीं किया, जितनी थी उतनी रखी। परिवार में ५,६ सदस्य थे इसलिए उन्होंने जमीन रखी तो उनको कम्पेन्सेट करें ताकि सामाजिक व्यवस्था ठीक हो सके। लेकिन यदि आप कम्पेन्सेशन के नाम पर हर आदमी को पूरे बाजार भाव से कम्पेन्सेट करेंगे तो यह नीति की बात नहीं होगी। नाना प्रकार के व्यक्ति नाना प्रकार की बातें करते हैं। शहर में किसी की जमीन लेनी पड़ती है तो उसको कम्पेन्सेट करना पड़ता है इस तरह की नीति इसमें भी रखी तो यह नीति अच्छी नहीं है। सार्वजनिक काम के लिए और सोशियल काम के लिए जहां १०० में से ६० प्रतिशत आदमी जमीन पर गुजर-बसर करते है वहां राज्य और समाज के हित को देखना पड़ेगा और नया परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ मंत्रीजी देखेंगे कि भविष्य की समस्याओं पर इसका क्या असर होगा और सारे राज्य की आर्थिक स्थिति पर क्या असर होगा। लैंडलैस पर्सन्स की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं। इन सारी बातों पर गहराई से विचार करना पड़ेगा।

इसमें दूसरे राज्य का अनुकरण करने का सवाल नहीं है। हर राज्य अच्छा कदम उठा सकता है। राजस्थान में आप अच्छा कदम उठाइये। हमें कम्युनिस्ट को तमाचा मारकर उसका जवाब देना आता है। वह समाजवाद साम्यवाद से टक्कर लेना चाहता है। उस तरह के सच्चे समाजवाद का रूप रखना चाहते हैं तो समाजवाद के सार्वजनिक हित के सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं। तभी आप राज्य का उद्धार कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरी राय पर विचार करें और राज्य के विकास के

# Page No.109



(श्री मुरलीधर व्यास)

दृष्टिकोण को सामने रखें, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : सभापति महोदय, सदन के सामने जो कम्पन्सेशन का क्लॉज डिस्कस हो रहा है और उसमें जो अमेन्डमेन्ट सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उस अमेन्डमेन्ट का भी विरोध कर करता हूँ और जो ओरिजिनल क्लॉज़ बिल में है उसका भी विरोध करता हूँ।

इस सदन ने एक चीज मंजूर की कि कम्पेन्सेशन दिया जाय। अब सिर्फ फर्क इतना है कि कम्पेन्सेशन कितना दिया जाय और क्या स्केल हो। जैसा कि अभी माननी सदस्य जो पी. एस. पी. से आये हैं वे बोल रहे थे, मैं जहां तक जानता हूँ शायद जब पी. एस. पी. की गवर्नमेन्ट थी उसने भी कम्पेन्सेशन दिया था

**श्री मुरलीधर व्यास :** शायद आपको पता नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह** : लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं और वह यह कि भारतवर्ष में जितने भी कानून बनेंगे और जिस किसी लेजिस्लेचर को फंक्शन करना पड़ेगा उसको संविधान की तहत में चलना पड़ेगा और संविधान में जब तक कम्पेन्सेशन की क्लॉज़ है, जैसा कि मन्त्री जी ने ज़मींदारी एबोलिशन के समय कहा था, कम्पेन्सेशन हमें देना पड़ेगा। प्रश्न यह आता है कि कितना कम्पेन्सेशन जस्ट है और इक्विटेबल है और इस जस्ट और इक्विटेबल की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या स्केल हो सकती है, क्या क्वान्टम हो सकता है, यह डिसाइड करना है। कम्पेन्सेशन का संविधान की तहत हर एक व्यक्ति को राइट है।

प्राइवेट प्रोपर्टी, हमने उसका राइट माना है और अगर प्राइवेट प्रोपर्टी लेते हैं तो कम्पेन्सेशन देना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। वह कम्पेन्सेशन इतना होना चाहिये कि हम जिस समाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उस समाज की व्यवस्था के अन्दर इतना कम्पेन्सेशन कम न हो कि कहीं वह समाज के अन्दर एक व्यवस्था लाने की जगह अव्यवस्था ला दे। मैं यह मान कर चलता हूँ कि यह एक रिफोर्म है, यह बहुत बड़ा कदम है। मैं पी. एस. पी. के माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ा सोशियल रिफोर्म है और सोशियल रिफोर्म में जितना बड़ा कदम लेंगे, उसके मायने यह नहीं होंगे कि कदम इतना बड़ा है, लेकिन जरूरी है कि वह लोगों की भलाई करे और सोशियल इन्जस्टिस और इकॉनोमिक इन्जस्टिस को दूर करे। उनके खुद के शब्दों में लाखों आदमियों को यह अफेक्ट करता है, तो जो चीज लाखों आदमियों को अफेक्ट करती है, उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि पोलिटिकल डिस्कन्टेन्ट न कर दे। इस कम्पेन्सेशन की प्रोब्लम को सोशियल जस्टिस के पॉइन्ट ऑफ व्यू से एप्रोच करना पड़ेगा, इकॉनोमिक जस्टिस के पॉइन्ट से एप्रोच करना पड़ेगा, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइन्ट ऑफ व्यू से एप्रोच करना पड़ेगा, सेन्टीमेन्टल पॉइन्ट ऑफ व्यू से एप्रोच करना पड़ेगा। वहां हम नहीं कह सकते कि हमारा जजमेंट नेशनल होगा। जैसा कि आर्गुमेन्ट सलूम्बर से आये हुए माननीय

(श्री श्रीमानसिंह)

सदस्य ने दिया, मैं नहीं कहना चाहता कि उनका अमेंडमेंट आउट ऑफ आर्डर था लेकिन था ऐसा। जो बेसिस उन्होंने एडॉप्ट किया, वह बेसिस खुद माननीय मन्त्री महोदय ने राजस्थान में सीलिंग निर्धारित करने के लिये अनसाइन्टीफिक बताया, उसको डिस्क्रि-मिनेटरी बेसिस बताया, उसको इनइक्विटेबल बेसिस बताया। जो बेसिस सीलिंग निर्धारित करने के लिये राजस्थान के अन्दर इनइक्वि-टेबल, डिस्क्रिमिनेटरी और अनजस्ट है, उस बेसिस के ऊपर राजस्थान के अन्दर कम्पेन्सेशन दे सकते हैं। क्या, जहां कम्पेन्सेशन का प्रश्न आया, उसको साइन्टीफिक बेसिस मान सकते हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, पहले को जहां एक चीज के लिये रिजेक्ट करता हूँ, वहां दूसरा दूसरी चीज के लिये अच्छा नहीं हो सकता। मगर यह जरूर है जैसा कि आर्गू-मेंट दिया कि एक एक्ट के अन्दर दो तरह की धारायें कैसे हो सकती हैं। मैं खुद इस अचम्भे के अन्दर हूँ कि एक एक्ट में १० तरह की धारायें कैसे हो सकती हैं। टिनेन्सी एक्ट टिनेन्ट के लिये ट्रान्सफर के राइट कन्-फर्म करता है, उसी एक्ट के अन्दर जो ३० डी. धारा के नीचे है, वह ट्रान्सफर को वोइड करता हैं। ऐसे कॉन्ट्रेडिक्शन के प्रश्न को लेते हैं, इस एक्ट की धारा में जहां ट्रान्सफर राइट टिनेन्ट को दिया है, वहां उसी टिनेन्ट के राइट को ३० डी. के द्वारा किल करता है। यह कॉन्ट्रेडिक्टरी धारा है, उस सिद्धान्त को टिनेन्ट के लिए मानते हैं, दूसरी तरफ एक अमेंडमेंट लाकर उस राइट को नल एन्ड वोइड डिक्लेयर करते हैं। जहां तक कॉन्ट्रेडिक्शन का सवाल है, जो टिनेन्सी एक्ट का सिक्स्थ अमेंडमेंट है, मैं उसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, यह एग्ज़ाम्पल बताया कि यह कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है क्या। एक तरफ राइट को कन्फर्म करके दूसरी तरफ उसे डिनाई करते हैं। जब तक उसके ट्रान्सफर राइट को अमेंड नहीं करते हैं, वह सेक्शन बदस्तूर वही रहता है। इन एक्सेस ऑफ सीलिंग लिमिट को आप वोइड डिक्लेयर करते हैं, और दूसरी तरफ कॉन्ट्रे-डिक्शन पैदा करके उसको कन्फर्म मान लेते हैं। सलेक्ट कमेटी ने जो मार्केट वेल्यू का क्लॉज़ रखा, वह सदन के सामने है। मैं उससे भी एग्री नहीं करता क्योंकि मार्केट वेल्यू भी राजस्थान के अन्दर डिफर करती है और मार्केट वेल्यू के लिये कहा जाय कि यह लैंड की सेल, फर्टीलिटी, प्रोडक्टिविटी से कन्सर्न रखती है, तो भी मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मार्केट वेल्यू और बहुत से फेक्टर पर डिपेन्ड करती है। सबसे बड़ा जो फेक्टर है, वह है कि जहां लैंड पर ज्यादा प्रेसर होगा, वहां लैंड की मार्केट वेल्यू ज्यादा होगी, जहां लैंड की डिमान्ड ज्यादा होगी, वहां लैंड की प्राइस ज्यादा होगी। यदि लैंड ज्यादा फर्टाइल गंगानगर का है, वहां कम आदमी हैं, प्रेसर आफ लैंड कम है, तो वहां लैंड की मार्केट वेल्यू कम होगी, चाहे लैंड कितना ही फर्टाइल हो। इसके विपरीत भरत-पुर, कोटा, झुंझुनू, बूंदी, झालावाड़ के अन्दर प्रेसर ऑफ लैंड ज्यादा है, लैंड कम है, तो वहां मार्केट वेल्यू ज्यादा होती है। तो इस तरह मार्केट वेल्यू प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, प्रेसर ऑन लैंड के कारण डिफर करती है। लैंड की डिमाण्ड लैंड हंगर के कारण डिफर करती है। जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री ने माना है, लैंड हंगर हमारे प्रांत में ज्यादा है। जब लैंड हंगर ज़्यादा है तो यह मानकर

(श्री श्रीभानसिंह)

चलना पड़ेगा कि राजस्थान में मार्केट वेल्यू इनफलक्चुएटिंग है। अच्छे लैंड को मार्केट वेल्यू कम है। तो यह बेसिस नहीं हो सकता कम्पेन्सेशन देने का। तो फिर जस्ट इक्वीटेबल कौन सा बेसिस हो सकता है। वह बेसिस शुरू से हमने माना है और वह है स्लाइडिंग स्केल का बेसिस। जिस पर जितना ज्यादा लैंड हो, उतना ही कम कम्पेन्सेशन, जिस पर जितना कम लैंड हो, उतना ज्यादा कम्पेन्सेशन-यह इक्वीटेबल बेसिस हो सकता है। स्लाइडिंग स्केल के बेसिस को मान कर कम्पेन्सेशन देते हैं तो कह सकते हैं कि हमने इक्विटेबल बेसिस को माना है। फ्लेट रेट कोई मार्केट वेल्यू की नहीं हो सकती। यह तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा, २० टाइम्स आफ इर्रिगेटेड लैंड हो जाय, एक रिच आदमी को २० टाइम्स देते हैं और एक पुअर आदमी को भी २० टाइम्स दे देते हैं। जिसके पास से थाउजेन्ड एकड़ जमीन लेते हैं, उसको भी २० टाइम्स देते हैं, और जिनके पास इन एक्सेस आफ सीलिंग लैंड १० एकड़ आता है, उसको भी २० टाइम्स देते हैं। यह फ्लेट रेट नहीं हो सकती, यह मार्केट वेल्यू नहीं हो सकती। तो आपको तरीका रिवाइज करना पड़ेगा और वह है स्लाइडिंग स्केल का। इसके अन्दर दोनों पाइन्ट आफ व्यू मीट करते हैं। जैसा कि उन्होंने रखा कि इनके रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जिस रिहेबिलिटेशन की हमारे यहां किसको ज्यादा जरूरत है, जिसके पास कम जमीन है, जो लोअर लेडर पर हैं उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, कम्पेन्सेशन की ज्यादा डिमान्ड है, उसको भी ज्यादा मिलना चाहिये। जो हायर स्केल पर है, जिससे ज्यादा जमीन ली, उसको रिहेबिलिटेशन की कम डिमान्ड है, उसको कम कम्पेन्सेशन दे सकते हैं और इसे अनजस्ट नहीं कहा जा सकता है, उसको इन इक्विटेबल नहीं कह सकते हैं। यह एक इक्विटेबल और जस्ट क्राइटेरिया है और दोनों बातों को मीट भी करता है। तो अब क्या स्लाइडिंग स्केल होना चाहिये? उदाहरण के रूप में, जो काफी बातें बताई, उनको न माना जाय, तो मैं रिसेन्टली दिल्ली में पंतजी ने जो बिल पेश किया है, उसको मोडल बिल मानता हूँ, इसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नीति माना जाय, जो पार्लियामेन्ट में बिल पेश हुआ है, उसको मोडल बिल माना जाय। जिस तरह प्लानिंग कमीशन कम्पेन्सेशन देना चाहती है, वह उसके अन्दर आता है। इन सब कारणों से आप स्लाइडिंग स्केल रखिये कि फर्स्ट १० पर इतने टाइम कम्पेन्सेशन देंगे और इस तरह ग्रेजुअली रिड्यूस करते गये हैं, स्केल ग्रेजुअली इन्क्रीज करते गये हैं लैंड पर। उसको मान कर चलें तो ठीक रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि हम कम्पेन्सेशन....

**श्री पी. के. चौधरी** : Time is up, Sir.

**श्री सभापति** : Mr. Sribhan Singh, आप कितना समय और लेंगे।

**श्री श्रीभानसिंह** : Just about ten minutes more, Sir.

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे मंगलवार दिनांक ९ दिसम्बर, १९५९ के ११ बजे म. पू. तक स्थगित हुई।)

———

## संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार दिनांक ७ दिसम्बर, १९५९)

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** ११०४

हाई स्कूल, उनियारा

रेड बीड कस्बा बनेटा (उनियारा)

महाराजा कालेज, जयपुर में समाज-शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाओं का प्रारम्भ किया जाना

सीमेंट व चद्दरों का वितरण-जिला टोंक

आर. ए. एस. पदाधिकारियों की पदोन्नति

तहसील भवन, अलीगढ़ (उनियारा) में तहसीलदार का निवास

आर ए. एस. पदाधिकारियों का चयन

ग्राम गांगवा मंगलाना (मकराना) के सरपंच, श्री परमाराम द्वारा धोखादेही से रुपया लिया जाना

खसरा गिरदावरी-लूणकरणसर

प्राथमिक शाला, हरिजन बस्ती हसनपुरा (जयपुर)

गूंगों व बहरों का स्कूल, जयपुर

माध्यमिक शाला, सुल्तानपुर तहसील दीगोद

सुनेल टप्पा के शिक्षकों का स्थायीकरण (फिक्सेशन)

चरागाह, रायसर (बीकानेर)

आर्टिस्टिक क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर

भूतपूर्व बीकानेर रियासत के आदेशान्तर्गत वसूल की जाने वाली भूंगा लाग

ग्राम खोखराना व लूणकरणसर (बीकानेर) के काश्तकारों से वसूल किया गया टाइम बार्ड रेन्ट व भूंगा

जन-सेवा आयोग द्वारा सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हेतु किये गये व्यक्तियों का चयन

कृषि सहकारी समिति, आसींद (भीलवाड़ा)

तहसील पचभद्रा के अकालग्रस्त ग्रामों से लगान की वसूली

कोटा जिले में ओलों के गिरने से हुई फसल की क्षति

स्कम्भ

**कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन** ११७०

स्कम्भ

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मंत्री, ने कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

**विधायी कार्य** ११७२

**पुरःस्थापित किये गये विधेयक**

निम्नांकित विधेयक पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान लैंड रेवेन्यू, एण्ड पब्लिक डिमान्डस् रिकवरी, (संशोधन) विधेयक, १९५९

(२) राजस्थान गोदाम (संशोधन) विधेयक, १९५९

**कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार** ११७३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, प्रभारी मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ:—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है"

**विधायी कार्य** ११७४

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेंसी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८, पर अग्रेतर खंडशः विचार:—

स्कम्भ

खंड ३-धारा ३० डी:—आस्थगित रखी गई ।

खण्ड ३— धारा३० ई:—संशोधित रूप में स्वीकार की गई ।

खण्ड ३—धारा ३० एफ:—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई ।

खण्ड ३—धारा ३० जी:—इस धारा पर ५ सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये । इन संशोधनों पर की गई बहस में १२ सदस्यों ने भाग लिया ।

श्री श्रीभानसिंह बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५.०० बजे मंगलवार दिनांक ८ दिसम्बर, १९५९, को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

**मंगलवार, दिनांक ८ दिसम्बर, ५९ की कार्य-सूची**

१. मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि० भीलवाड़ा के श्रमिकों से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव।

२. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खंडश : विचार विमर्श)

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७२ का उत्तर देखिये )

To

The Special Secretary to Govt.,
Appointments Department,
Rajasthan, Jaipur.

Sir,

The petitioner respectfully submits as under :—

(i) That having received letter No. D. 14981/58F/16 (3) Apptts (A)/57 dated the 6th November, 1958, I was surprised to learn that my eye-sight has been found below the standard by the Medical Board.

(ii) That on 17th inst. I got my eye-sight examined by Dr. N. C. Jain M, S. (Luck) D. O. (Oxon). D. O. M. S. (Lond) F. I. C. S. Hony. Ophthalmic Surgeon, Irwin Hospital Delhi, and according to the certificate issued by him, my eye-sight does not fall below the standard, fixed by the Government for the guidance of the Board. The original certificate issued by Dr. Jain is attached herewith.

(iii) That in view of the certificate of Dr. Jain my eye-sight is upto the standard, prescribed under rules. It is therefore, prayed that my eye-sight may kindly be ordered to be examined again by the Medical Board.

Yours faithfully,

Sd. Jag Deo Singh Yadava
( JAGDEO SINGH YADAVA )
Baldeo Bhawan, Jati-ki-Bagichi,
ALWAR.

Dated 20th Nov. 1958.

DR. N. C. Jain
M. S. (Luck)., D. O. (OXON) D. OMS. (LOND) F. I. C. S.,
HONY. OPHTHALMIC SURGEON
IRWIN HOSPITAL

KUCHA MAHAJANI
Chandni Chowk, Delhi.

Jag Deo Singh Yadava

Having examined the eyes of Shri J. S. Yadav, whose signature is given above, I certify.

1. That the naked eye vision in either eye is 6/60.
2. That the vision with glasses in either eye is 6/5.
   ( No. of glasses being -7.5. D sph on both sides )
3. That his colour vision is normal.
4. That his near vision is JI.
5. That he does not suffer from any disease of the eyes except myopia.

Sd. N. C. JAIN,
17.11.58.

To

The Chief Minister,
Rajasthan, JAIPUR.

Honourable Sir,

Having been examined by the Second Medical Board on 3rd instant and having gathered from the inordinate delay in knowing the result thereof, that the Government is actively considering the legal aspect of the medical report, said to contain the recommendation that I am considered medically fit even though my naked-eye vision is below standard, I approach your honour, in the humblest way, with the following lines for your kind consideration, as it will be futile to plead the case after the final decision is taken.

(i) That it is for the Medical Board only to declare a candidate as medically fit or unfit in the light of the instructions, issued by the Government and the Medical Board is competent to recommend any candidate as medically fit even though he is found below standard in some aspect because, firstly, in the first paragraph of the instructions it has been laid down that "These instructions are intended merely for the guidance of Medical examiners and are not meant to restrict their discretion in any way" and in my humble opinion the discretion given to the Medical Board can only be exercised when it recommends a candididate as fit who falls below standard or declares a candidate as unfit when he is not below-standard. The power of discretion seems to have been given for meeting the cases where the defect is too little to interfere with his doing continuous effective service or where the candidate, though prime-facie alright, is considered not to render effective service.

Paragraph 11 of the instructions running as under is very clear on this point :—

"It should be remembered that the question of fitness involves the future as well as the persent and that one of the main objects of the medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment, to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small portion of cases, is found to interfere with continuous effective service."

Secondly, according to first paragraph of the instructions running as "The Government of Rajasthan reserve to themselves an absolute discretion to reject as unfit any candidate whom they may consider on the report of the Medical Board, to be physically disqualified and that their discretion is in no respect limited by these instructions." The Government have made it clear that no candidate can claim to be fit, when he is declared unfit by the Medical Board, even though he does not fall below the standard, laid down in the instructions. Here also the Govt. has taken the power to reject any candidate only on the recommendation of the Medical Board and in fact, the discretion has been given to the Medical Board to declare a candidate disqualified when he seems to be fit according to instructions. A necessary corollary of this proposition would be that the Medical Board possesses the discretion to recommend a candidate as qualified even when he does not strictly come up to the standard and that the Government has the power to accept him for appointment on the recommandation of the Medical Board.

Thirdly, the proforma, fixed by the Government to be filled by the Medical Board, though requiring record of particulars of the parts of the body, contains the last paragraph as "Is there any thing in the health of the candidate likely to render him unfit for the discharge of his duties, in the service for which he is a candidate." It clearly authorises the Medical Borad to declare the candidate as fit or unfit and use its discretion. Had it not been the intention of the Government the last para would not have been there and only the record of the particulars could have been demanded and the Government could have itself given the decision regarding fitness in view of the standards laid down by it.

Fourthly the Government by accepting the recommendation of the Medical Board last year, has recognised the discretionary power of the Board in the case of Shri Hanuman, an R. P. S., Candidate for 1957. He was shorter in height and the Board had recommended him and the Government appointed him without effecting a change in Rule 14 of Rajasthan Police Service Rules, which lays down that no candidate who is less than 5 feet 6 inches in height shall be deemed to be physically fit.

(ii) That in any case if the Government does not accept the recommendation of the Medical Board, the question arises whether it can reject me for appointment in the face of the recommendation. In my humble opinion, the Government can at the most send me for re-examination to the same or a new Medical Board with the direction that the report of fitness should be made in strict confirmity to the standards,

prescribed in the instructions. To be more clear, the Govt. cannot reject the recommendation of the Board declaring me to be qualified and at the same time reject me as unfit for appointment as my naked-eye vision is found a bit below standard. It has either to accept the report or reject it in its entirety. It is not for the Government to see what is the standard of distant vision of each naked eye, it is to be considered by the Medical Board alone and then to give final opinion about fitness, the decision for fitness rests with the Medical Board alone. If the Government considers that in arriving at the decisi for fitness, the Medical Board has not been strictly guided by the prescribed standards the only course open to it is to order re-examination by any Medical Board with strict directions.

(iii) That for being selected in I. A. S. and even I. P. S. in the year 1958 there is no minimum standard for naked-eye vision. Para 6 of the regulations relating to the physical examination of the candidates, runs as " There shall be no limit for minimum naked-eye-vision but the naked-eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other Medical Authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye." Except for the present year, it can be noted that there has been a paralled change in the directions issued by the Government for the guidance of the Medical examiners, with the change in the regulations issued by the Home Ministry of Indian Union. Tracing the history of how the directions of the Government were issued in the first instance and how they were changed with a change in the regulations of Home Ministry, I can authoritatively state that the directions of the Government issued for the guidance of Medical examiners who were to examine the first batch of candidates in the year 1955, were just a copy of regulations issued by the Home Ministry in that year and the eye-standard with or without glasses was very high ( for R. A. S. standard for naked eye was : Better 6/24, worse 6/36) when the eye-standard was lowered by home Ministry in the year 1956, it was in the same year, followed by Rajasthan Government ( Standard for R. A. S. was lowered to 6/60 for naked eye, vide order dated 16th June, 1956), when in the year 1957 the Home Ministry further relaxed the standard, for emergency recruitment; the Rajasthan Government quickly made a paralled relaxation (naked eye standard being relaxed to nil for persons above 27 years ). I have traced this history, just to convince your honour, that the sole guiding factor for effecting a change in the standard has uniformally been a change in the standard of the Home Ministry. I further take the liberty to make my humble suggestion, for appealing to your honour, to very

kindly order a change in the directions in consonance with the regulations, issued by the Home Ministry in the year 1958. The above change in directions, to my mind, is not only salutary, desirable and expedient but also necessary, for in the absence of it, a very incongruous proposition arises and that is that a candidate found medically fit for working as Collector or even Superintendent of Police (qualified for chasing dacoits in the night), is considered unfit by this Government for working as Extra-Magistrate. This point becomes very material in view of the fact that candidates selected for I. A. S. and I. P. S. are allotted to this State also. The Government can be perfectly correct in having a stricter standard for R. A. S. if it has nothing to do with persons selected in I. A. S. or I. P. S. or could have been in a position to apply the same rules (as for R. A. S.) for those who are allotted to this State, and so if, it has to take their services, either it should control the regulations of the Home Ministry regarding standards for medical fitness or is to itself control its directions in confirmity with the regulations of the Home Ministry and as it cannot do the former, it has to adopt the letter course.

(iv) That in view of the above para, if a change in the directions, in accordance with the regulations of the Home Ministery is considered desirable, I can further state, that the change can be effected any date and the argument that it should have been effected before the applications for R. A. S. exemination were invited, has no force. There is a very substantial difference between the Home Ministry and Rajasthan Government with regard to the power to change the regulations or directions. In the case of Home Ministry, they announce the change in the regulations when the applications are invited by the U. P. S. C. Rule 10 of the Home Ministry, issued in the year 1958. for competitive examinations lays down that " particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix VII and Appendix VII has fixed the standards and it follows from all this that the Home Ministry as a rule does not make a change after this publication, but the case of Rajasthan Government is quite different. This Government when applications are invited by Rajasthan P. S. C. supplies the candidates with the rules regarding recruitment and Rule 14 of the Rajasthan Administrative Service Rules, lays down that a candidate shall " be required to undergo a medical examination by a medical Board constituted by the Government from time to time, for the purpose. In conducting the medical examination, the Medical Board shall be guided by such instructions

as the Government may, from time to time, issue in this connection" and the particulars of the standards which a candidate will be subjected, are now here given. Every candidate there fore has been clearly made to understand that the power to change the standards at any time rests with the Government and some one can complain if it is raised or lowered The Government has retained the power of changing the standard in the directions, and to my mind, the Government has kept the power to change the standards to itself in view of the fact that it anticipated the anamoly of not effecting a change subsequent to a change in the Regulations in the Home Ministry. To be more clear, it is also places the standards before the candidates before examination and if it finds a change in I. A, S. standards, it cannot help the situation becoming ugly in having a higher standard for an inferior service and being not able to change it.

If the standard of eye-sight is, therefore, brought to the level of that required for I. A. S. selection it will be most just, fair and equitable.

To sum up, I, the son of a poor cultivator, being already over-age for any other Government service appeal to your honour most humbly and respect fully to very kindly either.

(i) appoint me to R. A. S. accepting the recommendation of the Medical Board; or

(ii) Order a change in the istructions in consonance with the Regulations of Home Ministry and send me for re-examination to any Medical Board.

Praying for your long life.

Yours faithfully,
Sd. Jag Deo Singh Yadav,
R. A. S. Candidate.

The 28th December, 1958.

To

The Secretary,

Appointments (A) Department,

Government of Rajasthan.

Jaipur.

Subject :—My selection in the R. A. S. and rejection on the basis of Medical Report.

Dear Sir,

With reference to your office letter No. D. 14981/58/F. 16 (3) Apptts (A)/58 dated 6th November 1958, informing me that I had been declared medically unfit on account of my eye sight having been found below the standard and as such I had been rejected for appointment to the Rajasthan Administrative Service. In this connection I wish to submit—

(a) that I beg to challange the decision of the Medical Board constituted by the Government. This is on account of the fact that I appeared in R. A S. only after getting fully satisfied that I was absolutely fit in all respects. My eyes were tested by a doctor at Calcutta and according to his opinion my eyes were far above the standard specified for the R. A. S. His observations can be submitted for your perusal if required.

Secondly I wish to point out that I again got myself tested by a local eye-specialist who reported that my eyes were quite upto the required standard. This was just before the official medical examination took place.

(b) In view of the above I request you to kindly supply me a copy of the official medical report so that I may be apprised of the exact position.

(c) I request that a new Medical Board be constituted and my eyesight be tested again so that justice be done to me, if necessary, I shall pay the required fee of Rs. 16/-.

(d) No junior candidates selected to the R. A. S. but much below my name in order of seniority (and having no chance in ordinary course)

should be given a chance of appointment to the R. A. S. till final decision is taken in my case.

Requesting an early decision and favourable action in the matter.

Yours faithfully,
Sd. Kanhaiya Lal Pareek,
( Kanhaiya Lal Pareek )
C/o Shri Bhagwan Das Murlidhar
Saraswaton Ka Mohalla,
FATEHPUR (Jaipur)

Dated, Jaipur, the
13th Nov., 1958.

NAVIN CHANDRA JOSHI

C/o Shri D. P. Joshi,
Civil Lines,
Ajmer.
Dated 10th November, 1958.

The Special Secretary to Government,
Appointments (A) Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

Sub :—Appointment to the R. A. S.

Sir,

Reference your Office letter No. D. 14981/58/F. 16 (3) Apptts. (A) /57 dated the 6th Nov., 1958 informing me that as my eye-sight has been found below the standard, I have been declared medically unfit for appointment to the R. A. S.

In this connection I have to state that before and after my medical examination at Jaipur on 16th Oct. 1958 I got my both eyes separately tested by several eye specialists and all are of the opinion that my eye-sight is within the standard prescribed for R. A. S. regular candidates. I enclose herewith a certificate in original from one eye-specialist, which is self-explanatory.

Sir, I have to request you that I may be resubmitted for a medical examination by another Medical Board for testing my eye-sight. In the name of justice and fairness I shall further request you that the second Medical Board may be set up at any place in Rajasthan except Jaipur or outside Rajasthan.

I have full hopes that justice shall be meted out to me by your goodself. All communications to me in this connection may please be sent to me at the above address.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd. Navin Chandra Joshi.
Lecturer,
S. M. K. College, Jdohupr.

25 November, 1958

The Special Secretary to Government,
Appointments ( A ) Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

Sub : APPOINTMENT TO THE R. A. S.

Sir,

Reference may kindly be made to my letter dated 10th November, 1958 enclosing therewith a certificate in original from Dr. Desai, Eye Specialist, Ajmer certifying that my eye sight is within the standards prescribed for the R. A. S. regular candidates.

I enclose herewith another certificate in original from the Eye Specialist & Surgeon, Irwin Hospital, New Delhi certifying that my eye sight is within the standards prescribed for the R. A. S. candidates.

This is for your kind information and necessary action.

yours faithfully,
sd. Navin Chandra Joshi
(Navin Chandra Joshi)
Lecturer
S. M. K. College, Jodhpur

Encl : 1 certificate
in original.

Dr. N. C. Desai
M. B. B. S. (AGRA) D. O., D. O. M. S (BOM)
F. R. C. S (EDIN)

Desai Eye Hospital
1, Kala Bagh,
AJMER.

I have examined the eyes of Shri Navin Chandra Joshi, Lecturer' S. M. K. College, Jodhpur, whose signature is given below and who has been declared unfit by the Medical Board, Jaipur due to subnormal vision in both the eyes, for appointment to the R. A. S.

I certify that his visual acuity with naked eyes in Right eye is 6/60 and in the Left eye 6/60. With glasses vision in Right eye is 6/6 (+.0) and in the Left eye is 6/9 (4.0). His fund, i field of vision and colour vision are quite normal.

In view of the above findings it is my opinion that Shri Navin Chandra Joshi is medically fit for the service for which he has been considered.

sd. N. C. Desai
Hon. Opthalmic Surgeon
VICTORIA HOSPITAL
AJMER.

Sd. Navin Chandra Joshi
(Signature of Shri Navin
Chandra Joshi, Lecturer,
S. M. K. (Govt) College.
Jodhpur.)
4. 11. 58.

Dr. H. MOHAN,
M. B. B. S., F. R. C. S., D. O. (Eng),
EYE SURGEON, IRWIN HOSPITAL
LAJPAT NAGAR

Clinic : 3778, FAIZ BAZAR
DARYAGANJ, Delhi-7.
Date 21st November, 1958.

I have examined the eyes of Shri Navind Chandra Joshi, whose signature is given below and who has been declared unfit by the Medical Board Jaipur due to defective vision.

I certify that his naked eye vision in each eye is 6/60 and with glasses 6/6 in Right eye with-4D and 6/9 in Left eye with-4. OD. He can read J I. Field of vision, Fund ii and colour vision are quite normal.

In view of the above findings it is my considered opinion that he is within the standards laid down for the Rajasthan Administrative Services for which he has been considered and therefore, he is quite fit for these Services.

Signature of Shri Navin
Chandra Joshi, M. Com.
Sd. Navin Chandra Joshi.

Sd. H. Mohan
(H. MOHAN)

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८५ का उत्तर देखिये )

## परिशिष्ट 'अ'

(१) संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा, १६५७ में उत्तीर्ण हुये व्यक्तियों की सूची

१. श्री बैकुन्ठनाथ चतुर्वेदी
२. ,, भंवरलाल महेश्वरी
३. ,, सूर्यप्रकाश चन्द भंडारी
४. ,, प्रकाशचन्द्र जैन
५. ,, गोपीचन्द अग्रवाल
६. ,, राजेश्वरप्रसाद तिवाड़ी
७. ,, ताराप्रकाश जोशी
८. ,, दिलीपचन्द जैन
६. ,, वेदप्रकाश साहनी
१०. ,, जीवनसिंह माहेचा
११. ,, ताराचन्द्र ।
१२. ,, गोविन्दप्रसाद पी० गौड़
१३. ,, हर महेन्द्रसिंह
१४. ,, ब्रह्मदत्त जोशी
१५. ,, सुधीन्द्र गेमावत
१६. ,, इकबालकृष्ण बाली
१७. ,, चैतन्यप्रकाश
१८. ,, गनपतराम यादव
१६. ,, वीरेन्द्र भरथरिया (शलम)
२०. ,, ईश्वरस्वरूप भार्गव
२१. श्री जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव
२२. ,, दीनानाथ मंडन
२३. ,, पद्म डी० शर्मा
२४. ,, पद्मपालचन्द भंडारी
२५. ,, पशुपति कुमार शर्मा
२६. ,, सन्तोषकुमार चौधरी
२७. ,, ओमप्रकाश भार्गव
२८. ,, भवानीसिंह राजपूत
२६. ,, राजेन्द्रप्रसाद
३०. ,, अजीतसिंह सिंघवी
३१. ,, दलवीरसिंह
३२. ,, राजेशकुमार पारती
३३. ,, लक्ष्मीनारायण मिश्रा
३४. ,, सन्तोषकुमार गंगवाल
३५. ,, चंचलराज मेहता
३६. ,, मोहन प्रकाश
३७. ,, मुकुट बिहारीलाल गुप्ता
३८. ,, रतनलाल जैन
३६. ,, जगदीशनारायण भटनागर
४०. ,, अमरचन्द जैन

४१. ,, प्रद्युम्न कुमार
४२. श्री बाबूलाल बूबना
४३. ,, सत्यदेव शर्मा
४४. ,, मदनलाल गुप्ता
४५. ,, रमेशदत्त शर्मा
४६. ,, मिलापचन्द्र जैन
४७. ,, सुरेशचन्द्र अग्रवाल
४८. ,, पुरुषोत्तमलाल प्रभाकर
४९. ,, मित्रा सेन
५०. ,, समन्द्रसिंह
५१. ,, जगन्नाथ बोहरा
५२. ,, मेघसिंह भदौरिया
५३. ,, बजरंगलाल शर्मा
५४. ,, भूपेन्द्रकुमार जैन
५५. ,, रणजीतचन्द भंसाली
५६. ,, कृष्णमोहन सहाय
५७. ,, दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
५८. ,, प्यारे मोहन बगरेहट्टा
५९. ,, ब्रह्मदत्त भार्गव
६०. ,, हजारीलाल बरवा

(२) संयुक्त प्रतिस्पर्द्धा परीक्षा, १९५८, में उत्तीर्ण हुये व्यक्तियों की सूची

१ श्री विजयकृष्ण थानवी
२ ,, जगदीशचन्द्र गोस्वामी
३ ,, प्राणेश्वर तिवाड़ी
४ ,, गनेशप्रसाद नागर
५ ,, निहालचन्द जैन
६ ,, छगनलाल जैन
७ ,, अजीतसिंह सिंघवी
८ ,, रतनसिंह सिंघवी
९ ,, प्रेमकुमार बी० सिंह
१० ,, कृष्णकान्त अवस्थी
११ ,, रमाकान्त व्यास
१२ ,, जालमसिंह तंवर
१३ ,, जगदीशचन्द्र शर्मा
१४ ,, मदनलाल गुप्ता
१५ ,, जगदेवसिंह यादव
१६ ,, गुलाबसिंह डरड़ा
१७ ,, लक्ष्मीनारायण मिश्रा
१८ ,, मुकटबिहारी गुप्ता
१९ ,, कन्हैयालाल पारीक
२० ,, जीवराज कानूनगो
२१ ,, आशाकरण अग्रवाल
२२ ,, प्रेमकृष्ण गर्ग
२३ ,, नवीनचन्द्र जोशी
२४ ,, जगदीशनारायण भटनागर
२५ ,, चान्दमल जैन
२६ ,, महेन्द्रकुमार सक्सेना
२७ ,, प्रद्युम्नकुमार
२८ ,, सन्तोषकुमार शर्मा
२९ ,, कृष्णकिशोर शर्मा
३० ,, सुरेशचन्द्र अग्रवाल
३१ ,, गोरीशंकर पटवारी
३२ ,, दिनेशचन्द्र गुप्ता
३३ ,, नरोत्तमदास खन्ना
३४ ,, ओमप्रकाश भार्गव
३५ ,, मनोहरसिंह
३६ ,, नाथाराम शर्मा
३७ ,, हर्षकान्त पी० हाथी
३८ ,, राजेशकुमार पारती
३९ ,, देवीदत्त शर्मा
४० ,, जमनालाल (शिड्यूल्ड ट्राइब्स)
४१ ,, रामेश्वरनाथ गौड़
४२ ,, चन्चलकुमार गोयल
४३ ,, शिवचरण अग्रवाल
४४ ,, रमेशचन्द्र चतुर्वेदी

———

## परिशिष्ट 'ब'

### (१) सन् १९५७ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची

१ श्री बैकुन्ठनाथ चतुर्वेदी
२ ,, सूर्यप्रकाश चन्दू भंडारी
३ ,, प्रकाशचन्द्र जैन
४ ,, गोपीचन्द अग्रवाल (सन् १९५८ में स्तीफा दे दिया)
५ ,, ताराप्रकाश जोशी
६ ,, दिलीपचन्द्र जैन
७ ,, राजेश्वरप्रसाद तिवाड़ी
८ ,, वैदप्रकाश साहनी
९ ,, जीवनसिंह माहेचा
१० ,, ताराचन्द्र
११ ,, गोविन्द प्रसाद
१२ ,, हर महेन्द्रसिंह (सन् १९५८ में स्तीफा दे दिया)
१३ ,, ब्रह्मदत्त जोशी
१४ ,, सुधीन्द्र गेमावत
१५ ,, इकबालकृष्ण बाली
१६ ,, चैतन्यप्रकाश
१७ ,, हजारीलाल बरवा
१८ ,, गनपतराय यादव

## (२) सन् १६५८ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची

१ श्री विजयकृष्ण थानवी (एक मास के बाद स्तीफा दे दिया) जिसके फलस्वरूप सन्तोषकुमार शर्मा की नियुक्ति की गई।

२ ,, जगदीशचन्द्र गोस्वामी

३ श्री प्राणेश्वर तिवाड़ी

४ ,, गनेशप्रसाद नागर

५ ,, निहालचन्द जैन

६ ,, छगनलाल जैन

७ ,, अजीतसिंह सिंघवी

८ ,, रतनसिंह सिंघवी

९ ,, कृष्णकान्त अवस्थी

१० ,, रमाकान्त व्यास

११ ,, जालमसिंह तंवर

१२ ,, जगदीशचन्द्र शर्मा

१३ ,, मदनलाल गुप्ता

१४ ,, गुलाबसिंह डारड़ा

१५ ,, लक्ष्मीनारायण मिश्र

१६ ,, मुकटबिहारी गुप्ता

———

## परिशिष्ट 'स'

सन १६५८-५६ में घोषित रिक्त स्थानों से अधिक लिये गये व्यक्तियों की सूची

१ श्री जीवराज कानूगो

२ ,, आशकरण अग्रवाल

३ ,, प्रेमकृष्ण गर्ग

४ ,, जगदीशनारायण भटनागर

५ ,, महेन्द्रकुमार सक्सेना

६ ,, जमनालाल

७ ,, प्रेमकुमार बी० सिंह

८ ,, जगदेवसिंह यादव

६ ,, कन्हैयालाल पारीक

१० ,, नवीनचन्द्र जोशी

११ ,, प्रद्युम्नकुमार

## परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिये)

**सूची उन गांवों की जो तहसील पचभद्रा के सम्वत् २०१५ में अभाव ग्रस्त घोषित किये गए**

| क्रम संख्या | नाम ग्राम | क्रम संख्या | नाम ग्राम |
|---|---|---|---|
| १ | पटाउ खुर्द | २१ | कानावास |
| २ | पटाउ कलां | २२ | बागावास |
| ३ | घडसी का वास | २३ | पातासर |
| ४ | गौरडा | २४ | मोहनपुरा |
| ५ | पीन्डारन | २५ | धुन्दाली |
| ६ | तस्सीगड़ी चौहान- | २६ | मेडली |
| ७ | खाखा | २७ | चक चारणोत |
| ८ | पटोदी नोर्थ | २८ | एकलडी |
| ९ | पाटोदी साउथ | २९ | नेवाई |
| १० | मेडीवास | ३० | इकरानी |
| ११ | सीरखिया | ३१ | कोडुका |
| १२ | माडपुरा | ३२ | रेवाडा मया |
| १३ | साधुजी चारना | ३३ | रेवाडा बारठा |
| १४ | साधुजी पुरोहिता | ३४ | रेवाडा आसियां |
| १५ | खनोडा | ३५ | रेवाडा सडयचा |
| १६ | बरनावा चारण | ३६ | रेवाडा सोठा |
| १७ | बरनावा जागीर | ३७ | रेवाडा जतमाल |
| १८ | थोम | ३८ | पचभद्रा |
| १९ | केलनकोर | ३९ | मन्डापुरा |
| २० | खारड | ४० | चिरराड़ी |

| क्रम संख्या | नाम ग्राम |
|---|---|
| ४१ | जेरला |
| ४२ | बालोतरा |
| ४३ | रामसीण |
| ४४ | आसातरा |
| ४५ | सराडा |
| ४६ | उमरलाई |
| ४७ | पारलू |
| ४८ | कानाना |
| ४९ | मगडा |
| ५० | विसुईया |
| ५१ | होठूल |
| ५२ | भिन्डाकया |
| ५३ | भाडियोवास |
| ५४ | कुन्डी |
| ५५ | जानयाना |
| ५६ | गोपडी |
| ५७ | रिछोली |
| ५८ | मेदालाई |
| ५९ | चम्पाडेरी |
| ६० | गोलिया मिन्दा |
| ६१ | बगीया चारण |
| ६२ | जसोल |
| ६३ | असाडा |
| ६४ | टापरा |

| क्रम संख्या | नाम ग्राम |
|---|---|
| ६५ | गोम |
| ६६ | इदवा |
| ६७ | बागडी |
| ६८ | भीमर लाई |
| ६९ | खट्टू |
| ७० | जीदेसरा |
| ७१ | मेकराना |
| ७२ | बजावा |
| ७३ | कातुड़ी |
| ७४ | सिमालिया |
| ७५ | कितपाला |
| ७६ | छिनली जागीर |
| ७७ | तिलवाड़ा |
| ७८ | सिलीचोसीरा |
| ७९ | थान मनीनाथली |
| ८० | कपुरिया |
| ८१ | बौरावास |
| ८२ | मेवानगर |
| ८३ | बरियातगी |
| ८४ | बरियात्रजी |
| ८५ | बरीया बगेचा |
| ८६ | खेड |

| क्रम संख्या | नाम ग्राम | क्रम संख्या | नाम ग्राम |
|---|---|---|---|
| ८७ | कलाबा | ९१ | बागमीग |
| ८८ | मवास | ९२ | गुगरी |
| ८९ | सोमावास | ९३ | सदभरा |
| ९० | तोमावास | ४९ | साजियाली |

———

तहसील पचभद्रा में अकालग्रस्त गांवों में तारीख १-१-५६ से स्थगन आज्ञा प्राप्त होने तक सम्वत २०१५ की राजस्व वसूली हुई उसकी सूची

| क्रम संख्या | नाम ग्राम |
|---|---|
| १ | पटाउ खुर्द |
| २ | पटाउ कलां |
| ३ | नागावास |
| ४ | पातासर |
| ५ | मोहनपुरा |
| ६ | डूढाली |
| ७ | चिरड़ाड़ी |
| ८ | जेरला |
| ९ | बालोतरा |
| १० | रावसीड़ |
| ११ | आसोतरा |
| १२ | सराड़ा |
| १३ | उमरलाई |
| १४ | पारल |
| १५ | बिठूला |
| १६ | हाठूल |
| १७ | भान्डियावास |
| १८ | गोभड़ी |
| १९ | चम्पाबेरी |
| २० | असाड़ा |
| २१ | दूदवा |
| २२ | सिनालिया |
| २३ | तित्रपाला |
| २४ | सिनली जागीर |
| २५ | सिनली चौसिया |
| २६ | वटियातकम्री |
| २७ | बरियाबगली |
| २८ | बरियाबरेन्चा |
| २९ | रबेड़ |
| ३० | पेमावास |
| ३१ | खान्दरा |

## परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८८ का उत्तर देखिये)

**कोटा जिले में जिन ग्रामों में ओलावृष्टि से रबी की फसल को क्षति पहुंची है उनकी तालिका बहाव नुकसान के विवरण सहित**

| क्रम संख्या | नाम तहसील | नाम ग्राम | नुकसान का विवरण प्रति रुपया |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | किसनगंज | भंवरगढ़ | ४ आने से १४ आने तक |
| २ | छबड़ा | बमोरा | ८ आने से १६ आने तक |
| ३ | छबड़ा | बावड़ी खेड़ा | ६ आने से १६ आने तक |
| ४ | छबड़ा | खंडेला | १२ आने से १६ आने तक |
| ५ | छबड़ा | रीछड़ा | ६ आने से १२ आने तक |
| ६ | छबड़ा | चावलखेड़ी | १२ आने से १६ आने तक |
| ७ | छबड़ा | बिवराड़ा | ८ आने से १६ आने तक |
| ८ | छबड़ा | छबड़ा | ६ आने से ८ आने तक |
| ९ | छीपाबड़ोद | टाचा | १२ आना |
| १० | छीपाबड़ोद | कोहनी | १२ आने से १६ आने तक |
| ११ | छीपाबड़ोद | बमोरी घाटा | ८ आने से १६ आने तक |
| १२ | छीपाबड़ोद | गनेशपुरा | १० आने से १६ आने तक |
| १३ | छीपाबड़ोद | दोसपुरा | १२ आना |
| १४ | अटरू | परढ़ाना | ८ आना |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १५ | अटरू | अरढ़ाद | १२ आना |
| १६ | टरू | सूरी | १२अ आना |
| १७ | अटरू | छैलावेस | १२ आना |
| १८ | अटरू | भनड़ा | १२ आना |

## परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये )

### कॉलेजों व स्कूलों में होने वाले अवकाशों में कमी

१६५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

१. क्या सरकार ने कॉलेज व स्कूलों में पहले से प्रचलित अवकाश के दिनों की संख्या में कुछ कमी कर दी है ?

२. यदि हां, तो कितने दिनों की ?

३. क्या उक्त कम होने वाले दिनों में २६ जनवरी गणतन्त्र दिवस, १५ अगस्त का स्वतन्त्रता दिवस तथा २ अक्टूबर की गांधी जयन्ती के अवकाश भी सम्मिलित हैं ?

४. यदि हां, तो क्या सरकार इन दिनों को छात्रों के लिये अन्य अवकाश के दिनों की अपेक्षा कम महत्व का मानती है ?

५. यदि नहीं, तो क्या सरकार अपनी अवकाश सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार करने को तैयार है ?

**उत्तर**

१. जी हां।

२. कॉलेजों में करीब १४ दिन व स्कूलों में १७ दिन की छुट्टियां कम कर दी हैं।

३. कॉलेजों में इन दिनों केवल ३० मिनट के पीरियड होते हैं और कॉलेज का समय समाप्त होने पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का कार्यक्रम रखा जाता है। स्कूलों में इन दिनों पढ़ाई नहीं होती लेकिन राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिये कार्यक्रम रखे जाते हैं।

४. इन पर्वों को महत्व देने के लिये ही तो कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसलिये पुनः विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

### औद्योगिक ऋण

१६०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) उदयपुर जिले में सरकार ने इन्डस्ट्रियल लोन किन किन को, कितना कितना, किस किस कार्य के लिए दिया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या जो लोन दिया गया है, वह उसी कार्य में लगाया गया है ?

### उत्तर

(१) चाही गई लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिला उद्योग अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करके यदि किसी ने ऋण का दुरुपयोग किया हो तो उसकी सूचना उच्चाधिकारी को देते हैं। अभी तक ऋण के दुरुपयोग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रश्न संख्या १६० सम्बन्धित सूची)

LOANS ADVANCED IN UDAIPUR DISTT. FOR THE DEVELOPMENT OF COTTAGE & SMALL SCALE IND.

1955—56.

| S. No. | Name and address of the Party. | Nature of Industry. | Amount of loan advance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Rs. |
| 1. | Shri Amba Lal Devi Lal Khemnor. | Itra, Rose water. | 3,000 |
| 2. | Shri Purshotam Naraindas, Nathdwara. | -do- | 5,000 |
| 3. | M/s Rolabs Pharmaceutical, Udaipur. | Pharmaceutical. | 5,000 |
| 4. | Shri Abbas Ginning Factory, Nathdwara. | Weaving, Handloom. Factory. | 5,000 |
| 5. | Shri Harivallabh Purshotamdas, Nathdwara. | Itra Rose water. | 3,000 |
| 6. | M/s R. K. Industries, Udaipur. | Shoe Making. | 5,000 |
| 7. | Shri Abdul Hamid Gands, „ | Bross Mfg. | 2,000 |
| 8. | M/s Nav Bharat Industry, Udaipur. | Agarbati Mfg. | 5,000 |
| 9. | M/s Craftsman Eng. Works, „ | Engineering & Foundry. | 5,000 |
| 10. | M/s Modern Auto Mechle Engineers, Udaipur. | Engineering. | 5,000 |
| 11. | Shri Calcutta Store, Udaipur. | Umbrella Making. | 5,000 |
| 12. | Shri Harbans Udyog Sahkari, Vallabhnagar. | Hard Mass. | 4,000 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 13. | Shri Heera Lal Bhagwanji, Nathdwara. | Enabelling. | 3,000 |
| 14. | Shri Vagercha Ginning Factory, Vallabhnagar. | Ginning. | 5,000 |
| 15. | Shri Daulat Ram Sharma, Udaipur. | Carpentry. | 2,500 |
| 16. | Shri Emary Stone. „ | Emery Stone. | 3,000 |
| 17. | Shri Premer Metal Industry. „ | Metal Industry. | 5,000 |
| 18. | Shri H. E. Sadri Wala. „ | Umbrella Making. | 5,000 |
| 19. | Shri Kasta Kala Utpadak Sah. Samiti, Udaipur. | Carpentry. | 10,000 |
| 20. | Shri Baluram Meghwal, Udaipur. | Shoe Making. | 2,000 |
| 1956—57. | | | |
| 1. | Shri Friends Timber Supply Co., Udaipur. | Timber Mfg. | 5,000 |
| 2. | Shri Gordhan Das Rama Fire, Udaipur. | Fire Works. | 1,000 |
| 3. | Shri Mohd. Kadim Lahar. Udaipur. | Blacksmithy. | 3,000 |
| 4 | Shri Mohan Lal, Udaipur. | -do- | 2,000 |
| 5. | Shri Mohd. Ibrahim. „ | Dyeing & Printing. | 2,000 |
| 6. | Shri Raj Singh, „ | Ginning Factory. | 5,000 |
| 7. | Shri Rajasthan Metal Foundry, Udaipur. | Foundry. | 10,000 |
| 8. | Shri Nand Ram Shobha Ram Artists, Nathdwara. | Painting. | 2,000 |
| 9. | Shri Pratap Hosiery, Udaipur. | Hosiery. | 10,000 |
| 10. | Shri Mewar Glass Works, Udaipur. | Glass Works. | 15,000 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 11. | Shri Vallabhdass, Nathdwara. | Pan mashale. | 1,500 |
| 12. | Shri Bhatnagar Chemicals, Udaipur. | Chemical Works. | 1 000 |
| 13. | Shri Menaria Ink Factory, ,, | Ink Mfg. | 2,000 |
| 14. | Shri Meena Embroidary, ,, | Embroidary. | 4,000 |
| 15. | Shri Isamil, ,, | Tie-Dye. | 2,000 |
| 16. | Shri Gulam Ali, ,, | Iron works. | 3,000 |
| 17. | Shri Noor Mohd. ,, | Tie & Dye. | 2,000 |
| 18. | Shri Neemkun, ,, | Ayurved Chemicals. | 5,000 |
| 19. | Shri Tools Crafts Eng. Works, Udaipur. | Eng. works. | 4,000 |
| 20. | Shri Oil & Cotton Industry, Bhinder. | Oil & Ginning. | 6,000 |
| 21. | Shri Pukhraj Madan Lal Tak, Amet. | Ginning. | 5,000 |
| 22. | Shri Ornamentals Works, Udaipur. | Ornamentals. | 3,000 |
| 23. | Shri Tayab Hussain Abdullah Hussain, Udaipur. | Tins Mfg. | 2,500 |
| 24. | Shri Aygadhare. Phry. Udaipur. | Ayurved Phry. | 2,500 |
| 25. | Shri Lal Chand Lohar, ,, | Repairing works. | 5,000 |
| 26. | Shri Mahavir Ginning Factory, Vallabhnagar, | Ginning. | 10,000 |
| 27. | Shri Kishan Lal Chipa, Udaipur. | Cloth Printing. | 2,500 |
| 28. | ,, Savant Singh Bhupal Singh, Banera. | Ginning. | 5,000 |
| 29. | ,, Habbaliji Chipa Ayad, Udaipur. | Cloth Printing. | 2,500 |
| 30. | ,, Mohd. Ismali Ayad, Udaipur. | -do- | 2,000 |
| 31. | ,, Gordhan ji, Udaipur. | -do- | 2,000 |

| १ | २ | | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| 32. „ | Gulamali Gulamresul Ayad, | Udaipur | Cloth Printing | 2,000 |
| 33. „ | Kasimji Joor Mohd, Ayad, | „ | -do- | 1,500 |
| 34. „ | Mahavir Cap House, | „ | Cap Mfg. | 1,500 |
| 35. „ | Lodha Bros, | „ | Carpentry. | 7,500 |
| 36. „ | Hazi Daud Mohd., | „ | Cloth Printing. | 2,000 |
| 37. „ | Allabux Isaji, | „ | -do- | 1,000 |
| 38. „ | Noor Mohd., | „ | -do- | 500 |
| 39. „ | Suban Sah Amet Amet. | „ | Durri-Making | 500 |
| 40. „ | Kachha Ram Tilak Chand, | „ | Engineering. | 7,500 |
| 41. „ | Chandresh Vyas, | „ | Printing Press. | 7,500 |
| 42. „ | Azad Motor Works, | „ | Repairing. | 3,000 |
| 43. „ | Mohan Lal Modi, | „ | Shoe Making. | 500 |
| 44. „ | Ganesh Fire Works, | „ | Fire Works. | 2,000 |
| 45. „ | Gordhan Lal Agrawal, | „ | Fire Works. | 5,000 |
| 1957—58. | | | | |
| 1. M/s | Kishan Chand-Motiram, Udaipur. | | Umbrella Mfg. | 10,000 |
| 2. M/s | Mohan das S/o Sitaram Mochi, Udaipur. | | Leather Fac. | 1,500 |
| 3. M/s | Bhanwar Lal S/o Pyarelal, Udaipur. | | Ready Made Garments. | 2,000 |
| 4. M/s | Aziz S/o Haji Karimbux Chhipa. Udaipur. Shahpura. | | Dyeing & Printing. | 3,000 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 5. | M/s Mahavir Cotton Ginning Factory, Udaipur. | Ginning Factory. | 11,000 |
| 6. | M/s Rama Fire Works, Udaipur. | Fire Works. | 2,000 |
| 7. | M/s Amba Lal S/o Dhulchand Tak, Kaoria (P.O. Kaoria), Udaipur. | Wood working. Kollu, Cotton Ginning & Carding. | 5,000 |
| 8. | M/s Heera Lal S/o Ganeshji Lakhera, Nathdwara. | Bangle Making | 3,000 |
| 9. | M/s Modern Automobile Mechanical Engineering, Udaipur. | Engineering. | 10,000 |
| 10. | M/s Hira Lal Bhagwanji Nathdwara. | Enemblling Works. | 2,000 |
| 11. | M/s Lalchand S/o Nandiamji, Mandania, Prop. Lalchand Photo Art Studio, Udaipur. | Photo Art Studio | 2,000 |
| 12. | M/s Nizamuddin S/o Tajuddin, Kumbhalgarh. | Blacksmithy. | 1,000 |
| 13. | „ Ram Lal S/o Ram Kishan Mochi, Udaipur. | Shoe Making. | 2,000 |
| 14. | „ Daulatram S/o Madhuram, Udaipur. | Woodentry making Ind. | 1,000 |
| 15. | „ Kamruddin S/o Khuda Buxji Shaibh Udaipur. | Carding Cotton Work. | 2,000 |
| 16. | „ Noor Mohd. S/o Mohiuddin Khan, Udaipur. | Shoe & Shoe nails. | 2,000 |
| 17. | „ Gulam Rasool S/o Noor Mohd. Ayad Distt. Udaipur. | Dyeing & Printing | 2,000 |
| 18. | „ Kalyan Printing Press, Kankroli. | Printing Press. | 2,000 |
| 19. | „ Charam Udyog Sah. Samiti, Rajnagar. | Charam Udyog. | 1,500 |

| १ | | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|---|
| 20. | ,, | Dalit Hitkari Sah. Samiti Ltd. Kankroli, Udaipur. | Mudha, Sirki, Baskat furniture | 1,000 |
| 21. | ,, | KarimKhan S/o Ala Buxji, Bambora Teh. Girwa. | Carding work. | 2,000 |
| 22. | ,, | Saduiam S/o Bhureji Nade Kheda ( Girwa ) for Bamboo Baset. | Bamboo Basket. | 750 |
| 23. | | Dalchand S/o Kishana Mochi, Udaipur. | Shoe Making. | 1,000 |
| 24. | ,, | Ahmed S/o Buxji Nilgar Ayed. | Nilgar | 1,000 |
| 25. | Shri | Imam Bux S/o Solar Bux Kahar, BoharBadi, Udaipur. | Biscuits & Breads. | 2,000 |
| 26. | ,, | Baldeo S/o Mohan Lal, Mochi, Udaipur. | Shoe Making. | 1,000 |
| 27. | ,, | Jai Ram S/o Jalamji Khairadhi, Udaipur. | Lathe Machine. | 2,000 |
| 28. | ,, | Ganesh Mal S/o Jalamji Khairadi- | -do- | 2,000 |
| 29. | ,, | Hira Lal S/o Bhagwati Lal, Udaipur. | Bricks & Tiles. | 2,000 |
| 30. | ,, | Babu S/o Gordhan Harijan, Udaipur. | Bans. etc. | 2,000 |
| 31. | ,, | Omkar Lal S/o Basant Lal, Udaipur. | Dyeing & Printing. | 2,000 |
| 32. | ,, | Narayan Lal Rengera S/o Nathulal Ayad, Udaipur. | -do- | 2,000 |
| 33. | ,, | Fazal Abbas S/o Ali Mohd, Udaipur. | Tin Making & Steel | 500 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 34. | M/s Udaipur Loha Utpadak Sah. Samiti, Udaipur. | Iron & Steel Works. | 10,000 |
| 35. | „ Ayar Kapra Rangai and Chhapai Utpadak Sahkari Samitl Ltd. Udaipnr. | Dyeing & Printing. | 7,500 |
| 36. | Shri Parshram Agarwal S/o Syt. Trilok Rolash Chand, Rolash Pharmaceutical Udaipur. | Pharmaceutical Works | 7,500 |
| 37. | „ Bapa Sewak Sangh Hirawas, Fatehnagar. | Dari & Niwar. | 5,000 |
| 38. | „ Kishan Lal S/o Pratap Lal and Onkar Lal S/o Kalulal, Udaipur. | Printing Press. | 10,000 |
| 39. | „ Hari Ram S/o Tak Chand Mistri, Rajanagar. | Furniture Mfg. | 4,000 |
| 40. | „ Bheru Lal Meghwal S/o Dev Ramji Maghwal, Prop. Mewar Boot Factory, Matichhata, Udaipur. | Boot Factory. | 3,000 |
| 41. | „ Laxmi Lal Mehta S/o Nand Lalji, Mehta and Rama Kant Pandey S/o Manna Prasad Pandey House No. 450, Maldas St. Udaipur. | Tyre Moulding & recapping etc. | 7.500 |
| 42. | „ Akbar Ali S/o Ismailji Kutubpura Bohra Badi, Udaipur. | Agricultural etc. | 8,000 |
| 43. | „ Jeewan Ali S/o Aladali Sabunwala Wazirpur Boharbadi ward No. 6 House No. 6/1025, Udaipur. | Soap Factory. | 5,000 |
| 44. | M/s Craft's Engineering Works, Udaipur. | Engineering. | 10,000 |
| 45. | „ Pratap Lal Kassera S/o Tulsi Ram Kasera, Udaipur. | Bartan Banana. | 5,000 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 46. | Shri Kishan Mohan Khubya S/o Dr. Mohan Lal Khubya, Udaipur. | Printing Press | 5,000 |
| 47. | „ Ahmed Hussain S/o Kader Buxji, Udaipur. | Tie and Dye. | 5.000 |
| 48. | M/s Ismail Ali Tyab Ali Trunk Merchants, Udaipur. | Trunks Mfg. | 3,000 |
| 49. | Shri Arjun S/o Hiranand, Udaipur. | Wooden Toys Mfg. | 500 |
| 50. | „ AkbarAli S/o Ali Mohd. Udaipur. | Mfg. of Iron tools. | 500 |
| 51. | „ Tafazzal Hussain Tehsim S/o Alla Buxji Tehsil, Udaipur. | Mining Asberties & Soap Stone. | 15,000 |
| 52. | „ Dharj S/o Roop Ram Sother, Village Dhainda Teh. Rajsamand. | Saw Machine. | 5,000 |
| 1958—59 | | | |
| 1. | M/s Rashtra Pak Vigyan Institution Raiji ka-Hata, Udaipur. | Pickles fruit preservation and corning. | 3,000 |
| 2. | M/s Sadakali S/o Mohammedji, Udaipur. | Soap Factory | 2,000 |
| 3. | M/s Bharat Lubricating Co., Surajpole Udaipur. | Lubricating. | 5,000 |
| 4. | M/s Jagdish Chandra S/o Moolchand, Udaipur | Printing. Press, | 10,000 |
| 5. | Shri Radha Kishan S/o Chaturbhuj Soni Udaipur. | Oil and Toothpest. | 3,000 |
| 6. | Shri Gordhan S/o Gauri Lal Bansal, Udaipur. | Elec. Printing. | 10,000 |
| 7. | Shri Nirbhai Lal S/o Bundi Lal, Daroli Teh. Ballabhanagar. | Saw Machine. | 5,000 |
| 8. | Shri Bardani Lal Kothari, Udaipur. | Soap Factory. | 6,000 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 9. | Shri Ram Sharan S/o Ganpat Pd. Sharma Udaipur. | Pharmaceutical. | 5,000 |
| 10. | Shri Shanker Lal S/o Gordhan Lal, Udaipur. | Furniture Works. | 2,000 |
| 11. | Shri Peeru Lal S/o Khyali Lal, Kharadi Udaipur. | Wooden Toys. | 1,000 |
| 12. | Shri Moda S/o Pema Harizan, Udaipur. | Bamboo Basket. | 3,000 |
| 13. | Shri Devi Lal S/o Jeewan Lal Kharadi Udaipur. | Wooden Toy. | 1,000 |
| 14. | Shri Hagami Lal S/o Magan Lal, Narsinghpura, Udaipur. | Scientific Sewing Machine, | 3,500 |
| 15. | Shri Devi Lal S/o Chaman Lal Khairadi Udaipur. | Wooden Toy. | 1,000 |
| 16. | Shri Mahaveer Sugar factory, Amarchandia Teh. Nathdwara. | Sugar Factory. | 25,000 |
| 17. | Shri Baldas S/o Rajmalji, Nayabazar, Udaipur. | Tyre Repairing. | 7,500 |
| 18. | Ismail Isaji Chheepa Ayad Road, Udaipur. | Dyeing & Printing. | 3,000 |
| 19. | M/s Chemical Treating Seasoning Timber Industrial Society Ltd., Udaipur. | Timber Industrial. | 5,000 |
| 20. | Shri Kanak Madhukar, Udaipur Navjeewan Press, Udaipur. | Printing Press. | 10,000 |
| 21. | Shri Dulichand S/o Kanhaiya Lal Udaipur. | Wooden Toy Furniture Making. | 10,000 |
| 22. | Shri Nanalal S/o Kaluji Regar, Gilund Udaipur. | Leather Tanning. | 400 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 23. | Shri Sawarmal Takhtmal Jain, Udaipur | Umbrella Mfg. | 3,000 |
| 24. | Shri Khem Chand S/o Devaji Regar Rajsamand. | Leather Tanning. | 400 |
| 25. | Shri Ram Lal S/o Pannaji Regar, Rajsamand. | -do- | 40 |
| 26. | Shri Kalu Lal S/o Laluji Regar, Rajsamand. | -do- | 400 |
| 27. | Shri Roop Lal S/o Ramaji Regar, Gilund. | -do- | 400 |
| 28. | Shri Chunni Lal S/o Nathu Regar, Gilund. | -do- | 400 |
| 29. | Shri Lalu Ram S/o Nathuram. Gilund. | -do- | 400 |
| 30. | Shri Bnaktawarji S/o Ganeshji Regar, Amet. | Shoe Making | 200 |
| 31. | Shri Gahari Lal S/o Ramaji Regar, Amet. | -do- | 200 |
| 32. | Shri Gulam Ali S/o Aliji Bohara Udaipur. | Turra Kalangi etc. | 3,000 |
| 33. | Shri Birdhi Chand S/o Punam Chand, Udaipur. | Smelling Tabocoo. | 2,000 |
| 34. | Shri Khema S/o Nathuji Jinger Amet. | Shoe Making. | 200 |
| 35, | Shri Bahadurmal S/o Girdhariji, Amet. | Shoe Making. | 500 |
| 36. | Shri Kanhiya Lal S/o Shanker Lal, Amet. | Leather Ind. | 400 |
| 37. | Shri Ratan Lal S/o Khumaji. Amet. | -do- | 200 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 38. | Shri Nathurji S/o Roopaji, Amet. | Leather Ind. | 200 |
| 39. | Shri Gulab S/o Ramaji, Amet. | -do- | 300 |
| 40. | Shri Jagannath S/o Nandaji. | Shoe Making. | 400 |
| 41. | Shri Kanjbehari S/o Nandlalji, Udaipur | Buhari, Fans and Mats. | ,000 |
| 42. | Shri Tola Ram S/o Gela Ram, Bilochishani | Plastic Ind. | 1, 500 |
| 43. | Shri Inder Singh S/o Kartasingh, Sikh Colony, Udaipur. | Soap Ind. | 2,500 |
| 44. | Shri Motilal S/o Shri Phoolchand Pardia. Udaipur. | Highdropic Phrack oil. | 2,500 |
| 45. | Shri Mohd Husain S/o Gulamali Bohra Udaipur. | Tin. Mfg. | 1.500 |
| | Shri Babu Lal S/o Ranghlal Bansal, Udaipur. | Meenakari Ind. | 2,000 |
| 47. | Shri Gulab Jal Sah.Samiti Khamnor | Gulab Jal & Itra Ind | 2,500 |
| 48. | Shri Ismailji kazi, Tinwala, Udaipur. | Iron work | 2,500 |
| 49. | Shir Suleman S/o Musaji, Nathdwara | Dyeing & Printing. | 2,500 |
| 50. | Shri Prabhu lal S/o Manna Lal Soni Udaipur. | Photography, | 1,300 |
| 51. | Shri Amba Lal S/o Bhawani Chhipa Ayad. | Dyeing & Printing. | 1,500 |
| 52. | Shri Bhanwar Lal S/o Molaji Lohar. Kelwada. | Agrl. implements. | 1,700 |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| 53. | Shri Gotu Lal S/o Pemaji, Kolwada. | Leather Fac. | 1,000 |
| 54. | Shrimati Goti Bai W/o Nathuji Harijan Udaipur. | Bamboo Basket | 1.000 |
| 55. | Shri Hakim S/o Mohd. ji Chhipa Ayad, Udaipur. | Dyeing & Printing. | 2,000 |
| 56. | Shri Kishan Lal S/o Ramkrishnji, Nathdwara. | Soap Factory. | 2,000 |

Grand total = Rs. 6,32,650/-

Sd/-
Director of Industries & Supplies
Rajasthan, Jaipur.

# शुद्धि-पत्र

( कार्य-विवरण दिनांक ७ दिसम्बर, १९५९ )

| स्कम्भसंख्य | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| | २ | ३ | ४ |
| १११० | अन्तिम ९-१० | प्रारंभ में करने | प्रारम्भ करने |
| ११२० | ८ | कॉन्फीडेशियल | कॉन्फीडेंशियल |
| ११२० | १२ | बात इन्कार | बात के लिए इन्कार |
| ११२७ | प्रथम | एस. एम. हॉस्पिटल | एस. एम. एस. हॉस्पिटल |
| ११२९ | अन्तिम से १० | दामोदरलाल | श्री दामोदरलाल |
| ११३६ | १४ | वइ | यह |
| ११४० | अन्तिम से १२ | बगैर व | बगैर वह |
| ११४६ | ८ | अग्रत्राल | अग्रवाल |
| ११४८ | ३ | श्री उपाध्यक्ष : | श्री उपाध्यक्ष : next question |
| ११५२ | ४ | ताक | ताकि |
| ११५३ | अन्तिम से १३ | ैम्प्रेरी | टैम्प्रेरी |
| ११५३ | अन्तिम से ४ | (वृद्धि) | वृद्धि |
| ११५६ | १३ | कया | क्या |
| ११५८ | ११ | आग | लाग |
| ११६४ | २ | अकलस्त | अकालग्रस्त |
| ११७१ | अन्तिम से १४ | अन्सटन | असर्टेन |
| ११७५ | ५ | खाना | रखना |
| ११७५ | १० | संशाधन | संशोधन |
| ११७६ | ६ | रिपो | रिपोर्ट |
| ११७७ | अन्तिम से १६ | Secord | Second |
| ११७८ | अन्तिम से १७ | nder | under |
| ११८२ | अन्तिम से १४ | वार्ते | बातें |
| ११८४ | अन्तिम से ३ | तहतरे सरण्डर | तहत सरेन्डर |
| ११९४ | १४ | Ceilng | ceiliug |
| ११९६ | प्रथम | भूम | भूमि |
| ११९९ | ८ | प्रा | प्राव |

( २ )

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १२०५ | ७ | वतना ता | इतना वता |
| १२०६ | १६ | noesy' | 'Noes' |
| १२०६ | अन्तिम से८ | lobd | Lobby |
| १२१५ | अन्तिम से१३ | अन्दर | अदर |
| १२१८ | अन्तिम से१४ | में | में |
| १२२८ | ३ | सभापति | सभापति |
| १२२८ | १० | bedate ? | debate |
| १२२७ | १३ | dabate | debate |
| १२२६ | अन्तिम से१४ | ऑफ | ऑफ |
| १२३१ | ४ | डिटेल मैं | डिटेल में |
| १२३७ | अन्तिम से७ | not b | not be |
| १२४६ | ६ | श्री सभापत | श्री सभापति |
| १२४६ | ६ | सम्छलीसिटी | सिम्प्लीसिटी |
| १२५० | ११ | अफ | ऑफ |
| १२५१ | अन्तिम से१७ | फामूला | फामूला |
| १२५६ | ८ | नहीं | नहीं |
| १२६६ | अन्तिम से१४ | सजेशन्सा | सजेशन्स |
| १२७३ | १७ | लुब्ध | लुब्ध |
| १२७३ | अन्तिम से१५ | विर्ड | वर्ल्ड |
| १२७४ | १२ | पड़गें | पड़ेंगे |
| १२७५ | ६ | साधन में हैं | में साधन में |
| १२७८ | २ | बैकवोर्न | बैकवोन |
| १२७८ | २ | कम्पेन्संट | कम्पन्शेट |
| १२७६ | अन्तिम से८ | कोइ नहा होगी | कोई चिन्ता नहीं होगी |
| १२८० | १७ | का तरफ है | की तरफ से |
| १२८६ | अन्तिम से३ | एड स से चेयर एड्स | एड्स से चेयर एड्स |
| १२८६ | अन्तिम से३ | स्थितियोंक में बड़ फर | स्थितियों में बड़ा फर्क |
| १२६७ | अन्तिम | यान | ध्यान |
| १३०० | ८ | allready | already |
| १३०१ | अन्तिम से१३ | सदन मैं | सदन में |
| १३०२ | अन्तिम से२ | को ओर | को ओर |
| १३०८ | १४ | कहो वह नहीं | कहां वह नहीं |

o



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १३०८ | प्रथम | के कब्ज में | के कब्जे में |
| १३०६ | ११ | कश्न्पेन्सेशन | कम्पन्सेशन |
| १३१० | अन्तिम से८ | इकठ्ठे | इकट्ठे |
| १३१२ | अन्तिम से१३ | तीसरे | तीसरी |
| १३२० | ३ | besed | based |
| १३२० | प्रथम द्वितीय | दृष्टिकण | दृष्टिकोण |
| | १४ | माननी | माननीय |